PERFECT 7

साप्ताहिक

समसामयिकी

जुलाई-2019 | अंक-5

विशेषांक

केंद्रीय बजट 2019-20

- केंद्रीय बजट 2019-20 : एक नजर में
- भारत में सामाजिक अवसंरचना एवं मानव विकास
- स्वयं सहायता समूह : महिला सशक्तिकरण का एक प्रमुख माध्यम
- ई-गवर्नेंस के जरिए नागरिकों का सशक्तिकरण
- भारत का विदेशी व्यापार एवं वैश्विक आर्थिक परिवेश
- भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम : एक अवलोकन
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल : विकास का वाहक

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

LEGACY OF SUCCESS CONTINUES...

with 122+ selection in CSE 2018

UDAAN
A journey to success

THINK ABOUT IAS/IPS JUST AFTER 12th

UPTO **100%** SCHOLARSHIP

IAS OLYMPIAD ENTRANCE EXAM | **4 AUG 12 PM**

Eligibility: Age Limits: 15-19 Years Age Group 12th Passed / Appearing Students

LUCKNOW (ALIGANJ)
0522-4025825, 7570009014

LUCKNOW (GOMTI NAGAR)
7234000501, 7234000502

OLD RAJENDRA NAGAR

FOUNDATION BATCH 2020

OPEN CLASSES
27 JULY | 10:30 AM

FREE MAINS CSE ANSWER WRITING + REVISION 2019

ALL INDIA MAINS TEST SERIES 2019

with face to face evaluation

ECONOMIC SURVEY & BUDGET

22 JULY | 2:00 PM

ADMISSIONS OPEN FOR NEW SESSION 2019-20

General Studies Pre-cum-mains Batch

MUKHERJEE NAGAR (DELHI)	20 JULY | 8:30 AM & 5:30 PM
LAXMI NAGAR (DELHI)	22 JULY | 10:30 AM & 27 JULY | 11 AM (WEEKEND BATCH)
GREATER NOIDA	13 AUG | 3:30 PM
LUCKNOW (ALIGANJ)	1 AUG | 6 PM
LUCKNOW (GOMTI NAGAR)	26 AUG | 5:30 PM
PRAYAGRAJ (ALLAHABAD)	19 JULY | 11 AM
BHUBANESWAR	1 AUG | 7:30 AM & 6 PM

Face to Face Centre

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068 , **LUCKNOW (ALIGANJ)** 0522-4025825 | 9506256789, **LUCKNOW (GOMTINAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centre

BIHAR – PATNA, **CHANDIGARH**, **DELHI & NCR** – FARIDABAD, **GUJARAT** – AHMEDABAD, **HARYANA** – HISAR, KURUKSHETRA, **MADHYA PRADESH** – GWALIOR, JABALPUR, REWA, **MAHARASHTRA** – MUMBAI, **PUNJAB** – JALANDHAR, PATIALA, LUDHIANA ,**RAJASTHAN** – JODHPUR, **UTTARAKHAND** – HALDWANI, **UTTAR PRADESH** – ALIGARH, AZAMGARH, BAHRAICH, BAREILLY, GORAKHPUR, KANPUR, LUCKNOW (ALAMBAGH), LUCKNOW (GOMTI NAGAR), MORADABAD, VARANASI

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

FOR DETAILS VISIT US ON WWW.DHYEYAIAS.COM OR CALL ON 011 49274400

ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

कुरबान अली
मुख्य सम्पादक
ध्येय IAS
(पूर्व संपादक - राज्य सभा टी.वी.)

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से अब तक हम लगभग 100 अंक सफलतापूर्वक प्रकाशित कर चुके हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

Perfect 7

साप्ताहिक संस्करण

Perfect 7

ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)

जुलाई-2019 | अंक-5

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.
विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक
क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक
कुरबान अली

प्रबंध संपादक
आशुतोष सिंह

संपादक
जीत सिंह, ओमवीर सिंह चौधरी,
रजत झिंगन, अवनीश पाण्डेय, शशिधर मिश्रा

संपादकीय सहयोग
प्रो. आर. कुमार, बाघेन्द्र प्रताप सिंह

मुख्य लेखक
अजय सिंह, अहमद अली,
धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह, रमा शंकर निषाद

लेखक
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव,
गिरिराज सिंह, अंशु चौधरी

मुख्य समीक्षक
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक
संजन गौतम, जीवन ज्योति

आवरण सज्जा एवं विकास
संजीव कुमार झा, पुनीश जैन

विज्ञापन एवं प्रोन्नति
गुफरान खान, राहुल कुमार

प्रारूपक
विपिन सिंह, रमेश कुमार,
कृष्णा कुमार, निखिल कुमार, सचिन कुमार

टंकण
कृष्णकान्त मण्डल, तरून कनौजिया

लेख सहयोग
रजनी तिवारी, मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह,
लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव, आयुषी जैन,
प्रीति मिश्रा, आदेश, अंकित मिश्रा, प्रभात

कार्यालय सहायक
हरीराम, संदीप, राजीव कुमार, राजू यादव, शुभम,
अरूण त्रिपाठी, चंदन

Content Office

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विषय सूची

सात महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर 01-22

- केंद्रीय बजट 2019-20 : एक नजर में
- भारत में सामाजिक अवसंरचना एवं मानव विकास
- स्वयं सहायता समूह : महिला सशक्तिकरण का एक प्रमुख माध्यम
- ई-गवर्नेंस के जरिए नागरिकों का सशक्तिकरण
- भारत का विदेशी व्यापार एवं वैश्विक आर्थिक परिवेश
- भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम : एक अवलोकन
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल : विकास का वाहक

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 23-31

सात महत्वपूर्ण तथ्य 32

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 33

सात महत्वपूर्ण खबरें 34-36

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी 37-40

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. केन्द्रीय बजट 2019-20 : एक नजर में

चर्चा का करण

हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2019-20 पेश किया जिसमें उन्होंने सशक्त राष्ट्र, सशक्त नागरिक के सिद्धांत पर जोर दिया।

परिचय

आम बजट में सरकार आने वाले नए वित्त वर्ष का लेखा-जोखा पेश करती है। सरकार संसद को बताती है कि आने वाले एक साल में वह किस काम के लिए कितना पैसा खर्च करेगी। वैसे तो देश के संविधान में बजट शब्द का जिक्र नहीं है लेकिन जिसे हम बोलचाल की भाषा में आम बजट कहते हैं, उसे संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इसमें एक वित्त वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का विस्तृत ब्योरा होता है।

केन्द्रीय बजट 2019-20 की मुख्य विशेषताएँ

केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट (वर्ष 2019-20) की प्रमुख विशेषताओं को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत देखा जा सकता है-

कर (टैक्स) प्रावधान

- सरकार ने प्रस्तुत बजट में आम आदमी को राहत देते हुए 5 लाख तक की इनकम पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाने का प्रस्ताव किया है।
- वहीं 25 प्रतिशत कॉरपोरेट कर के लिए सीमा 250 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ वार्षिक टर्न ओवर करने की घोषणा की गई है। इस फैसले से 99.39 प्रतिशत कंपनियाँ इस दायरे में आ जाएंगी। इसका मतलब है कि अब सालाना 400 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 प्रतिशत की दर से कॉरपोरेट टैक्स देना होगा। विदित हो कि पहले 250 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 प्रतिशत टैक्स देय था।
- इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की बात कही गई है। इसके साथ ही स्टार्टअप के लिए बड़ी छूट की घोषणा की गयी है। इसके तहत अब स्टार्ट अप को एंजल टैक्स नहीं देना होगा, साथ ही आयकर विभाग भी इनकी जांच नहीं करेगा।
- सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए कई घोषणाएँ की है। उल्लेखनीय है कि अब 45 लाख रुपये का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी।
- हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट अब 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख हो गई है। विदित हो कि यह छूट 45 लाख रुपये तक का मकान खरीदने वालों को मिलेगा। इसके अतिरिक्त 2.5 लाख रुपये तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर भी छूट दी जाएगी।
- सरकार ने ITR (आयकर रिटर्न) के लिए भी घोषणा किया है। अब आधार कार्ड से भी लोग अपना इनकम टैक्स भर पाएंगे। यानी अब पैन कार्ड होना जरूरी नहीं होगा, पैन या आधार कार्ड से काम हो जाएगा।
- यदि कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उस पर 2 प्रतिशत का TDS (Tax Deducted at Source) लगाया जाएगा। यानी सालाना 1 करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर 2 लाख रुपये टैक्स में ही कट जाएगा।
- वहीं अब 2 से 5 करोड़ रुपये सालाना कमाने वालों पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स लगेगा और 5 करोड़ रुपये से अधिक कमाने पर 7 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स देना होगा।

गाँव, गरीब और किसानों के लिए प्रावधान

सरकार ने आम बजट में गांव, गरीब और किसानों के लिए कई प्रावधान किए हैं। इन घोषणाओं को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-

- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत साल 2019-20 से साल 2021-22 तक पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान मुहैया कराये जाएंगे।
- इनमें रसोई गैस, बिजली और शौचालयों जैसी सुविधाएँ होंगी।
- गौरतलब है कि 5.6 लाख गाँव अब तक खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ 95 प्रतिशत से अधिक शहरों को भी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। विदित हो कि 2 अक्टूबर, 2014 से अब तक 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।
- इसके साथ ही स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक गाँव में सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये स्वच्छ भारत मिशन का विस्तार किये जाने की घोषणा की गई है।
- प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लगभग 81 लाख घरों के निर्माण के लिये 4.83 लाख करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी गई है।
- 26 लाख से भी अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है और लगभग 24 लाख घर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

कृषि को बढ़ावा

- किसानों के उत्पादों को उनके खेतों से बाजार तक पहुँचाने व मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा देने के लिए संबंधित क्रियाकलापों में लगे निजी उद्यमियों को सहायता दी जाने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है।
- सरकार ने ई-नाम यानी कृषि के इलेक्ट्रॉनिक

बाजार से किसानों को लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने की योजना बनायी है।

- इसके साथ ही किसानों की बेहतर आर्थिक स्थिति सुनिश्चित करने के लिये 10,000 नये किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे।
- कृषि-ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में 75 हजार उद्यमियों को कौशल प्रदान किया जाएगा।
- मछुआरों की आजीविका को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्यिकी ढांचे की स्थापना की जाएगी।
- इस योजना के जरिये अवसंरचना, आधुनिकीकरण, उत्पादन, फसल कटाई उपरांत प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण आदि में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाएगा।
- सरकार द्वारा खाद्यानों, दलहनों, तिलहनों, फलों और सब्जियों की स्व-पर्याप्तता और निर्यात पर विशेष रूप से जोर दिया गया है।

जल जीवन मिशन

- सरकार ने प्रस्तुत बजट में माना है कि नया जल शक्ति मंत्रालय एक समन्वित और समग्र रूप से हमारे जल संसाधनों और जल आपूर्ति के प्रबंधन की देख-रेख करेगा।
- जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिये 'हर घर जल' (पाइप द्वारा जल आपूर्ति) के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा।
- स्थानीय स्तर पर जल की माँग और आपूर्ति पर आधारित प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा।
- इसके निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचने के क्रम में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को एक साथ मिलाया जाएगा।

शिक्षा, कौशल एवं रोजगार सृजन

प्रस्तुत बजट में शिक्षा, कौशल एवं रोजगार सृजन पर ध्यान देते हुए निम्नलिखित घोषणाएँ की गई हैं-

- शिक्षा के क्षेत्र में 2019-2020 में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान टॉप 200 में भारत के सिर्फ तीन शिक्षा संस्थान ही शामिल हैं।
- नई नीति में स्कूलों और कॉलेजों में बदलाव की योजना है।
- देश में नई शिक्षा नीति लाई जाएगी।
- नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा।
- अध्ययन नामक कार्यक्रम की शुरुआत होगी।
- भारत के युवाओं को विदेश में नौकरी में दिक्कत न आए, इसके लिए खास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके तहत युवाओं को विदेश में नौकरी के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

आगामी दशक के लिये दस लक्ष्यों की परिकल्पना

- भौतिक और सामाजिक अवसंरचना का निर्माण करना।
- डिजिटल इंडिया को अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुँचाना।
- हरित मातृभूमि और प्रदूषण मुक्त भारत बनाना।
- MSME, स्टार्टअप, रक्षा निर्माण, ऑटो, चिकित्सा उपकरणों पर जोर।
- जल प्रबंधन और स्वच्छ नदियाँ।
- ब्लू इकोनॉमी (नीली अर्थव्यवस्था)।
- अंतरिक्ष कार्यक्रम- गगनयान, चंद्रयान और उपग्रह कार्यक्रमों की शुरूआत करना।
- खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, फलों और सब्जियों में आत्मनिर्भरता और निर्यात को बढ़ाना।
- स्वस्थ समाज, आयुष्मान भारत, सुपोषित महिलाएँ, बच्चों की सुरक्षा के जरिए बेहतर समाज का निर्माण करना।
- जन भागीदारी न्यूनतम सरकार-अधिकतम अभिशासन को लाना।

अवसंरचना

सरकार ने बजट में वास्तविक कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए निम्न आधारभूत संरचनाओं पर बल दिया है।

सड़कः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पात्र और व्यवहार्य आवास स्थलों को सड़क संपर्क से जोड़ने की गति तेज करने के लिये इन्हें पूरा करने का निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2022 से कम करके वर्ष 2019 किया गया है। ऐसे 97 प्रतिशत आवास स्थलों को सभी मौसमों के लिये अनुकूल सड़क संपर्क से जोड़ दिया गया है।

- गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत 80,250 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अगले पाँच वर्षों में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का उन्नयन किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त सरकार ने भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण में राज्य सड़क नेटवर्क विकसित किये जाने की घोषणा की है।

इलेक्ट्रिक वाहन

- FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid & Electric Vehicles in India) योजना के दूसरे चरण के लिए 3 वर्ष के लिए 10,000 करोड़ रुपए का व्यय मंजूर किया गया है।
- FAME योजना के अंतर्गत केवल अत्याधुनिक बैट्री चालित और पंजीकृत ई-वाहनों को ही प्रोत्साहन दिया गया है।

रेल

- रेलवे के लिये 65,837 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं और पूंजीगत खर्च के लिये 1.60 लाख करोड़ रुपए तय किये गए हैं।
- सरकार की तरफ से नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड की भी घोषणा की गयी है, जिसका इस्तेमाल रेलवे और बसों में किया जाएगा। इसे रूपे कार्ड की मदद से चलाया जा सकेगा।

जलमार्ग

- जलमार्ग विकास परियोजना के तहत गंगा नदी की नौवहन क्षमता बढ़ाने के लिए साहिबगंज और हल्दिया में दो टर्मिनल तथा फरक्का नदी में एक नेवीगेशनल लॉक का कार्य 2019-20 के अंत तक पूरा करने की घोषणा की गई है।
- विदित हो कि गंगा नदी पर कार्गो की आवाजाही अगले चार सालों में करीब चार गुना बढ़ जाने का अनुमान है, जिससे माल और यात्रियों की आवाजाही सस्ती हो जाएगी।
- वित्त मंत्री ने अपने भाषण में जलमार्ग के प्रति सरकार की सजगता को स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का है। सरकार इसके लिए जल रास्ते को बढ़ावा देने के साथ ही वन नेशन, वन ग्रिड पर बल देगी, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है।

विमानन क्षेत्र

- विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए रख-रखाव, मरम्मत और समग्र विकास के लिए नीतिगत हस्तक्षेप पर बल दिया गया है।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज

- इलेक्ट्रॉनिक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म को सेबी के विनियामक दायरे में लाया जाएगा।
- सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध किया जाएगा।
- इक्विटी, ऋण या म्यूचुअल फंड जैसी यूनिटों की तरह पूंजी जुटाया जाएगा।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिये KYC मानदंडों को अधिक-से-अधिक अनुकूल बनाया जाएगा।
- सेबी सूचीबद्ध कंपनियों में न्यूनतम सरकारी

शेयरधारिता 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने पर भी विचार करेगा।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

- आम बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढ़ाने की बात कही गई है। उड्डयन, इंश्योरेंस, मीडिया और एनिमेशन सेक्टर में 100 फीसदी एफडीआई करने का प्रस्ताव है।
- इसके साथ एकल ब्रांड के खुदरा क्षेत्र में FDI के लिये स्थानीय स्रोत के मापदंडों को आसान बनाया जाएगा।
- एफपीआई (फॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टमेंट) के लिए वैधानिक या सांविधिक सीमा 24 प्रतिशत से बढ़ाकर सेक्टरवाइज विदेशी निवेश सीमा तक करने का प्रस्ताव भी किया गया है।
- एफपीआई को अवसंरचना निवेश ट्रस्ट, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट द्वारा जारी सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों को सब्सक्राइब करने की अनुमति दी गई है।
- एनआरआई पोर्टफोलियो निवेश योजना मार्ग का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश मार्ग में विलय का प्रस्ताव भी सरकार द्वारा किया गया है।
- सरकारी क्षेत्र के उद्यम न्यूज स्पेस इंडिया लिमिटेड को अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्यिक शाखा के रूप में शामिल किया गया है।

पारम्परिक उद्योग उन्नयन एवं पुनर्जीवन निधि योजना/(SFURTI) स्फूर्ति योजना

- सरकार ने बजट के दौरान 'पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिये कोष की योजना/स्फूर्ति योजना (Scheme of Fund for Upgradation and Regeneration of Traditional Industries- SFURTI) के तहत और अधिक साझा सुविधा केंद्रों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है।
- इससे पारंपरिक उद्योगों को और ज्यादा उत्पादक, लाभप्रद एवं सतत् रोजगार अवसरों को सृजित करने में सक्षम बनाने के लिये क्लस्टर आधारित विकास को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।
- इसके तहत फोकस वाले क्षेत्र या सेक्टर जैस- बाँस, शहद और खादी समूह हैं।
- 'स्फूर्ति' योजना के तहत वर्ष 2019-20 के दौरान 100 नए समूह (Cluster) स्थापित करने की परिकल्पना की गई है जिससे 50,000 कारीगर आर्थिक मूल्य शृंखला से जुड़ सकेंगे।

श्रम

- पंजीकरण को मानकीकृत और सरल बनाने तथा रिटर्न फाइल करने के लिये विविध श्रम कानूनों को सरल बनाने के लिये चार श्रम कोड (श्रम संहिता) के सेट का प्रस्ताव किया गया है।
- लगभग 30 लाख कामगार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानदंड योजना में शामिल हो गए हैं। इस योजना के तहत असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्रों के मजदूरों को 60 साल की उम्र होने पर पेंशन के रूप में 3000 रुपए प्रतिमाह देने का प्रावधान है।

महिलाएँ

वित्त मंत्री ने बजट 2019 में महिलाओं के लिए कई घोषणाएँ की हैं।

- महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ, मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को सस्ता लोन देने का एलान किया गया है। महिला उद्यमियों को अब एक लाख तक का लोन दिया जाएगा।
- साथ ही जन धन खाते वाले प्रत्येक सत्यापित महिला एसएचजी (सेल्फ हेल्प ग्रुप) सदस्य को 5000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की अनुमति दी गई है।
- लैंगिक भेदभाव दूर करने के लिए सरकारी और निजी हितधारकों के साथ एक समिति प्रस्तावित की गई है।
- इसके अतिरिक्त स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत महिलाओं, SC-ST उद्यमियों को लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

रक्षा एवं स्वास्थ्य

- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा बजट में 6.87 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। विदित हो कि रक्षा बजट के लिये 3.18 लाख करोड़ रुपए दिये गए हैं। यह वर्ष 2018-19 के 2 लाख 95 हजार 511 रुपए की तुलना में 7.93 प्रतिशत अधिक है और पिछली बार से इसमें 20 हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है।
- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये 62,398 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

डिजिटल इंडिया

आम बजट में डिजिटल इंडिया (Digital India) पर खासा जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि भारत में इंटरनेट सेवा देने के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है।

- गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत दो करोड़ से अधिक ग्रामीणों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया गया है।
- ग्रामीण और शहरी भेदभाव को दूर करने के लिये भारतनेट के तहत प्रत्येक पंचायत में स्थानीय निकायों को इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जा रही है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- सरकारी बजट।

■

2. भारत में सामाजिक अवसंरचना एवं मानव विकास

संदर्भ

सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अंतर्गत 17 और अन्य 169 लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक पूरा करने हेतु वैश्विक भागीदारी को आवश्यक समझा गया है। भारत सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मजबूत सामाजिक अवसंरचना महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत को जनसांख्यिकीय लाभ पाँच दशकों अर्थात् वर्ष 2005-06 से लेकर वर्ष 2055-56 तक सुलभ होगा जो कि विश्व में किसी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक है।

परिचय

समावेशी विकास भारत के विकास के एजेंडे की आधारशिला रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा इस दिशा में किये गये प्रयासों को ''सबका साथ, सबका विकास'' के मंत्र के माध्यम से तेज किया गया है। चूंकि भारत एक विकासशील

अर्थव्यवस्था है साथ ही यहां संसाधनों की कमी भी है, अतः भारत द्वारा सतत् और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक अवसंरचना पर होने वाले खर्च को प्राथमिकता देनी होगी तथा उक्त खर्च को उपयुक्त बनाना होगा। भारत में शैक्षिक मानकों में सुधार करके युवाओं को कौशलपूर्ण बनाकर, नौकरी के अवसरों को बढ़ाकर, बीमारी के बोझ को कम करके और महिलाओं को सशक्त बनाने जैसे कार्यों के जरिए भविष्य में समृद्धशाली अर्थव्यवस्था की क्षमता को साकार करने में मदद मिलेगी।

मानव विकास सूचकांक

वर्ष 1990 से लेकर वर्ष 2017 में मध्य भारत के एचडीआई (मानव विकास सूचकांक) में काफी सुधार हुआ है। भारत का एचडीआई 0.427 से बढ़कर 0.640 हो गया है, लेकिन इसके समकक्ष देशों (एशियाई और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं) में इसकी स्थिति न्यूनतम ही है। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) के अनुसार, भारत 189 देशों में 130वें स्थान पर है। इसके अलावा भारत क्षेत्रीय और मानव विकास में अंतर-राज्य विषमताओं को भी दर्शाता है, जो राज्य स्तरीय एचडीआई द्वारा परिलक्षित होता है।

यूएनडीपी द्वारा वर्ष 1990 और वर्ष 2017 की अवधि के लिए विभिन्न राज्यों के संबंध में जारी किए गए उपराष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक (एसएचडीआई) से यह पता चलता है कि सभी राज्यों ने मानव विकास के स्तरों में महत्वपूर्ण सुधार किया है।

लैंगिक मुद्दे

चूंकि वैश्विक स्तर पर वर्ष 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की आशा है। इसको निर्धारित करने में ''लैंगिक समानता'' (एसडीजी-5) एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक है। महिलाओं की भूमिका न केवल कृषि और औद्योगिक सेक्टर में बल्कि गवर्नेंस, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी), उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इत्यादि जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए हैं।

वित्तीय समावेशन और महिलाओं की घरेलू स्वायत्तता का स्तर: महिलाओं के वित्तीय समावेशन के मद्देनजर अखिल भारतीय स्तर पर, बैंक या बचत खाते रखने वाली महिलाओं का अनुपात वर्ष 2005-06 में 15.5% से बढ़कर 2015-16 में 53% हो गया है।

जहाँ तक घरेलू निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी का संबंध है, इसमें भी काफी सुधार हुआ है। हाल ही में विवाहित महिलाओं की भागीदारी वर्ष 2005-06 में 76.5% से बढ़कर वर्ष 2015-16 में भारतीय स्तर पर 84% हो गई है। घरेलू निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी के मामले में छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तरी-पूर्वी राज्य सबसे आगे हैं।

सामाजिक क्षेत्र के खर्च की प्रवृत्तियाँ

वर्ष 2014-15 से 2018-19 (बजट अनुमान) की अवधि के दौरान केन्द्र और राज्यों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सामाजिक सेवाओं पर खर्च में 1% से अधिक अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक सेवाओं पर खर्च वर्ष 2014-15 में 6.2% से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 7.3 प्रतिशत तक हो गया। सभी सामाजिक क्षेत्रों, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि देखी गई जिस कारण सकल घरेलू उत्पाद का सार्वजनिक व्यय 2014-15 में 2.8% से बढ़कर 2018-19 में 3% हो गया। इसी वर्ष कुल बजटीय व्यय में से सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा वर्ष 2013-14 में 24.9 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 26 प्रतिशत हो गया। बजट 2019-20 में सरकार ने सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य पर 2018-19 की तुलना में 3,29,114 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी की है, जो राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% रखता है।

सभी के लिए शिक्षा

भारत सरकार सभी के लिए जीवन पर्यन्त शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देने के साथ-साथ समतापूर्ण, समावेशी और गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना चाहती है। इसके लिए 2019-20 के बजट में शिक्षा पर 3000 करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है।

शैक्षणिक सांख्यिकी की एक झलक (ईएसएजी) (Educational Statistics at a Glance), 2018 के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने पर जोर देने से सकल नामांकन दर (जीईआर) (Gross Enrolment Ratio) में सामाजिक श्रेणियों और महिलाओं के संबंध में अच्छे परिणाम हासिल हुए हैं। इन वर्षों में, माध्यमिक स्तर पर महिला भागीदारी के संबंध में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और बालिकाओं के लिए कुल नामांकन दर लड़कों की कुल नामांकन दर से बढ़ गई है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएसओ) 71वें राउण्ड (2014) के अनुसार, छात्रों के बीच में पढ़ाई छोड़ने के कारण, आर्थिक गतिविधियाँ, पढ़ाई में रुचि का अभाव और वित्तीय बाधाएं हैं। दसवीं से बारहवीं में जाने की दर और उससे आगे उच्चतर शिक्षा में जाने की दर भी काफी नीचे है। प्राइमरी स्कूलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात अपर प्राइमरी के लिए 23. 17, माध्यमिक के लिए 27 और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए 37 है।

शिक्षा परिणामः शिक्षा की सुधरती हुई गुणवत्ता

वर्ष 2014 से 2018 तक की शैक्षिक रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति (एएसईआर, 2018) (Anual Status of Education Report) के अनुसार, कक्षा III के विद्यार्थियों के लिए मौलिक साक्षरता और अंकीय ज्ञान दोनों में क्रमिक सुधार हुआ है, किन्तु अभी भी उनमें से एक चौथाई ही ग्रेड स्तर पर (पढ़ने की क्षमता और कक्षा II स्तर के जोड़-घटाव जैसा मूल कार्य करना) होते हैं। रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि कक्षा VIII पास करने वाले 4 छात्रों में से 1 छात्र को मौलिक वाचन कौशल (कम से कम कक्षा II स्तर पर पढ़ने की योग्यता) नहीं होता है। इस संबंध में, आरंभिक अवस्था तक भाषाओं (हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू), गणित, पर्यावरणिक अध्ययनों, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्रत्येक कक्षा के लिए परिणामी शिक्षण स्तर का विकास किया गया।

शिक्षकों की कमी: 31 मार्च, 2016 तक सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की 9.08 लाख रिक्तियों के साथ शिक्षकों की कमी एक स्थायी समस्या बनी हुई है। डी.एड/ बी.एड कार्यक्रम में पास-आउट की उच्च संख्या और शून्य नामांकन विद्यालयों में अधिशेष शिक्षकों की संख्या के बावजूद यह स्थिति विद्यमान है।

कौशल विकास

स्कूली शिक्षा प्रणाली से जनता के शिक्षा स्तर में सुधार होता है। यह कौशल प्रशिक्षण ही है जो युवाओं को श्रमिक बाज़ार में प्रवेश करने के लिए सुसज्जित करता है और उनकी नियोजनीय क्षमता में सुधार करता है। एनएसएसओ की वर्ष 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल कामगारों में से केवल 2.3 प्रतिशत कामगारों को ही केवल ''औपचारिक क्षेत्रीय कौशल प्रशिक्षण'' प्राप्त था। वर्ष 2015 में कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रनीति को सूत्रबद्ध किया है

जिसके अंतर्गत वर्ष 2022 तक कौशल भारत मिशन को सूत्रबद्ध किया गया है।

सभी के लिए स्वास्थ्य

सरकार लोक स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने, स्वास्थ्य असमानताओं को कम करने और सभी के लिए सुलभ स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि सर्व सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इस संदर्भ में सरकार ने निम्नलिखित प्रयास किये हैं-

स्वास्थ्य की स्थिति: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अपने दो उप मिशन राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की सार्वभौमिक पहुँच की परिकल्पना करता है जो लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार हो।

मातृत्व स्वास्थ्य: भारत के मातृत्व मृत्यु संख्या के अनुपात में तीन वर्ष की समयावधि में 37 बिन्दुओं की कमी आई है। वर्ष 2011-13 में 167/लाख जीवित जन्म था। वर्ष 2014-16 में 130/लाख जीवित जन्म 1990 और 2015 के बीच भारत में मातृ मृत्यु दर वैश्विक औसत में 44 प्रतिशत की तुलना में 77 प्रतिशत कम हो गया है।

बाल शिशु स्वास्थ्य: नवीनतम प्रतिदर्श पंजीकरण रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत में पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्युदर 39/1000 जीवित जन्म है, शिशु मृत्यु दर 34/1000 तथा नवजात मृत्युदर 24/1000 है। वर्ष 2008-2016 की अवधि के दौरान 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में द्रुतगति से कमी आई है जो वर्ष 1990-2007 की अवधि में 3.3 की कुल वार्षिक कमी की तुलना में 6.7 प्रतिशत की कुल वार्षिक कमी दर्ज की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचना

स्वास्थ्य संरचना का विद्यमान होना स्वास्थ्य देख-रेख प्रणालियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण सूचक है। ''भारतीय जन स्वास्थ्य मानक'', एक रूप मानकों का समूह है। जिन राज्यों में भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कार्य कर रहे थे, मातृत्व मृत्यु अनुपात की रेंज 1.7 प्रतिशत (हरियाणा) से लेकर 100 प्रतिशत (आंध्र प्रदेश) के बीच है।

आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वे राज्य हैं जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों का पालन कर रहे हैं और जो प्रसव पूर्व देखरेख का स्तर ऊंचा बनाए हुए हैं जिसके कारण निम्न मातृत्व मृत्यु दर दिखाई पड़ती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश वे राज्य हैं जहाँ भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुसार कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की प्रतिशतता बहुत कम है और जहाँ मातृत्व मृत्यु अनुपात अधिक है।

ग्रामीण विकास

ग्रामीण सम्पर्क: लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके सम्पर्क (कनेक्टिविटी) में काफी सुधार किया जा सकता है जिससे चिकित्सा सेवाओं, बाजारों और कई अन्य सामाजिक सेवाओं तक उनकी पहुँच बढ़ेगी। वर्ष 2000 में शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य राज्यों को पक्की सड़कों द्वारा गांवों को जोड़ने के लिए ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए धन मुहैया कराना है।

कुछ बेहतर कार्यनिष्पादन करने वाले राज्य महाराष्ट्र असम, उत्तर प्रदेश एवं ओडिशा हैं। जबकि दूसरी तरफ सिक्किम, मिजोरम, गोवा, मेघालय हैं जहाँ ग्रामीण सड़कों की लंबाई बहुत कम है। पहाड़ी इलाकों के कारण उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (असम को छोड़कर) में कुल लंबाई भी बहुत कम है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण सड़कों में ग्रीन प्रौद्योगिकियों और गैर-पारंपरिक सामग्रियों जैसे- अपशिष्ट प्लास्टिक, कोल्ड मिक्स जियो टेक्सटाइल्स, फ्लाई ऐश, लोहा (आयरन) और कॉपर स्लैग आदि के उपयोग को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह ग्रामीण सड़क के ''कार्बन फुटप्रिंट'' में कमी लाने, पर्यावरण प्रदूषण में कमी करने, कार्य करने की अवधि में वृद्धि करने और मूल्य प्रभाविता में कमी लाने के लिए है। अभी तक 28,619 किलोमीटर की सड़क का निर्माण ''ग्रीन प्रौद्योगिकियों'' का प्रयोग करते हुए किया जा चुका है तथा वर्ष 2018-19 में 14,756 किलोमीटर की रिकॉर्ड लंबाई वाली सड़क का निर्माण किया गया था।

वर्ष 2019 के बजट में ग्रामीण सम्पर्क को बढ़ावा देने के लिए 2022 तक कुल ग्रामीण सम्पर्क क्षेत्र के 97% हिस्से को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लाभ दिया जाएगा साथ ही साथ यह सड़क सभी मौसमों के अनुकूल होगी।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को 31 मार्च, 2019 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ एक करोड़ पक्के घरों का निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। 2014-19 के दौरान 1.54 करोड़ घरों का निर्माण किया गया, जिसमें पाइप से पेय जल, स्वच्छ भारत मिशन/महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत शौचालयों का निर्माण, सौभाग्य कार्यक्रम के तहत बिजली के कनेक्शन, उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन; जैसे सरकारी पहलों के अभिसरण भी शामिल हैं। इसमें इंदिरा आवास योजना के तहत निर्मित घरों को भी शामिल किया गया है।

इंदिरा आवास योजना के तहत एक घर का निर्माण कार्य पूरा होने में लगने वाले दिनों की औसत संख्या 314 दिन (10 महीने से अधिक) थी, जबकि 2016-17 में प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना के पहले वर्ष एक घर का निर्माण कार्य पूरा होने में लगने वाले दिनों की औसत संख्या 221 (सात महीने) दिन थी और 2017-18 में प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना के द्वितीय वर्ष एक घर का निर्माण कार्य पूरा होने में लगने वाले दिनों की औसत संख्या घटकर 114 दिन (तीन महीने) हो गई है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित 1.95 करोड़ लोग को अगले फेज (2019-20 से 2021-2022) में शौचालय, विद्युत और LPG कनेक्शन में दिये जाएँगे।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 का उद्देश्य, एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवारों, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने के लिए इच्छुक हों, को कम से कम सौ दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। निर्धारित गुणवत्ता और स्थायित्व, सामाजिक समावेश, लैंगिक समानता, सामाजिक सुरक्षा और समान विकास की उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के आधारभूत स्तंभ हैं।

मनरेगा गरीब ग्रामीणों और अकुशल लोगों को रोजगार प्रदान करके ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी से निपटने का एक सहायक और मार्गदर्शी कारक रहा है। इसके द्वारा 267.96 करोड़ प्रति व्यक्ति दिन रोजगार का सृजन किया गया है।

निष्कर्ष

भारत के विकास का निर्दिष्ट पथ सामाजिक अवसंरचना में निवेश के साथ गहन रूप में गुथा हुआ है। जनांकिकीय लाभ को प्राप्त करने के लिए सरकार शिक्षा एवं कौशल विकास के संवर्द्धित नतीजे प्राप्त करने तथा सभी के लिए रोजगार और वहनीय चिकित्सा देखरेख उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कनेक्टिविटी बढ़ाने, आवास उपलब्ध कराने तथा सामाजिक आर्थिक संकेतकों के बीच लैंगिक अंतरों को भरने के लिए विकास कार्यक्रमों का उन्नयन किया जाना सतत् विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति भारत के मानव पूंजी और समावेशी विकास में निवेश पर टिका है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

■

3. स्वयं सहायता समूह : महिला सशक्तिकरण का एक प्रमुख माध्यम

चर्चा का कारण

हाल ही में भारत सरकार ने बजट 2019-20 में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को बढ़ावा देने तथा देश की विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए स्वयं सहायता समूह को दिए जाने वाले ब्याज सब्सिडी कार्यक्रमों का सभी जिलों में विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही जनधन बैंक खाते वाले स्वयं सहायता समूह की प्रत्येक महिला एसएचजी सदस्य को 5000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाएगी।

परिचय

बांग्लादेश में 1970 के दशक के दौरान गरीब और समाज के निम्न तबके के लोगों के जीवन में आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु 'स्वयं सहायता समूह' की अवधारणा को 'बांग्लादेश ग्रामीण बैंक' के रूप में जीवंत रूप प्रदान करने वाले नोबल पुरस्कार विजेता प्रो. मोहम्मद यूनुस का योगदान अविस्मरणीय है। आज भी 'स्वयं सहायता समूह' बहुत प्रासंगिक है। इन समूहों के माध्यम से सभी सदस्य अपनी सामूहिक बचत निधि से जरूरतमंद सदस्य को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं जिससे वह सदस्य स्थानीय आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से आजीविका उपार्जन हेतु अपनी उद्यमशीलता को आकार प्रदान करता है।

विकासशील देशों के लिए स्वयं सहायता समूह जमीनी-स्तर पर जनसामान्य के आर्थिक सशक्तिकरण का एक प्रमुख माध्यम है। वहीं दूसरी ओर इस अवधारणा को न केवल सामान्य लोगों द्वारा अपनाया जाता है बल्कि दुनिया भर की सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाएँ भी स्वयं सहायता समूह के महत्त्व को बखूबी समझती हैं।

भारत में आर्थिक उदारीकरण (1991-92) के दौरान स्वयं सहायता समूहों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया तथा इस प्रक्रिया में नाबार्ड की भूमिका प्रमुख रही। वहीं भारत की नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान स्वयं सहायता समूहों को जमीनी-स्तर पर विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन में उपयोग में लाया गया।

स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य

- गरीब लोगों के बीच नेतृत्व क्षमता का विकास करना।
- स्कूली शिक्षा में योगदान करना।
- पोषण में सुधार करना।
- जन्म दर में नियंत्रण करना।

कई स्वयं सहायता समूह नाबार्ड की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज (Self Help Groups Bank Linkage) कार्यक्रम की तरह बैंकों से उधार लेते हैं, इस मॉडल ने सेवाओं को गरीब जनसंख्या तक पहुँचाने का कार्य किया है।

नाबार्ड का अनुमान है कि भारत में 2.2 मिलियन स्वयं सहायता समूह है, जो 33 मिलियन सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज कार्यक्रम कुछ राज्य में भी शुरू किया गया है, जैसे- आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक।

स्वयं सहायता समूहों का ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान

- सामाजिक उद्यमिता को प्रोत्साहन देने में सहायक।
- लोगों में उद्यमशीलता, प्रबंधकीय गुणों जैसे नेतृत्व व निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि का विकास।
- आर्थिक गतिविधियों द्वारा मूल्यवर्द्धक वस्तुओं का उत्पादन।
- नवाचार एवं रचनात्मक उद्योगों (क्रिएटिव इंडस्ट्रीज) को प्रोत्साहन।
- रोजगार, स्वरोजगार व उद्यमिता से गरीबी उन्मूलन में सहायक।
- विभिन्न संसाधनों (मानव, वित्तीय, प्राकृतिक एवं अन्य) के समुचित उपयोग से स्थानीय माँगों के अनुरूप वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना।
- महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे अचार, पापड़, बड़ी, दलिया, आटा, अगरबत्ती, मुरब्बा इत्यादि की सुगम उपलब्धता से महिलाओं व बच्चों के पोषण तथा विकास में महत्वपूर्ण योगदान।
- ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में होने वाले पलायन को रोकने में सहायक।
- स्वैच्छिक बचत और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन।
- श्रम-आधारित नए रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्रों को बढ़ावा।
- क्षेत्रीय आर्थिक व सामाजिक असमानता को कम करने में सहायक।

भारत के विभिन्न राज्यों जैसे- छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना इत्यादि में महिला स्वयं सहायता समूह विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं।

लाभ

- विगत कुछ वर्षों में देखा जाए तो इसमें महिलाएँ बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं जिससे समाज में उनकी स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।
- स्वयं सहायता समूहों के सदस्य अपने नियमित बचत से एक कोष बना लेते हैं और उस कोष का उपयोग आपातकालीन स्थिति में अपने सामूहिक उद्देश्य के कार्य हेतु करते हैं।

- स्वयं सहायता समूह अपने कोष के पैसे से ग्रामीण आधारित सूक्ष्म या लघु उद्योग की शुरूआत भी करते हैं जिससे रोजगार के नये अवसर सृजित होते हैं।
- इन समूहों में से ही किसी को नेतृत्व दे दिया जाता है जो सारे प्रबंधन का कार्य करता है।
- इन समूहों को बैंकों द्वारा धन दिया जाता है, जिससे वित्तीय लेन-देन में आसानी होती है।
- स्वयं सहायता समूहों के निर्माण होने से दूसरे संस्थानों पर वित्तीय निर्भरता कम हो जाती है।

चुनौतियाँ

- **ज्ञान की कमी:** ग्रामीण स्तर पर देखें तो लोगों में इसके प्रति जागरूकता की कमी है क्योंकि स्वयं सहायता समूहों में काम करने वाले लोग अधिकतर अशिक्षित होते हैं।
- **बैंकिंग सुविधाओं का अभाव:** भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की अगर बात करें तो 6 लाख गाँव में केवल 1.2 लाख बैंकिंग शाखाएँ हैं जो कि औसत से भी कम है। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सेवाएँ जल्दी प्रदान करने को तैयार नहीं होते हैं।
- भारत में खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक मानसिकता का होना, जो कि स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की भागीदारी को हतोत्साहित करते हैं।
- **स्थायित्व तथा सुरक्षा:** स्वयं सहायता समूहों के स्थायित्व और उनकी गुणवत्ता का विषय हमेशा से मुख्य मुद्दा रहा है साथ ही इनकी सुरक्षा का दायित्व कौन ले इस पर समूहों के सदस्यों के पास कोई जवाब नहीं है।
- स्वयं सहायता समूह केवल सूक्ष्म वित्त और सूक्ष्म उद्यमिता को बढ़ाने में सक्षम है जो उनके आर्थिक संसाधनों को सीमित करते हैं।
- स्वयं सहायता समूह के कार्य आज भी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं जो इनके निम्न कौशल को दर्शाते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य लोगों की कमी है। योग्यता की कमी होने के कारण इन स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को प्रशिक्षण ठीक से नहीं मिल पाता, इसके अलावा क्षमता निर्माण और कौशल प्रशिक्षण के लिए संस्थागत तंत्र का अभाव है।
- स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों पर बहुत अधिक निर्भर है, जैसे ही इन संस्थाओं द्वारा अपना समर्थन वापस लिया जाता है वैसे ही इनका पतन हो जाता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी होने के कारण, स्वयं सहायता समूहों के द्वारा तैयार माल को बाजार तक पहुँचाने में कठिनाई होती है।

सरकारी प्रयास

वित्तमंत्री ने अपने बजट 2019-20 में महिलाओं के लिए 'नारी तू नारायणी/महिला' के लिए कई घोषणाएँ की हैं, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

- महिला नेतृत्व पहलों और आन्दोलनों के लिए महिला केन्द्रित नीति निर्माण के दृष्टिकोण में बदलाव।
- बजट 2019-20 में लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए सरकारी और निजी हित धारकों के साथ एक समिति प्रस्तावित की गयी है।
- महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ ही मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को सस्ता लोन देने का ऐलान किया गया है। महिला उद्यमियों को अब एक लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा।
- साथ ही जन धन खाते वाले प्रत्येक सत्यापित महिला एसएचजी (सेल्फ हेल्प ग्रुप) सदस्य को 5000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की अनुमति दी गई है।
- इसके अतिरिक्त स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं, SC/ST उद्यमियों को लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डीएवाई-एनआरएलएम गरीब ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। यह मिशन भारत सरकार की ग्रामीण गरीबी दूर करने की प्रमुख योजना है। 2011 में स्थापित इस मिशन का मार्च 2018 तक 29 राज्यों और 5 संघशासित प्रदेशों के 584 जिलों के 4456 ब्लॉकों में प्रसार हो चुका है। यह मिशन ग्रामीण महिलाओं को कृषि एवं गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों में आजीविका अपनाने में मदद कर रहा है। मिशन के तहत स्टार्ट अप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी), आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीईवाई) जैसी उपयोजनाओं के सफल कार्यान्वयन से ग्रामीण महिलाओं की उद्यमिता क्षमता सामने आई है।

दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए बैंक ऋण पर बल दिया जा रहा है ताकि उद्यम को बढ़ावा मिले। बैंकों द्वारा प्राप्त ऋण के माध्यम से कस्टम हायरिंग सेंटर, ग्रामीण परिवहन, कृषि तथा संबंधित कार्य, पशुपालन, बागवानी, हथकरघा तथा हस्तशिल्प, खुदरा व्यापार आदि जैसे उपयोगी उद्यमों को बढ़ावा देने में किया जा रहा है। पिछले 5 वर्ष में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए बैंक संपर्क दो गुना से अधिक हो गया है।

कौशल विकास से बढ़े रोजगार के अवसर

कौशल विकास के तहत अब तक 56 लाख से ज्यादा युवा प्रशिक्षित किए जा चुके हैं जिनमें से करीब 24 लाख अपने हुनर से जुड़े क्षेत्र में रोजगार पा चुके हैं। दरअसल देश में पहली बार भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट को लेकर एक समग्र और राष्ट्रीय नीति तैयार की। इसके लिए 21 मंत्रालयों और 50 विभागों में फैले कौशल विकास के कार्य को विशेष तौर पर गठित हुए कौशल विकास मंत्रालय के अधीन लाया गया है। 12,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू हुई उद्यमिता और कौशल विकास पहलों के संस्थानीकरण के प्रयास के रूप में नाबार्ड विशिष्ट संस्थाओं को सहायता प्रदान करता है, जो विभिन्न कौशलों पर आधारित ग्रामीण युवकों और महिलाओं को उद्यमिता विकास और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं जिससे उन्हें आजीविका के लिए बेहतर विकल्प प्राप्त होते हैं।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से युवाओं को उद्योग से संबंधित दक्षता का प्रशिक्षण और अपनी रोजगारपरकता में सुधार करने का मौका मिल रहा है। युवा वर्ग श्रम बाजार में प्रतिस्पर्द्धा के लिए तैयार हो सके, इसके लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के दक्षता कार्यक्रम उपलब्ध कराए हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राष्ट्रीय शहरी जीविकोपार्जन मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन इत्यादि।

मुद्रा योजना से बढ़े स्वरोजगार के अवसर

मुद्रा योजना के तहत अगस्त 2018 तक 8.19 करोड़ लोगों ने ऋण लिया है। यदि कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार मिलने का भी औसत मान लिया जाए तो 8.19 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। इस योजना के तहत अब तक 3.24 लाख करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं जिनमें ज्यादातर लघु उद्यमी हैं। इनमें से बड़ी संख्या उन लोगों की है जो इससे पहले किसी भी प्रकार के व्यवसाय से नहीं जुड़े थे। मुद्रा ऋण 10 लाख

रुपये तक के गैर-कृषि कार्यकलापों के लिए उपलब्ध है।

मुद्रा योजना महिला सशक्तिकरण का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। इस योजना के तहत 30 अगस्त 2018 तक 86,37,823 लोग लाभ ले चुके हैं, इनमें 70 प्रतिशत महिलाएँ हैं यानी लगभग छह करोड़ से अधिक महिलाओं ने इसका लाभ उठाया है।

स्टैंडअप इंडिया

इस योजना से देशभर में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये से 100 लाख रुपये तक की सीमा में ऋणों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हर बैंक को कहा गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि दलित, पिछड़े और महिलाओं को खोज कर इस स्कीम से उन्हें जोड़ें। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने कुटीर उद्योग को बेहतर बनाने की कोशिश की है। कुटीर उद्योग के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी बैंक या जिला उद्योग केन्द्र से भी संपर्क कर सकते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एनआरएलएम)

इस कार्यक्रम में विश्व बैंक ने निवेश किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब वर्गों को दक्ष और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान करना और स्थायी जीविकोपार्जन में वृद्धि और वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता में सुधार करना है, लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि दक्षता विकास में सतत निवेश किया जाए और उद्यमशीलता के जरिए उत्कृष्ट रोजगार सृजन के अवसरों को बढ़ाया जाए। भारत में कौशल की कमी को दूर करने और रोजगारपरकता को बढ़ाने के लिए ऐसी नीतियाँ और रणनीतियाँ बनाई जानी चाहिए जो श्रम प्रासंगिक शिक्षा प्रणालियों, कैरियर मार्गदर्शन, जीवन कौशल और तकनीकी-व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण योजनाओं तथा औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्र में 'ऑन द जॉब' प्रशिक्षण पर केंद्रित हों।

निष्कर्ष

भारतीय अर्थव्यवस्था में दहाई की गति प्राप्त करना तथा निरंतरता बनाए रखना बहुत ही महत्त्वाकांक्षी प्रतीत होता है, आज के बदलते भारत में आवश्यकता है कि विभिन्न महत्वपूर्ण चुनौतियों, जैसे सभी राज्यों में संतुलित समान आर्थिक विकास, सामाजिक सद्भाव, आगामी पीढ़ियों के मद्देनजर मानव-हित में पर्यावरणीय संरक्षण एवं संतुलन बनाते हुए 2030 तक समावेशी एवं सतत विकास के लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से रणनीतिक तौर पर प्राप्त किया जाये।

दूसरी ओर, निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी संस्थाएँ एवं स्वयं सहायता समूह अपने एकीकृत प्रयास से ग्रामीण भारत की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य समस्याओं का समाधान एवं प्रबंधन के बेहतर तरीके सहायक हो रहे हैं।

उपरोक्त सभी पहलुओं पर गौर करने और समझने के बाद यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण भारत के सामजिक-आर्थिक विकास में गैर-सरकारी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों एवं निजी क्षेत्र की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये सभी संस्थाएँ अपनी विभिन्न सामाजिक गतिविधियों और कार्यों से नए भारत के निर्माण में तथा विभिन्न सामाजिक विषमताओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भेदभाव, भ्रष्टाचार एवं महिला एवं बाल उत्पीड़न इत्यादि को जन आंदोलन एवं भागीदारी से दूर करने में सरकार व समाज को अपना बहुमूल्य योगदान दे सकती हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग -गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका।

■

4. ई-गवर्नेंस के जरिए नागरिकों का सशक्तिकरण

चर्चा का करण

हाल ही में पेश आम बजट में ई-गवर्नेंस (शासन) पर बल देते हुए वित्त मंत्री ने इसे सुशासन के लिए अनिवार्य माना है। उल्लेखनीय है कि वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में ई-गवर्नेंस को सशक्त करने के लिए भारतनेट (Bharatnet) परियोजना को आगे बढ़ाने की बात कही है। उनके अनुसार सरकार की योजना है कि भारतनेट योजना के तहत देश के सभी ग्राम पंचायतों में हाई-स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराया जाएगा। इस परियोजना को लागू करने के लिए सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनशिप (PPP) की सहायता लेगी। विदित हो कि ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत अभी तक लगभग 2 करोड़ ग्रामीण डिजिटल रूप से साक्षर हैं जिसे जल्द ही 6 करोड़ तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है।

परिचय

आज विश्व के विभिन्न देशों के मध्य सिमटती दूरियों का प्रमुख कारण सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार को माना जाता है। सूचना क्रांति से जहाँ लोगों के जीवन में बदलाव आया है, वहीं ई-शासन ने रही-सही कसर को पूरा कर दिया है। ई-शासन में 'ई' का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक से है। सामान्य रूप से ई-शासन का अर्थ है सरकारी क्रियाकलापों एवं परियोजनाओं आदि में सूचना संचार तकनीकी (ICT) का प्रयोग करते हुए लोक-कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त करना।

भारत में ई-शासन का प्रादुर्भाव सरकारी विभागों में तेजी से कंप्यूटरीकरण से शुरू हुआ है। विदित हो कि पारदर्शी, समयनिष्ठ व परेशानीरहित नागरिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए समाज के अंतिम तबके तक सूचना पहुँचाने की दिशा में भारत सरकार ने 90 के दशक के अंत में देश में ई-शासन योजना का शुभारंभ किया था। उसके बाद, केंद्र सरकार ने भारत में ई-गवर्नेंस पहल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना को 18 मई, 2006 को स्वीकृति प्रदान की, जिसमें 27 मिशन मोड परियोजनाएँ और 8 भाग हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग ने ही राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का खाका तैयार किया।

ई-गवर्नेंस की आवश्यकता क्यों

- ई-गवर्नेंस से प्रशासनिक कार्य एवं सेवाओं की दक्षता एवं गुणवत्ता में सुधार होता है। उदाहरण के तौर पर सब्सिडी का सीधे हितग्राही के बैंक खाते में जाने से यह सुनिश्चित होता है कि उचित व्यक्ति को लाभ मिल रहा है या नहीं।
- ई-गवर्नेंस द्वारा एक कॉमन डाटा तैयार हो जाता है जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के

लिये किया जा सकता है। इससे जनता और सरकार के बीच स्वस्थ एवं पारदर्शी संवाद को मजबूती मिलती है।

- ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार को सारे आँकड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अत: सरकारें विभिन्न योजनाएँ और नीतियाँ बनाने के दौरान इन आँकड़ों का विश्लेषण कर बेहतर निर्णय कर सकने में सक्षम हो सकती है।
- ई-गवर्नेंस से कार्य के लागत में भी कमी आती है। विदित हो कि सरकारों का अधिकांश खर्च कागजों (स्टेशनरी) पर होता था। हालाँकि इसके अलावा सामान्य जनता को अपने घर से किसी सरकारी कार्यालय में आने-जाने में बहुत सा समय और पैसा खर्च करना पड़ता है जबकि ई-गवर्नेंस के द्वारा इन सब समस्याओं से निजात पाया जा सकता है।
- सुशासन के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम सरकार की प्रक्रियाओं को सरल बनाना होता है ताकि पूरी प्रणाली को पारदर्शी बनाकर तीव्र विकास किया जा सके। ई-गवर्नेंस इस तरह के अवसर प्रदान कर सकती है।
- ई-गवर्नेंस से कार्य या सेवा की दक्षता को बढाया जा सकता है।
- ई-गवर्नेंस से भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। इससे जहाँ सरकार में लोगों का विश्वास बढ़ेगा वहीं बिचौलिये या दलाल के द्वारा आम व्यक्ति का शोषण भी रूकेगा।
- ई-गवर्नेंस से व्यवसाय और नए अवसरों का सृजन भी किया जा सकता है।
- ई-गवर्नेंस के जरिए हम अपनी जनसंख्या की ताकत का बेहतर ढ़ंग से फायदा उठा कर समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में सरकारी प्रयास

केंद्र सरकार की ओर से ई-गवर्नेंस के विस्तारीकरण की दिशा में कई तरह की पहल की गई हैं। राज्यों को भी निर्देश दिया गया है कि जिन राज्यों में अभी तक ई-गवर्नेंस व्यवस्था को पूरी तरह से अमलीजामा नहीं पहनाया गया है वे जल्द से जल्द जनता से जुड़े सभी विभागों में ई-गवर्नेंस को लागू करने के साथ ही इससे आमजन को अवगत करवाएँ। यहाँ हम उन प्रयासों का जिक्र कर रहे हैं जिसके माध्यम से सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस के सशक्तिकरण का प्रयास किया गया है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना 2006 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य कॉमन सर्विस सेंटरों के जरिए आम नागरिकों को सभी सरकारी सेवाओं तक पहुँच प्रदान करते हुए सक्षमता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है।

गौरतलब है कि आज 3.47 लाख सामान्य सेवा केन्द्रों (कॉमन सर्विस सेंटर्स-सीएससी) की मदद से विभिन्न सेवाओं को डिजिटल तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है। देश की 2.3 लाख ग्राम पंचायतों में फैले सीएससी 350 से अधिक सेवाओं तक आम आदमी की पहुंच को आसान बना देते हैं, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में। इन केन्द्रों से समाज के उपेक्षित वर्गों का सशक्तिकरण हुआ है और 12 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। वहीं इससे ग्राम स्तरीय महिला उद्यमियों समेत तमाम उद्यमियों को बढ़ावा मिला है। सीएससी ने स्त्री स्वाभिमान पहल के माध्यम से महिलाओं में माहवारी के दौरान स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा की है और 204 से अधिक सेनीटरी पैड इकाईयाँ भी स्थापित की हैं।

डिजिटल इंडिया

सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के जरिए जन-सेवाओं की समूची प्रणाली का रूपान्तरण करने के लिये भारत सरकार ने 2015 में 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम प्रारम्भ किया। इस कार्यक्रम ने ई-गवर्नेंस की परिभाषा को ऊँचे धरातल पर ला दिया है। जहाँ तकनीकी रूप से भिन्न नीति अपनायी गयी, वहीं परियोजना आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर प्लेटफॉर्म आधारित दृष्टिकोण अपनाने से सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित माहौल का विकास हुआ और नागरिकों को अनेक सामान्य सेवाएँ संयुक्त रूप से मिलने लगीं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की नागरिक केन्द्रित कुछ महत्वपूर्ण पहलों को निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत देखा जा सकता है-

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण: प्रत्यक्ष लाक्ष अंतरण सरकार की ओर से दिये जाने वाले फायदों को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित करता है। इसके जरिए 440 कार्यक्रमों को समन्वित किया गया है और 7,33,981 करोड़ रुपये संवितरित किये गये जिससे 1,41,677 करोड़ रुपये की बचत हुई।

डिजिलॉकर: यह नागरिकों को उनके सार्वजनिक और निजी दस्तावेजों को पब्लिक क्लाउड में सुरक्षित रखने के लिए निजी जगह उपलब्ध कराकर कागज विहीन अभिशासन उपलब्ध कराता है। वर्तमान में डिजिलॉकर का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 2.3 करोड़ है।

पीएमजीडीआईएसएचए (पीएमजी दिशा): प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल तरीके से साक्षर बनाने के लिए शुरू किया गया। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में 6 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

मेरी सरकार (MyGov): माईगव साझा डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराकर देश में सहभागितापूर्ण अभिशासन में मदद करता है जिसमें नागरिक सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में अपने विचार साझा कर सकते हैं।

डिजिटल भुगतान: कई नये डिजिटल भुगतान टूल जैसे भीम एप, भीम आधार, भारत क्यूआर कोड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक ऑल कलेक्शन्स आदि शुरू किये गये। भीम यूपीआई समेत डिजिटल भुगतान के लेन-देनों में अक्टूबर 2016 से मार्च 2019 तक 8,000 गुना वृद्धि हुई है।

जीवन प्रमाण: इससे पेंशन भोगियों को अपना जीवन प्रमाणपत्र किसी भी समय और किसी भी स्थान पर डिजिटल तरीके से भेजने या प्रस्तुत करने में मदद मिलती है। 2.58 करोड़ पेंशनभोगियों ने जीवन प्रमाण का उपयोग करके अपने जीवन प्रमाणपत्र भेजे हैं।

जीईएम: यह आम इस्तेमाल की वस्तुओं और सेवाओं की सरकारी खरीद का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। 9.5 लाख उत्पाद इस प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए रखे गये है।

ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना: उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, जिला अदालतों और जिला अदालत परिसरों में ऑटोमेशन को बढ़ावा देता है। इसके अंतर्गत केस स्टेटस, कॉज लिस्ट, कोर्ट ऑर्डर, केविएट सर्च आदि कई सेवाएँ शामिल हैं। इसके अंतर्गत नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड भी शुरू की गई जिसमें तमाम समन्वित अदालतों से जुटाए गए डेटा का विश्लेषण किया जाता है और डैशबोर्ड के जरिए अखिल भारतीय आँकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल: यह एकल ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अनेक छात्रवृत्ति योजनाओं की सुविधा उपलब्ध कराता है और

विद्यार्थियों द्वारा आवेदन भेजने, स्कूल प्रशासनों द्वारा सत्यापन, अधिकारियों द्वारा स्वीकृति और डीबीटी के जरिए संवितरण भी इसमें शामिल है।

उमंग: यह एक अनेक सरकारी एप्लिकेशन्स और डेटाबेसेज के साथ बैकएंड तालमेल के जरिए सरकारी सेवाएँ उपलब्ध कराने वाला संपूर्ण मोबाइल ऐप है।

ई-अस्पताल: हॅस्पीटल मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम के 20 से अधिक मॉड्यूलों के जरिए अस्पतालों में रोगी पंजीकरण, आइपीडी, फार्मेसी, ब्लड बैंक जैसी गतिविधियों के स्वचालन को आसान बनाता है। वर्तमान में 322 अस्पताल ई-अस्पताल से जुड़े हुए है।

ई-नाम: ई-नाम कार्यक्रम के तहत 16 राज्यों और 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में 585 कृषि मंडियों का समन्वय किया गया साथ ही डिजिटल भुगतान सेवा भी शुरू की गयी है।

देशव्यापी नेटवर्क

सरकार ने ई-गवर्नेंस के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से देशव्यापी संचार नेटवर्क के रूप में एनआईसी एनईटी नेटवर्क की शुरूआत की।

आज एनआईसी एनईटी एक सरकारी इकाई से दूसरी सरकारी इकाई और नागरिक व सरकार व व्यापार के बीच संचार में अहम भूमिका निभा रहा है।

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (नेशनल नॉलेज नेटवर्क)

सरकार ने ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में नेशनल नॉलेज नेटवर्क के रूप में एक महत्वपूर्ण पहल की है, जो 10जी बैकबोन के जरिये व्यापक तकनीकी स्तर पर राष्ट्रीय नेटवर्क मुहैया कराता है। यह देश के प्रमख शोध और अकादमिक संस्थानों को तेज गति वाली कनेक्टिविटी भी उपलब्ध कराता है।

डेटा केन्द्र

यह केन्द्रीय सेवाओं की उपलब्धता के साथ ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन, वेब पोर्टलों और वेबसाइट के लिए मजबूत, सुरक्षित और लचीला ढाँचा उपलब्ध कराता है। स्मरणीय हो कि डेटा केन्द्रों और नेशनल क्लाउड के माध्यम से वर्तमान में 10,000 विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए सहयोग मुहैया कराया जा रहा है।

भूस्थानिक (जियोस्पेशियल) प्रौद्योगिकी

भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) ने स्थान आधारित संपर्क, कार्यस्थल पर ही विभिन्न गतिविधियों को अंजाम देकर विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाओं की उपलब्धता को बेहतर बनाया है। वहीं डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रम ने भी प्रभावकारी ढंग से सेवाएँ मुहैया कराने के लिए भू-स्थानिक तकनीक का इस्तेमाल किया है।

ई-मेल सेवाएँ

डिजिटल इंडिया अभियान के लक्ष्यों के तहत सरकार ने सभी आधिकारिक संवाद के लिए सुरक्षित ईमेल सेवा उपलब्ध कराया है। आज ईमेल सेवा जियो-फेन्सिंग समेत कई तरह के सुरक्षा संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध करा रही हैं। आज की तारीख में 25 लाख से भी ज्यादा यूजर आईडी और 2,000 एप्लीकेशन ईमेल सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। लोगों को संचार के इन साधनों से और प्रभावकारी ढंग से जोड़ने के लिए एसएमएस (SMS) सेवा की शुरूआत भी की गई है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

प्रशासन को एक-दूसरी ईकाइयों से जोड़ने और करीब लाने के मकसद से एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा मुहैया करा रहा है। यह सेवा 1995 से ही उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक 1,852 से भी ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग साइट स्थापित की जा चुकी हैं और ये सरकारी कामकाज और प्रक्रियाओं का अटूट हिस्सा बन गई हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग शासन प्रणाली के सभी स्तरों यानी केन्द्र व राज्य, राज्य व जिला और जिला व तहसील और सरकार और जनता के बीच संवाद स्थापित करने में व्यापक रूप में किया जाता है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार

सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष ई-गवर्नेंस के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कर ई-गवर्नेंस को प्रोत्साहित किया जाता है।

यह पुरस्कार सरकारी विभागों द्वारा की जाने वाली, सरकार से सरकार (Government to Government), सरकार से नागरिक (Government to Citizen), सरकार से व्यवसाय (Government to Business) की सर्वोत्तम पहलों को मान्यता प्रदान करता है।

चुनौतियाँ

इस प्रकार स्पष्ट है कि ई-गवर्नेंस का सुशासन, भ्रष्टाचार को रोकने एवं लोक सेवाओं को आम नागरिकों तक आसानी से पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है, इसके बावजूद इस क्षेत्र में अभी भी कई प्रमुख चुनौतियाँ हैं जिन्हें निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

- सूचना क्रांति का भारत के ग्रामीण निर्धन लोगों पर व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा है। यह भी एक तथ्य है कि सरकार के प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के अन्तर्गत दूर-दराज के क्षेत्रों सहित समूची ग्रामीण आबादी को डिजिटल रूप में सक्षम समाज में रूपान्तरित करना एक बड़ी चुनौती रही है।
- सूचना प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करने वाले भारतीय समाज में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सुविधा प्राप्त वर्ग एवं इस सुविधा से वंचित वर्ग के मध्य एक नया विभाजन देखने को मिल रहा है।
- ई-गवर्नेंस के समक्ष कुछ तकनीक संबंधी चुनौतियाँ भी मौजूद हैं, जिसमें गोपनीयता, साइबर हमलों से सुरक्षा आदि प्रमुख हैं।
- स्थानीय भाषाओं, वेब सर्वर का विकास, ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के मानव संसाधन को तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रशिक्षकों का अभाव है।

आगे की राह

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि ई-शासन प्रणाली से जहाँ एक ओर सरकारी क्षेत्रों में आर्थिक-सामाजिक एवं अन्य विभिन्न मुद्दों का सरलीकरण एवं सूचनाओं का तीव्र स्थानांतरण हुआ है, वहीं दूसरी तरफ यह नागरिक एवं सरकार के मध्य नागरिक-मित्र सरकार का आधार भी निर्मित करती है। लेकिन इस दिशा में अभी और भी काम करने की जरूरत है। हालाँकि सरकारी प्रयास सराहनीय है, बावजूद इसके लिए कुछ सुझावों को अमल में लाया जा सकता है-

- ऐसे समावेशी विकास पर अधिक बल देने की आवश्यकता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं, उत्पादों, उपकरणों और रोजगार के अवसरों को अपेक्षित बढ़ावा दे सकें।
- इसके अतिरिक्त देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को भी मजबूत बनाने की आवश्यकता है।
- ई-गवर्नेंस को लागू करने संबंधी तकनीकी अवसंरचना, महत्त्वपूर्ण मुद्दों की पहचान,

कुशल मानव संसाधन एवं ई-साक्षर नागरिकों की आवश्यकता पड़ती है। डिजिटल असमानता को दूर करते हुए सभी को समान सूचना प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

- ग्रामीण इलाकों में कंप्यूटर या मोबाइल उपकरण और इंटरनेट के उपयोग के प्रसार के साथ ही लोगों से जुड़ी सरकारी योजनाओं में अगर पर्याप्त रूप से और जन उपयोगी तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए तो यह विकेंद्रीकरण के लिहाज से क्रांतिकारी नतीजे ला सकता है।
- सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग और 'ई-शासन' को बढ़ावा देते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसा कोई भी प्रयास तभी सफल हो सकता है, जब आम नागरिक इसका उपयोग सहजता से कर पाने में सक्षम हो।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

5. भारत का विदेशी व्यापार एवं वैश्विक आर्थिक परिवेश

चर्चा का कारण

हाल ही में भारत सरकार ने आर्थिक समीक्षा 2018-19 जारी किया है जिसमें वैदेशिक क्षेत्र के संदर्भ में भारत की समष्टि आर्थिक स्थिति स्थिर रही है। फिर भी भारत का चालू खाता घाटा वर्ष 2017-18 में जीडीपी का 1.8 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 2.4 प्रतिशत होने का अनुमान है। यह बढ़ता हुआ चालू खाता घाटा दो वर्षों में व्यापार घाटे की जीडीपी के 6.0 प्रतिशत से 6.7 प्रतिशत तक अवनति के कारण हुआ है।

परिचय

वैदेशिक क्षेत्र में भारत की समष्टि आर्थिक स्थिति स्थिर होने के बावजूद 2018-19 की चौथी तिमाही में कच्चे तेल में उछाल एवं वस्तु निर्यातों की वृद्धि में तीव्र गिरावट, व्यापार घाटे में अवनति के लिए उत्तरदायी रही है। हालांकि धन-प्रेषण की वृद्धि में बढ़ोत्तरी ने कुछ हद तक चालू खाता घाटे की अवनति नियंत्रित रखी है। कुल देनदारियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का हिस्सा बढ़ा है जबकि निवल पोर्टफोलियो निवेश का हिस्सा घटा है जो कि चालू खाता घाटा वित्त पोषण के बढ़ते स्थायी साधनों के स्वरूप को प्रदर्शित कर रहा है।

कुल मिलाकर, हाल ही में यद्यपि जीडीपी के अनुपात में चालू खाता घाटा बढ़ना शुरू हो गया है। वर्तमान में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 400 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का बना रहा है। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर भी 2018-19 में गिरी थी जिसने भारत के निर्यात को और अधिक प्रतियोगितात्मक बना दिया। व्यापार के संबंध में आय, एक मापक जो कि आयात की क्रय शक्ति मापती है, आरोही प्रवृत्ति पर रही, संभवतः इसलिए क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई। भारत की आयात एवं निर्यात टोकरी का संघटन 2017-18 की अपेक्षा 2018-19 में कमोबेश अपरिवर्तित बना रहा। इसका कारण पेट्रोलियम पदार्थों, बहुमूल्य रत्न, सूत्र विन्यासित औषधियाँ, सोने एवं अन्य बहुमूल्य धातुएँ शीर्ष निर्यात वस्तुएं बनी रही हैं। जबकि कच्चा पेट्रोल, तेल, मोती, बहुमूल्य अर्द्धबहुमूल्य पत्थर तथा सोना शीर्ष आयात वस्त बनी रही। गौरतलब है कि भारत के मुख्य व्यापारिक भागीदार अमेरिका, चीन, हांगकांग, यूएई तथा सऊदी अरब बने रहे।

व्यापार संरक्षणवाद को बढ़ावा तथा वैश्विक उत्पादन में कमी

वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) ने अप्रैल 2019 के अपने प्रकाशन में इस वर्ष 3.3 प्रतिशत विश्व उत्पादन में वृद्धि अनुमानित की है जो कि 2018 में प्राप्त की गई 3.6 प्रतिशत से कम है। अमेरिका चीन व्यापार तनाव वैश्विक मंदी के पीछे के मुख्य कारण हैं जिसने उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को उनकी मुद्राएं मजबूत बनाने तथा आयात सस्ता करने में पोर्टफोलियो निवेश को बढ़ाया है।

डब्ल्यूईओ के अनुसार अमेरिका-चीन व्यापार तनाव ने मशीनरी एवं उपकरण (Equiments) जो कि विगत वर्षों से गिरे हैं, को जोखिम में डाला है। इसके अलावा तेल उत्पादक देशों के द्वारा उत्पादन में कटौती करने के साथ, अमरीका द्वारा ईरान से तेल आपूर्ति की कटौती करने के बाद कच्चे तेल के मूल्य बढ़ने शुरू हो गए हैं जबकि आपूर्ति विकार के कारण अन्य वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ने लगे हैं। इन घटनाओं ने भारत जैसे उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के वैदेशिक क्षेत्र की कमजोरी को बढ़ाया है जोकि इनकी आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए कच्चे तेल पर निर्भर है। हालांकि वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं में वर्ष 2018 में 7.7 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई थी।

भारत के भुगतानशेष संतुलन संबंधी प्रगति

चालू खाता विकासः 2018-19 की पहली छमाही के दौरान भारत के भुगतान शेष की स्थिति ने कुछ मंदी के लक्षण दिखाये हैं क्योंकि कच्चे तेल के मूल्य में तेज वृद्धि के कारण चालू खाता घाटा बिगड़ गया है, जिसका मुख्य कारण उच्चतर व्यापार घाटा है, जिसने आयात की अपेक्षा वस्तु निर्यात वृद्धि को अधिक तेजी से बढ़ाया है। व्यापार घाटा इसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष की अवधि में 118.4 बिलियन अमरीकी डॉलर से 145.3 बिलियन अमरीकी डॉलर बढ़ गया था।

भारत का चालू खाता घाटा 2016-17 में जीडीपी के 0.6 प्रतिशत के उच्च स्तर को प्राप्त करने के पश्चात अब कुछ वर्षों से बढ़ रहा है। चालू खात वर्ष 2017-18 में जीडीपी के 1.8 प्रतिशत बढ़ गया तथा 2018-19 के पूर्ण वर्ष के लिए 2.9 प्रतिशत अनुमानित किया गया है।

वैश्विक संदर्भ में वस्तु निर्यात एवं आयात की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि अन्य घटकों के साथ-साथ 2018-19 में कम जीडीपी वृद्धि के कारण भारत का वस्तु आयात गिर गया जबकि विश्व उत्पादन एवं व्यापार की धीमी वृद्धि के परिणामस्वरूप वस्तु निर्यात की वृद्धि धीमी हो सकती है।

वस्तु निर्यात में वृद्धि 2016-17 में 5.2% से 2018-19 में 8.8% तक मुख्य रूप से पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (पीओएल) निर्यात में उच्च वृद्धि के परिणामस्वरूप हुई। 2018-19 की चौथी तिमाही में पीओएल (पेट्रोलियम, तेल एवं स्नेहक) और गैर पीओएल आयात दोनों में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज हुई है। हालांकि कच्चा पेट्रोलियम, कच्चा तेल 22.2% के हिस्से के साथ 2018-19 में सबसे बड़ी आयातित वस्तु बनी हुई है। इसके बाद

क्रमशः स्वर्ण, चांदी, मोती, बहुमूल्य, अर्द्धबहुमूल्य पत्थर तथा पेट्रोलियम पदार्थ आते हैं।

धन प्रेषणः विश्व बैंक (अप्रैल 2019) के अनुसार भारत 2018 में चीन, मैक्सिको, फिलीपींस एवं मिस्र के बाद 78.6 बिलियन अमरीकी डालर पर सबसे उच्च स्तर पर शीर्षस्थ धनप्रेषण प्रवाह के साथ शीर्ष प्रेषित धन प्राप्तकर्त्ता देशों में रहा था।

विदेशी निवेशः 2018-19 के दौरान, निवल विदेशी निवेश 2017-18 की अवधि में 52.4 बिलियन अमेरिकी डालर की अपेक्षा 31.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर गिर गया था। जीडीपी के अनुपात के रूप में निवल एफडीआई 2018-19 में 1.2% तक बढ़ने से पहले 2016-17 में 1.6% से 1.1% तक गिर गया था।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडारः 14 जून 2019 की स्थिति के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 422.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित परिसंपत्ति के मूल्य परिवर्तन या भुगतान शेष संतुलन की अस्थिरता के कारण विदेशी मुद्रा भंडार स्तर में परिवर्तन हो सकता है।

चालू खाता घाटे पर चलने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक तथा विश्व के सभी देशों के बीच आठवाँ सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है।

विदेशी ऋणः भारत का विदेशी ऋण मार्च, 2018 के अंत तक अपने स्तर से 1.6 प्रतिशत की कमी के साथ दिसंबर, 2018 के अंत तक 521.2 बिलियन अमरीकी डॉलर पहुँच गया था। मार्च 2018 की तुलना में दिसंबर 2018 के अंत में दीर्घावधि ऋण 417.3 बिलियन अमरीकी डॉलर तक 2.4 प्रतिशत गिर गया था यद्यपि इसका हिस्सा इसी अवधि के दौरान 80.7% की तुलना में 80.1 प्रतिशत कमोबेश समान ही था।

विश्व बैंक के आँकड़ों पर आधारित विदेशी ऋण की अंतर्राष्ट्रीय तुलना यह दर्शाती है कि 2017 में शीर्ष 20 विकासशील कर्जदार देशों में सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) अनुपात में भारत का विदेशी ऋण 19.8 प्रतिशत था जो कि नीचे से चौथा स्थान था, जबकि चीन का 14 प्रतिशत के साथ न्यूनतम अनुपात बना रहा। विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में विदेशी ऋण को भी समावेशित किया गया है, भारत इस मामले में 75.9% के साथ शीर्ष से पाँचवां स्थान पर है, जबकि शीर्ष 20 विकासशील कर्जदार देशों में विदेशी मुद्रा भंडार में 25.1 प्रतिशत अल्पकालिक ऋण के साथ भारत का नीचे से पाँचवां स्थान है। विश्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार यद्यपि भारत विकासशील देशों (चीन और ब्राजील के पश्चात) में तीसरा बड़ा कर्जदार देश (कुल राशि में) है, इसके ऋण की औसत अवधि बहुत अधिक है, यह देखते हुए कि कुल ऋणों में लघु अवधि ऋण का अनुपात केवल 19.0 प्रतिशत है जबकि चीन का सही अनुपात 69% है।

निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थितिः वर्ष 2018 में निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति घाटे वाली 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में संयुक्त राज्य अमेरिकी 9.7 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के साथ पहले स्थान पर है, इसके पश्चात स्पेन (1.1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर) ऑस्ट्रेलिया (0.7 ट्रिलियन) हैं। वर्ष 2018 में भारत का निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश घाटा के मामले में आठवें स्थान पर है, जो कि 2013 में 323.2 बिलियन अमरीकी डॉलर से 2018 में 438.4 बिलियन अमरीकी डॉलर तक 35.6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी से निरंतर बढ़ रही है। पिछले वर्ष 2017 की तुलना में भारत में निवल निवेश घाटा 2017 में 426.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2.8 प्रतिशत बढ़कर 2018 में 438.4 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।

सांकेतिक तथा वास्तविक विनिमय दर तथा व्यापार स्थिति

विनिमय दरः वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर की तुलना में 63.63 से 65.08 के बीच रहा। 2018-19 के दौरान अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष भारतीय रुपये की मूल्य ह्रास की प्रवृत्ति रही है तथा मार्च 2019 को 4.1 प्रतिशत से 69.2 प्रति अमेरिकी डॉलर था जो 11 अक्टूबर, 2018 को अब तक के इतिहास में 74.4 प्रति अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था।

2017-18 की तुलना में रुपया अन्य प्रमुख मुद्राओं जैसे कि अर्जेंटीना की पीसो, तुर्की की लीरा, ब्राजील की रियाल और रूस की रूबल से बेहतर निष्पादन किया जिनका अमेरिकी डॉलर के सामने 10 प्रतिशत से अधिक मूल्यह्रास हुआ। वर्ष 2018-19 में अमेरिकी डॉलर के सामने रुपए के 7.8% अवमूल्यन से अलग इसका अन्य मुख्य मुद्राओं के सामने भी मूल्यह्रास हुआ। इसका येन के सामने 7.7 प्रतिशत तथा यूरो और प्रत्येक पाउंड स्टर्लिंग के सामने 6.8% अवमूल्यन हुआ।

एनईईआर तथा आरईईआरः वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा 2017-18 में रुपए का क्रमशः 7.1 तथा 5.6% मूल्यह्रास हुआ। रुपये के गिरने का मूल कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल होना, निर्यातकों और बैंकों द्वारा डॉलर का बेचना जारी रखना तथा भारतीय शेयर बाजार में वसूली के कारण निवेशक के विश्वास में सुधार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

विनिमय दर परिवर्तनशीलताः हाल के वर्षों में कच्चे तेल की कीमतें और निवल पोर्टफोलियो प्रवाह विनिमय दर संचलन के मुख्य संचालक रहे हैं। इस परिवर्तनशील देशों के संचलन से पूर्वानुमान में मदद मिल सकती है जैसे कि विनिमय दरों में विभिन्नता जिससे परिवर्तनशीलता का बचाव तथा कुछ सीमा तक व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा।

वैश्विक और घरेलू दोनों कारकों के कारण 2018-19 में रुपया अस्थिर रहा है जिसमें कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि, अनियमित व्यापार संतुलन, डालर का सुदृढ़ीकरण तथा सतत एफडीआई बाह्य प्रवाह शामिल है। रुपये पर प्रभाव डालने वाले अतिरिक्त कारकों में अमरीका और चीन के बीच व्यापार युद्ध, ईरान पर अमरीका के प्रतिबंध तथा अमरीकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में बढ़ोतरी शामिल है।

व्यापार की संरचना

2018-19 में विनिर्मित मुख्य उत्पादः वर्ष 2018-19 में पेट्रोलियम उत्पाद देश के मूल्य के हिसाब से निर्यात अंश में 14.1% हिस्से के साथ सर्वाधिक बड़ी वस्तु बनी रही। अन्य मुख्य निर्यातों में मोती, मूल्यवान अर्द्ध-मूल्यवान पत्थर तथा स्वर्ण और औषधि से तैयार वस्तुओं, जैविक वस्तुओं के अलावा अन्य मूल्यवान धातु के आभूषण शामिल हैं। तथापि, जैविक रसायनों का निर्यात सबसे ज्यादा हुआ था जो 2018-19 में निर्यात का 30.6% था।

2018-19 के आयात अंश में, सर्वाधिक हिस्सा पेट्रोलियम (कच्चा तेल) का था जो 22.2 प्रतिशत था तथा इसके बाद स्वर्ण और अर्द्ध-मूल्यवान धातु के आभूषणों का हिस्सा था जो 6.4 प्रतिशत तथा इसके बाद मोती/अर्द्धमूल्यवान पत्थरों का हिस्सा था जो 5.3 प्रतिशत था।

2018-19 में व्यापार में मुख्य भागीदार

संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सर्वाधिक निर्यातोन्मुख देश बना हुआ है जो 2018-19 में भारत के निर्यात का (मूल्य के अर्थ में) 16% अंश के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, चीन और हांगकांग आते हैं। तथापि, 2018-19 में नीदरलैंड (40.7 प्रतिशत) को किए गए भारतीय निर्यात में बढ़ोतरी सर्वाधिक

थी। इसके बाद चीन (25.6 प्रतिशत) और नेपाल (17.4 प्रतिशत) का स्थान रहा।

चीन भारत के आयातों का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है जो 2018-19 में कुल आयातित मूल्य के 13.7% के लिए जिम्मेदार है। अमरीका, यूएई और सऊदी अरब अन्य महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिससे भारत आयात करता है। 2018-19 की वृद्धि में सिंगापुर से आयात सर्वाधिक रहा है जोकि हांगकांग (68.5 प्रतिशत) तथा यूएई (37. 0 प्रतिशत) के बाद 118.1% है। यद्यपि, चीन भारत का सबसे बड़ा निर्यातक बना हुआ है, परंतु चीन से भारत का आयात 2017-18 में 76.4 बिलियन अमरीकी डॉलर से गिरकर 2018-19 में 70.3 बिलियन हो गया है जिसने ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की है।

व्यापार नीति

सभी मुख्य क्षेत्रीय समूहों के साथ भारत की द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्थाएँ हैं। यूरोप में, यह यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (European Free Trade Association) का हिस्सा है जिसमें स्विट्जरलैंड, नार्वे, आईसलैंड और लिक्टनस्टाइन शामिल हैं। 2018-19 में, भारत ने ईएफटीए (यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन) के साथ निर्यात व आयात किया है जो क्रमश: 1534.00 मिलियन अमरीकी डॉलर और 18,076.88 मिलियन अमरीकी डॉलर था।

सार्क देशों में, भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्था है और दोनों देश द्विपक्षीय आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) करने की संभावना तलाश रहे हैं। साथ ही व्यापार हेतु भारत व नेपाल भी समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। श्रीलंका के साथ, भारत ने भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार किया हुआ है जिसके अंतर्गत कुछ उत्पादों को छोड़कर लगभग सभी उत्पादों के लिए शुल्क-मुक्त पहुँच प्रदान की जाती है।

भारत और आसियान देश व्यापार करार की समीक्षा करने के लिए सहमत हो गये हैं। आसियान के भीतर, भारत का सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग करार है। 2018-19 में, भारत ने आसियान गुट के साथ निर्यात व आयात किया है जो क्रमश: 37,460.34 मिलियन अमरीकी डॉलर और 59,293.36 मिलियन अमरीकी डॉलर था।

लैटिन अमरीकी देशों में, भारत का अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे एवं चिली के साथ अधिमान व्यापार करार (प्रिफेंसियल ट्रेडिंग एरिया) है। कोलंबिया के साथ भी पीटीए की संभावनाएं खोजी जा रही हैं। भारत पेरू और इक्वाडोर के साथ व्यापार संबंधी करार पर बातचीत कर रहा है। स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल, जार्जिया के साथ मुक्त व्यापार करार (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) और यूरोपियाई आर्थिक संघ के साथ पीटीए पर बातचीत चल रही है। 2018-19 में, भारत ने मर्कोसुर (MERCOSUR) गुट के साथ निर्यात व आयात किया है जो क्रमश: 4,705.08 मिलियन अमरीकी डॉलर से 6,425.35 मिलियन अमरीकी डॉलर के बीच था।

उत्तरी अमरीका मुक्त व्यापार करार (नाफ्टा) के अंतर्गत, भारत कनाडा व्यापक आर्थिक नीति करार (सीईपीए) पर बातचीत चल रही है। भारत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भी द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहयोग करार पर बातचीत कर रहा है। मारीशस के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग और सहभागिता करार (क्राँप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एण्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट) तथा इजरायल के साथ एफटीए पर बातचीत चल रही है।

भारत ने विभिन्न देशों/देश समूहों के साथ 28 द्विपक्षीय/बहुपक्षीय व्यापार करार हस्ताक्षरित किए हैं। वर्ष 2018-19 में भारत ने उन देशों के साथ 121.7 बिलियन अमरीकी डॉलर का निर्यात किया था जिसके साथ इसके व्यापार करार थे और वह सभी देशों के साथ किए गए भारत के निर्यात का 36.9 प्रतिशत है।

व्यापार सुगमता

भारत ने अप्रैल, 2016 में व्यापार सुगमता संबंधी डब्ल्यूटीओ करार की अभिपुष्टि की थी और उसके पश्चात भारत के मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय व्यापार सुगमता समिति (नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन) गठित की गई थी।

इसके बाद, एनसीटीएफ ने आयातों और निर्यातों की ऊँची लागत को कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है ताकि वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ हमारे सीमा पार व्यापार को समेकित किया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ निम्नलिखित हैं:-

- सभी आयात संबंधी औपचारिकताओं जैसे जाँच, नमूने एकत्र करना, स्वीकृति आदि को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली की स्थापना जिसमें सिंगल ऑनलाइन राष्ट्रीय पोर्टल के जरिए बहुत एजेंसियां शामिल हैं।
- सीमा पर स्वीकृति संबंधी विभिन्न गतिविधियों के लिए शुल्क और प्रभारों का सरलीकरण।
- 'ई-संचित' परियोजना के जरिए आयात/निर्यात दस्तावेजों को बिना कागज के दायर करना।
- व्यापार की पहुँच सुगम बनाने के लिए संसाधन सूचना अर्थात् आयात/निर्यात की पद्धतियाँ, कानून और विनियमों आदि का ऑनलाइन प्रकाशन।

भारत के कार्य निष्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है जो 2017 में 146 से 2018 में 80 हो गया। इसके अतिरिक्त, इन पहलों ने देश में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के मामले में समग्र सुधार हेतु योगदान दिया है, जिसे विश्व बैंक ने भी माना है।

डंपिंगरोधी और सुरक्षा उपाय

देश में माल की डंपिंग, घरेलू उद्योग में हानि, तथा घरेलू उद्योग के संबंध में डंपिंग और हानि के बीच अनियमित संपर्क के प्रथम दृष्टया साहस के साथ घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए आवेदनों के आधार पर, भारत डंपिंगरोधी अन्वेषण करवाता है। इन अन्वेषणों में अन्य देशों के साथ-साथ चीन, हाँगकांग, कोरिया, जर्मनी, ईयू, अमरीका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड व ब्राजील शामिल हैं।

आगे की राह

वर्तमान में सभी देशों को व्यापार संरक्षणवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों को व्यापार में सुगमता हासिल हो सके। इसके अलावा भारत सरकार को चाहिए कि वह व्यापार घाटा को संतुलन में ले आए ताकि सुचारू रूप से गतिशील बनी रहे। हालांकि कच्चे तेल के मूल्यों में बढ़ोतरी पर दवाब हो सकता है क्योंकि विश्व उत्पाद में बढ़ोतरी होना अभी बाकी है यद्यपि यह भारत पर प्रभाव नहीं डालेगी क्योंकि विश्व उत्पाद में बढ़ोतरी भारत के निर्यातों पर अनुकूल प्रभाव डालेगी जिसे विश्व व्यापार में वृद्धि से अलग नहीं किया गया है। सरकारी नीतियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एफडीआई अंतर्वाहों से प्रतिबंधों को और अधिक उठा दें, जिससे चालू खाता घाटा के वित्तपोषण करने वाले साधनों के स्थायित्व का बढ़ाना जारी रहेगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

■

6. भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में केन्द्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत बजट (2019-20) में स्टार्टअप के लिए एक्सक्लूसिव टीवी चैनल शुरू करने का ऐलान किया गया है। स्टार्टअप पर केंद्रित इस टीवी चौनल को दूरदर्शन के तहत खोला जाएगा और इसके कामकाज को खुद स्टार्टअप ही देखेंगे। यह चैनल स्टार्टअप को वेंचर फंड्स और निवेशकों से मिलाने में भी मदद करेगा।

परिचय

स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नये विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जिससे देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हों। 'स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया' की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2015 के भाषण में की गयी थी। ये केंद्र सरकार के द्वारा देश के युवाओं की मदद करने के लिये एक प्रभावी योजना है। ये पहल युवाओं को उद्योगपति और उद्यमी बनने का अवसर प्रदान करने के लिये शुरू की गयी है जिसके लिये एक स्टार्ट-अप नेटवर्क को स्थापित करने की आवश्यकता है। स्टार्ट-अप से तात्पर्य है देश के युवाओं को बैंकों के माध्यम से वित्त प्रदान करना जिससे उनकी नये उद्यम निर्माण में शुरूआत बेहतर मजबूती के साथ हो ताकि वो भारत में अधिक रोजगार सृजन कर सकें।

वर्तमान परिदृश्य

वित्त मंत्री ने अपने बजटीय भाषण के दौरान बताया कि कैसे स्टैंड-अप इंडिया मुहिम ने देश में उद्यमशीलता के माहौल को बनाने में मदद की है। यह नया स्टार्टअप चैनल काफी हद तक डीडी किसान चैनल की तरह होगा, जिसे केंद्र सरकार ने 4 साल पहले खासतौर से किसानों और कृषि-क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के लिए शुरू किया था।

स्टार्टअप-इंडिया योजना के तहत वित्त वर्ष 2019 की पहली छमाही में भारतीय स्टार्टअप्स को 1,300 करोड़ रुपये से अधिक वितरित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही योजना के तहत बाँटी गई कुल राशि 3,123.7 करोड़ रुपये पहुँच गई है। यह 14वें और 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल में इस योजना को आवंटित कुल 10,000 करोड़ रुपये की राशि के 30 प्रतिशत से ज्यादा है। केंद्र सरकार ने 2016 में स्टार्टअप इंडिया योजना को लॉन्च किया था।

गौरतलब है कि स्टार्टअप इंडिया फंड को 'फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (FFS)' के नाम से भी जाना जाता है। कैलेंडर ईयर के पहले तीन महीनों में एफएफएस ने विभिन्न वेंचर कैपिटल फंड को 515 करोड़ रुपये वितरित किए हैं, जिससे वह स्टार्टअप में और ज्यादा निवेश कर सकें। अप्रैल-जून तिमाही में एफएफएस ने 856 करोड़ रुपये वितरित किए। सरकार ने एफएफएस को लॉन्च करते समय 18 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा था।

स्टार्ट-अप कार्य योजना

स्टार्ट-अप योजना को प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इसके कार्य योजना (Action Plan) को दर्शाया है जो कि सरकार द्वारा इस संबंध में घोषित कार्य योजना स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के सभी पहलुओं को दर्शाता है। स्टार्ट-अप एक्शन प्लान मुख्य रूप से तीन वृहद भागों में विभाजित है:-

1. **सरलीकरण और प्रारंभिक सहायता:**

स्व-प्रमाणन आधारित अनुपालन व्यवस्था- इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स पर नियामक का बोझ कम करना है ताकि वे अपने मुख्य कारोबार पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अनुपालन की लागत कम रख सकें।

स्टार्टअप इंडिया हब- पूरे स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक संपर्क स्थान का निर्माण करना जिससे ज्ञान का आदान-प्रदान एवं वित्त पोषण हो सके। हालाँकि सरकार मुख्य हितधारक होगी एवं केंद्र तथा राज्य सरकारों, भारतीय और विदेशी पूंजीपतियों, एंजेल नेटवर्क, बैंकों, कानूनी भागीदारों, सलाहकारों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगी।

बौद्धिक संपदा अधिकार को बढ़ावा देने और जागरूकता लाने एवं नये स्टार्टअप्स के सतत विकास और तरक्की को सुनिश्चित करने के लिए, यह योजना पेटेंट दाखिल करने के कार्य में सहायता प्रदान करेगा।

2. **समर्थन और प्रोत्साहन अनुदान**

स्टार्टअप्स के लिए धन की व्यवस्था- सरकार प्रति वर्ष 2500 करोड़ रुपये की एक प्रारंभिक निधि और 4 साल की अवधि में कुल 10,000 करोड़ रुपये की निधि की स्थापना का लक्ष्य है।

स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी- स्टार्टअप्स के लिए वेंचर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों और अन्य उधारदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी (NCGTC) के माध्यम से क्रेडिट गारंटी तंत्र/सिडबी द्वारा प्रति वर्ष 500 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।

स्टार्टअप्स में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार उनको पूँजीगत लाभांश में छूट देगी जिनको वर्ष के दौरान पूँजीगत लाभ हुआ है और जिन्होंने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फंड ऑफ फंड्स में इस तरह के पूँजीगत लाभ का निवेश किया है।

एंजल टैक्स

स्टार्ट अप कंपनियाँ कारोबार के विस्तार के लिए पैसे जुटाती हैं। इसके बदले में पैसे देने वाली कंपनी या संस्था को वे शेयर जारी करती हैं। प्रायः ये शेयर की उचित कीमत के मुकाबले ज्यादा कीमत पर जारी किए जाते हैं। शेयर की इस अतिरिक्त कीमत को आय माना जाता है, इस आय पर जो कर लगता है, उसे ही एंजल टैक्स कहते हैं। एंजल टैक्स की शुरूआत 2012 में हुई थी। तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने बजट में इसका एलान किया था। इसका उद्देश्य धन शोधन (मनी लाउड्रिंग) पर रोक लगाना था।

3. **उद्योग-शैक्षिक जगत की भागीदारी और उद्भवन**

भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप उत्सव शुरू करने का प्रस्ताव किया है। यह संभावित निवेशकों, परामर्शदाताओं और साथी स्टार्टअप्स को सम्मिलित करते हुए एक व्यापक जन समुदाय के समक्ष उनके काम और विचारों का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

अटल अभिनव मिशन (एआईएम) विशेष रूप से प्रौद्योगिकी संचालित क्षेत्रों में विश्व स्तर के नवाचार हब, स्टार्टअप कारोबार और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा।

देश में अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों में वृद्धि के लिए सरकार राष्ट्रीय संस्थानों में नवाचार और उद्यमिता के लिए 31 केन्द्रों की स्थापना करेगी।

स्टार्टअप कारोबार के मुख्य बिन्दु

- स्टार्टअप कारोबारियों द्वारा कमाये जाने वाले मुनाफे पर व्यवसाय शुरू होने के पहले तीन साल तक इनकम टैक्स से छूट होगी।
- ऐसे उद्यमों में वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों द्वारा किए गए निवेश के बाद अपनी संपत्ति बेचने पर 20% की दर से लगने वाले पूँजीगत लाभ में कर से भी छूट मिलेगी। यह छूट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उद्यम पूँजीकोषों के निवेश पर भी उपलब्ध होगी।
- देश में नवप्रवर्तन सोच के साथ आने वाले तकनीक आधारित इन नये उद्यमों के लिये एक उदार पेटेंट व्यवस्था भी लाई जाएगी। पेटेंट पंजीकरण में इन उद्यमों को पंजीकरण शुल्क में 80% छूट दी जायेगी।
- छात्रों के लिए नवाचार के कोर्स शुरू किये जायेंगे और 5 लाख विद्यालयों में 10 लाख बच्चों पर केंद्रित करके इसको बढ़ाया जायेगा।
- स्व:प्रमाणन आधारित अनुपालन व्यवस्था से स्टार्टअप पर नियामकीय बोझ कम होगा। स्व:प्रमाणन अनुपालन की यह व्यवस्था कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान, ठेका कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि कोष, पानी और वायु प्रदूषण कानूनों के मामले में उपलब्ध होगी।
- दुनियाभर में स्टार्टअप की तीसरी बड़ी संख्या भारत में है। सरकार इन उद्यमों को सरकारी खरीद ठेके लेने के मामले में भी कई तरह की छूट देगी। स्टार्टअप उद्यमों को सरकारी ठेकों में अनुभव और कारोबार सीमा के मामले में छूट दी जायेगी।
- इसमें महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गयी है।

सरकारी प्रयास

बजट 2019-20 में अनेक ऐसे कर प्रस्तावों की घोषणा की गयी है, जिनका उद्देश्य उन्नत प्रौद्योगिकी वाले उदीयमान उद्योगों और स्टार्ट-अप्स में निवेश को बढ़ावा देना है। आर्थिक विकास के साथ-साथ 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके तहत सेमी-कंडक्टर फैब्रिकेशन (एफएबी), सोलर फोटो वोल्टिक सेल, लिथियम स्टोरेज बैटरियों, सोलर इलेक्ट्रिक चार्जिंग, बुनियादी ढाँचागत सुविधाओं, लैपटॉप और कम्प्यूटर सर्वर जैसे उदीयमान एवं उन्नत प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में बड़े विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना के लिए एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए वैश्विक कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा। इन वैश्विक कंपनियों को आयकर अधिनियम की धारा 35 एडी के तहत निवेश से जुड़ी आयकर छूट के साथ-साथ अन्य अप्रत्यक्ष कर लाभ दिए जाएँगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि तथाकथित 'एंजल टैक्स' मुद्दे को सुलझाने के लिए अब से शेयर प्रीमियम के मूल्यांकन के मामले में स्टार्ट-अप्स के साथ-साथ उन निवेशकों की कोई जाँच नहीं की जाएगी जो अपने रिटर्न में आवश्यक घोषणाओं एवं सूचनाओं का उल्लेख करते हैं। निवेशक की पहचान के साथ-साथ उसकी धनराशि के स्रोत का पता लगाने के मुद्दे को 'ई-सत्यापन' की एक समुचित व्यवस्था स्थापित कर सुलझाया जाएगा। इसके साथ ही स्टार्टअप्स द्वारा जुटाई गई धनराशि की किसी भी तरह की जाँच आयकर विभाग द्वारा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टअप्स के लंबित आकलन और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए सीबीडीटी द्वारा विशेष प्रशासनिक व्यवस्थाएँ की जाएंगी। इस तरह के मामलों में कर-निर्धारण अधिकारी की मंजूरी मिले बगैर कोई भी जाँच अथवा सत्यापन नहीं कराया जा सकता है। स्टार्टअप्स के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वे श्रेणी-II के वैकल्पिक निवेश फंडों को भी जारी किए गए अपने शेयरों के बाजार मूल्य को जायज ठहराए। इन फंडों को जारी किए गए शेयरों का मूल्यांकन आयकर जांच के दायरे से बाहर होगा। स्टार्टअप्स के मामले में नुकसान को आगे ले जाने और समायोजित करने के लिए कुछ शर्तों में ढील देने का भी प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, स्टार्टअप्स में निवेश के लिए आवासीय मकान की बिक्री से प्राप्त पूँजीगत लाभ की छूट की अवधि को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

बजट 2019-20 के अनुसार, स्टैंड-अप इंडिया का 2025 तक विस्तार किया गया है। वित्त मंत्री के अनुसार स्टैंड-अप इंडिया से काफी लाभ हुआ है। देश में महिलाओं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में से ऐसे हजारों उद्यमी उभरकर सामने आए हैं, जिनमें से अधिकांश लोगों को कारोबार और उद्योग खड़ा करने के लिए स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत पूँजी दी गई थी। वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इस योजना के तहत बैंकों द्वारा मैले की सफाई करने वाली मशीनों और रोबोटों की खरीद सहित माँग आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

सरकार अनेक श्रमिक कानूनों के स्थान पर उन्हें सुसंगत बनाकर चार श्रमिक कानूनों का एक सेट बनाने का प्रस्ताव कर रही है, जिससे पंजीकरण की प्रक्रिया और रिटर्नों को दाखिल करने की प्रक्रिया का मानकीकरण सुनिश्चित होगा, जिससे विवादों में कमी होने की आशा है।

कौशल विकास के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए उद्योग के लिए प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने हेतु लगभग 10 मिलियन युवाओं को सक्षम बनाती है। यह गति और अन्य स्तरों के साथ बहुतायत में कौशलयुक्त जनशक्ति सृजित करने में सहायक है। विश्वव्यापी जनसांख्यिकीय रुझान यह दर्शाते हैं कि मुख्य अर्थव्यवस्थाएं भविष्य में श्रम की भारी कमी का सामना करेंगी। इस बजट में यह प्रावधान किया गया है कि सरकार के द्वारा कृत्रिम बुद्धिमता (आर्टीफिशल इंटेलीजेंस) (एआई), कम्प्यूटर संबंधी उपकरण, डाटा 3डी प्रिंटिंग, आभासी वास्तविकता और रोबोट विज्ञान जैसे नए युग के कौशलों पर भी ध्यान दिया जाएगा जिसकी देश और विदेश में काफी माँग है और ये काफी ज्यादा पारिश्रमिक भी प्रदान करते हैं।

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत पेंशन योजनाओं के लिए सभी क्षेत्रों में कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना, दोनों के लिए, सरकार का अंशदान 2016-17 के 8 प्रतिशत से बढ़कर 1 अप्रैल 2018 को 12 प्रतिशत हो गया है। इसके परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान लाभान्वितों की संख्या में लगभग 88 लाख की वृद्धि हुई है। 31 मार्च 2019 तक, योजना के तहत कुल 1,18,05,000 व्यक्ति और 1,45,512 संस्थाएँ लाभान्वित हुए हैं।

चुनौतियाँ

भारत में स्टार्टअप के समक्ष कुछ प्रमुख चुनौतियाँ विद्यमान हैं, जो निम्नलिखित हैं-

- स्टार्टअप में दिया जाने वाला फंडिंग उस कार्य के जोखिम एवं उसे निभाने वाली योग्यता के मापदंड पर निर्भर करता है। स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी समस्या रुपये से संबंधित है जो बिना किसी गारंटी के दिया जा सके।
- स्टार्टअप के लिए सबसे ज्यादा प्रतिभा छोटे

शहरों एवं गाँवों में देखने को मिलती हैं, फिलहाल उन्हें स्टार्टअप से सफलतापूर्वक जोड़ना एक प्रमुख चुनौतीपूर्ण कार्य है।

- छोटे शहरों एवं गाँव में रहने वाले लोग आज भी कम्प्यूटर चलाने से अनभिज्ञ हैं और तकनीकी रूप से काफी कमजोर हैं।
- सरकारी निवेशकों की कमी भी एक प्रमुख चुनौती है। स्टार्टअप इंडिया स्टैण्डअप इंडिया में सबसे बड़ी बाधा अनुभव की है, जिसके लिए जरूरी है कि इस कार्य के लिए बड़े पैमाने पर युवा वर्ग जुड़े जो तकनीक की पर्याप्त समझ रखता हो।
- स्टार्टअप इंडिया-स्टैण्डअप इंडिया को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि सरकार कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करें और लोगों को सही दिशा में प्रशिक्षित करें।

आगे की राह

गौरतलब है कि भारत में स्टार्टअप अपनी जड़ें जमा रहे हैं और उनकी निरंतर वृद्धि को प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। स्टार्टअप के लिए वित्त पोषण और विनिर्माण क्षेत्र की मदद के लिये प्रोत्साहन आधारित कर्ज सुविधा जैसे उपायों पर जोर दिया जाना चाहिए। धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था को गति देने के उपायों को लेकर कुछ ठोस पहल किये जाने की जरूरत है।

स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए शुरूआती पूँजी और इक्विटी वित्त पोषण के लिए सुविधा बढ़ाने, विनिर्माण क्षेत्र को गति देने के लिए सरलीकृत और प्रोत्साहन आधारित कर्ज सुविधाएँ नीति निर्माताओं के लिए शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल होनी चाहिए। इससे नवप्रवर्तन और उद्यमिता को गति मिलेगी।

स्टार्टअप इंडिया योजना से आसान लाइसेंस मंजूरी, कर में कटौती तथा न्यूनतम नियामकीय हस्तक्षेप के रूप में निश्चित रूप से स्टार्टअप को कई लाभ मिले हैं, पर इसके बावजूद कई सुधारात्मक नीतियों की जरूरत है। एमएसएमई के लिए आसान कर्ज सुविधा आर्थिक वृद्धि को गति देने तथा रोजगार सृजन के लिहाज से जरूरी है। इसके साथ ही फिनटेक कंपनियों को भी अधिक सशक्त बनाये जाने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

■

7. सार्वजनिक–निजी भागीदारी मॉडल : विकास का वाहक

चर्चा का कारण

हाल ही में आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल को अपनाने की बात कही है। गौरतलब है कि आर्थिक और सामाजिक अवसंरचनात्मक संपत्ति के सृजन में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) एक कारगर उपकरण है। अवसंरचना के निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी में खास तौर पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत प्रोत्साहित किए गए विस्तृत क्षेत्रों में राजमार्ग, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली और शहरी अवसंरचना इत्यादि शामिल हैं।

परिचय

करीब 27 साल पहले विश्व बैंक ने पूरी दुनिया में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए संयुक्त उद्यम मॉडल की सलाह दी थी। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के संसाधनों पर दबाव, अक्षमता और जिम्मेदारी की कमी इस सलाह के मुख्य कारण माने गए थे। भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना में भी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए निजी क्षेत्र की क्षमताओं के दोहन पर बल दिया गया था। इसने संयुक्त उद्यमों के लिए निजी सेवा प्रदाताओं को आमंत्रित करने के लिए राज्यों को प्रेरित किया।

पीपीपी परियोजना का अर्थ उस परियोजना से है जिसमें एक तरफ सरकार या स्वतंत्र अस्तित्व के वैधानिक निकाय और दूसरी ओर निजी क्षेत्र की कंपनी के बीच एक अनुबंध या रियायती अनुबंध होता है जो बुनियादी ढाँचागत सेवा प्रदान करने के लिए उपभोक्ता से शुल्क वसूल करते हैं। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) दूसरी ओर एक ऐसा मॉडल है जिसमें सेवाप्रदाय का कार्य निजी क्षेत्र (अलाभकारी/लाभार्थ संगठन) द्वारा किया जाता है जबकि सेवा प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार पर होती है। इस प्रकार की व्यवस्था में सरकार या तो निजी भागीदार के साथ अनुबंध में शामिल रहती है या निजी क्षेत्र को सेवा प्रदान करने की प्रतिपूर्ति करती है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत सरकार निजी कंपनियों के साथ अपनी परियोजनाओं को अंजाम देती है। देश के कई हाइवे, एयरपोर्ट, शहरी अवसंरचना व बिजली इत्यादि इसी मॉडल पर बने हैं। यह एक ऐसा करार है, जिसके द्वारा किसी जन सेवा या बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन की व्यवस्था की जाती है। इसमें सरकारी और निजी संस्थान मिलकर अपने अनुभवों का प्रयोग करते हैं और पहले से निर्धारित लक्ष्य पर काम करते हैं और उसे हासिल करते हैं। पीपीपी की जरूरत इसलिए पड़ती है, क्योंकि सरकार के पास इतना धन नहीं होता है, जिससे वह हजारों करोड़ रुपयों की घोषणाओं को पूरा कर सकें। ऐसी स्थिति में सरकार प्राइवेट कंपनियों के साथ करार कर लेती है और इन परियोजनाओं को पूरा करती है।

पीपीपी मॉडल

बीओटी-टोल: पीपीपी परियोजनाओं को लागू करने का एक तरीका है, बीओटी यानी बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर या बनाओ, चलाओ और वापस करो। पीपीपी में सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क वसूलने का अधिकार होता है। कंपनी हर व्यक्ति से पैसा वसूल कर निवेशित राशि और मुनाफा निकालती है। बीओटी-टोल तरीका कंपनियाँ वहाँ इस्तेमाल करती हैं जहाँ व्यक्तिगत सेवा शुल्क से ज्यादा आय की संभावना होती है।

बीओटी-एन्युटी: ऐसी परियोजनाओं में जहाँ सीधे-सीधे व्यक्तिगत शुल्क से निवेश और मुनाफे की गुंजाइश कम हो वहाँ बीओटी-एन्युटी अनुबंध किया जाता है। इसमें कंपनियाँ सालाना आय का आकलन कर यह राशि सरकार से वसूल करती हैं। ग्रामीण या कम ट्रैफिक वाली सड़कों पर इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है।

अवसंरचना फाइनेंस: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)

अवसंरचना में निजी निवेश मुख्यतः पीपीपी के रूप में आया है। पिछले दशक में भारत में अवसंरचना निवेश का एक तिहाई से अधिक निवेश निजी क्षेत्र से आया है। सार्वजनिक-निजी

भागीदारी स्कीम अवसंरचना गैप की समस्या का निवारण करने और अवसंरचना संबंधी सेवाएँ प्रदान करने में दक्षता सुधार करने में मदद करती है। विश्व बैंक के अवसंरचना (पीपीआई) डाटाबेस में निजी भागीदारी के अनुसार, विकासशील देशों में भारत की स्थिति सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं और संबद्ध निवेश दोनों की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। अवसंरचना कार्यक्रम में भारतीय निजी भागीदारी अनेक सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडलों की सहायता करती है जिसमें प्रबंधन संविदाएँ, बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफर (बीओटी) संविदाएँ, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर (डीबीएफओटी) संविदाएँ, पुनर्वास संचालन स्थानांतरण (आरओटी), हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) और टोल ऑपरेट ट्रांसफर (टीओटी) मॉडल भी शामिल हैं। बीओटी मॉडल के अंतर्गत, दो वर्जन हैं-यथा बीओटी (टोल) और बीओटी (एन्युटी) जो इस बात पर निर्भर करता है कि यातायात जोखिम का वहन कौन करता है। बीओटी (टोल) के मामले में, यातायात जोखिम का वहन सार्वजनिक-निजी भागीदारी रियायतों द्वारा किया जाता है जबकि बीओटी (एन्युटी) के मामले में, इसका वहन सरकार (लोक प्राधिकरण) द्वारा किया जाता है।

इस क्षेत्र द्वारा झेली जा रही चुनौतियों में से एक चुनौती उन परियोजनाओं के लिए एक व्यापक समाधान/समझौता विकल्प निकालना है जो या तो बीच में अटके पड़ी हैं अथवा जिनमें मध्यस्थता विवादों/दावों का निपटारा नहीं किया गया है। अवसंरचना क्षेत्रों में विवादों का समयबद्ध समाधान करने के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, निजी डेवलपरों ने लीवरेज्ड बैलेंस शीटों के विवादों का सामना किया है और आक्रामक बोली प्रणाली ने उनके लिए परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाना मुश्किल कर दिया है। तदनुसार, सरकार ने अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए हाइब्रिड वार्षिकी स्वरूप अपनाया है। सरकार निर्माण अवधि में समग्र परियोजना लागत की 40 प्रतिशत लागत का योगदान करती है और शेष 60 प्रतिशत लागत का भुगतान परियोजना निर्माण के पूरा होने के बाद द्विवार्षिकी के रूप में किया जाता है। एचएएम मॉडल निजी रियायतों के लिए पर्याप्त रूप से जोखिम रहित है। एचएएम मॉडल के अंतर्गत आक्रामक बोली लगाने को हतोत्साहित करने के लिए एक अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा की व्यवस्था है जो उसी स्थिति में लागू होगी जिसमें सबसे निम्न बोलीदाता की बोली परियोजना लागत आकलित परियोजना लागत के संबंध में 10 प्रतिशत से भी कम है।

पीपीपी से जुड़ी समस्याएँ

जोखिम हस्तांतरण: पीपीपी परियोजना के पक्ष की मुख्य दलीलों में से एक है जोखिम हस्तांतरण। आम धारणा यह है कि जब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र भागीदारी में परियोजना का क्रियान्वयन करते हैं तो कुछ जोखिमों जैसे- वाणिज्यिक, वित्तीय संचालन, निर्माण एवं प्राकृतिक और अपरिहार्य आपदाओं का विभाजन होता है जिससे सार्वजनिक क्षेत्र अपनी कुछ जोखिम निजी क्षेत्र पर डाल सकता है।

प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में जोखिमों का हस्तांतरण निजी क्षेत्र पर किया जा सकता है। ऐसी कई मिसालें हैं जिनमें पीपीपी मॉडल के लाभ जैसे जोखिम हस्तांतरण और निवेश के लाभ (वेल्यू फॉर मनी) मूल्यांकन में विरोधाभासी प्रमाण पाए गए हैं जबकि पीपीपी परियोजनाओं के सौदा समझौतों में सार्वजनिक एजेंसियों ने पाया है कि जोखिमों से दूर रहने की निजी क्षेत्र की प्रवृत्ति के कारण जोखिमों का हस्तांतरण कठिन हो जाता है। यदि सार्वजनिक क्षेत्र या सरकार परियोजना क्रियान्वित करने वाली निजी कंपनी पर जोखिम हस्तांतरण के लिए ज्यादा दबाव डालती है तो परियोजना की कीमत उसी अनुपात में बढ़ जाती है। इसका सीधा अर्थ है कि परियोजना से संबंधित जितनी जोखिमें निजी कंपनी लेती है परियोजना की लागत उतनी ही बढ़ती जाती है। दूसरी ओर बढ़ती बनावटी लागत वृद्धि (कॉस्ट पेडिंग) को कम करने के लिए यदि सरकार जोखिम उठाती है तो वह निजी क्षेत्र को जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए गारंटियों, ऋणों, अनुदानों और अंश पूँजी में सहभागिता आदि जैसे प्रावधानों पर ज्यादा धन खर्च करती है।

बजट में व समय पर कार्य न होना: पीपीपी परियोजनाओं की योग्यता के बारे में किए गए अध्ययन दर्शाते हैं कि इन परियोजनाओं के द्वारा अपने घोषित लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी बड़ी मुश्किल होती है। पीपीपी परियोजनाएँ धन (बजट) की कसौटी और समय पर पूरे होने की दृष्टि से खरी नहीं उतर पाई हैं।

समानता और सामाजिक न्याय: पीपीपी परियोजनाएँ निजी कंपनियों के सलाहकारों, अधिकारियों और वकीलों के वेतन और भत्ते बढ़ाकर समाज में असमानता को बढ़ाती हैं। इसका असर यह होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन और हित लाभ कम हो जाते हैं तब इन्हीं कर्मचारियों को निजी कंपनियाँ कम वेतन और बिना किसी हित लाभ के काम पर रख लेती हैं।

पीपीपी के कुछ तत्व

- अनुबंध/इकरारनामा सरकार और निजी कंपनियों के बीच
- बुनियादी ढाँचागत सेवाओं का प्रदाय निजी संचालन द्वारा करने हेतु प्रयुक्त
- व्यावसायिक सिद्धांतों पर आधारित संचालन
- उपभोक्ताओं द्वारा सेवा शुल्क देने पर ही सेवाप्रदाय
- थोक मात्रा में सेवाप्रदाय के लिए सार्वजनिक एजेंसी/सरकार द्वारा भुगतान
- पूर्ण लागत वसूली, कम से कम संचालन और प्रबंधन खर्च के लिए
- सेवा प्रदान करने की जिम्मेदारियों का सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच विभाजन
- जटिल नियामक तंत्रों की आवश्यकता

अनुबंध के बाद परिवर्तन: सामान्यत: देखा गया है कि कई कंपनियाँ कम कीमत और कम शुल्क पर अनुबंध इस आधार पर हस्ताक्षर कर लेती हैं कि लोगों की निजीकरण के प्रति प्रतिक्रिया न हो लेकिन बाद में नगर निकाय अथवा सरकार पर अनुचित दबाव डालकर शर्तें बदलवाने की कोशिश की जाती हैं। सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न न हो इसलिए इनकी माँगें मान ली जाती हैं। इसी को अनुबंध के बाद बदलाव कहा जाता है।

पारदर्शिता और जवाबदेही: पीपीपी परियोजनाओं की सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है उनका प्रजातांत्रिक ढाँचे और समाज के नियंत्रण पर होने वाला प्रभाव। इस प्रकार की परियोजनाएँ अपने वाणिज्यिक पक्ष तथा लाभोन्मुखी संचालन को आधार बनाकर गोपनीयता की माँग करती हैं और उसे प्राप्त भी करती हैं। परियोजना बनाते समय नागरिकों से बिरले ही विचार विमर्श किया जाता है। परियोजना के अंतिम निर्णय के बाद भी नागरिकों को परियोजना संबंधी जानकारियाँ प्राप्त करने में गंभीर परेशानियाँ आती हैं। ये बाधाएँ परियोजनाओं से सीधे प्रभावित होने वाले लोगों को परियोजना स्वीकृति के पक्ष में निर्णय लिए जाने की प्रक्रिया सहित परियोजना संबंधी समस्त महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने से रोकती हैं।

जानकारी तक पहुँच का अभाव: भारत से पहले जिन देशों ने बुनियादी ढाँचा विकास के लिए पीपीपी को अपनाया उन्होंने पीपीपी ढाँचे में जानकारी प्राप्ति, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे

मूलभूत सिद्धांतों पर विशेष बल दिया अर्थात्, पारदर्शिता और खुलापन सभी सरकारी कार्यक्रमों की महती आवश्यकताएँ होनी चाहिए किंतु पीपीपी ढाँचे में इसका अभाव है।

- विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में पीपीपी प्रोजेक्ट्स के विफल होने के पीछे दोषपूर्ण रिस्क शेयरिंग, अयोग्य बिजनेस मॉडल और वित्तीय अस्थिरता है, जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनियाँ कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के बाद निवेश बाहर निकाल देती हैं।
- पीपीपी प्रोजेक्ट्स के बारे में कोई डेटाबेस नहीं है। निजी क्षेत्र की कंपनियाँ हमेशा ऐसे ऑनलाइन डेटाबेस की डिमांड करती हैं, जहाँ पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट, रियायत के एग्रीमेंट, विभिन्न मंजूरियाँ और भूमि अधिग्रहण जैसे किसी प्रोजेक्ट्स के बारे में सारे दस्तावेज उपलब्ध हों।
- कन्सेशनिंग अथॉरिटी द्वारा भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण/वन मंजूरी जैसे प्रोजेक्ट विकास गतिविधियों को पर्याप्त महत्व न दिया जाना भी पीपीपी मॉडल को कमजोर करता है।
- पीपीपी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए काफी हद तक निजी क्षेत्र बैंक कर्ज पर निर्भर रहते हैं। बैंकों का अपना सेक्टरवार लक्ष्य होता है, जिसके पूरा हो जाने के बाद पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए कर्ज मिलना मुश्किल हो जाता है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी का विश्लेषण

सामुदायिक कल्याण एवं समानताः पीपीपी मॉडल में निजी कंपनी को दाम चुकाकर उपयोग करने और लागत वसूली के व्यावसायिक सिद्धांत पर आधारित सेवा प्रदान करने का विकल्प दिया जाता है। चूंकि कंपनी को अपनी सम्पूर्ण लागत मूल्य और संचालन व्यय वसूलना होता है इसलिए वह उपयोगकर्त्ता से शुल्क प्राप्त कर सेवा प्रदान करती है अर्थात जो भी मूल्य चुकाने में समर्थ होगा उसे सेवा दी जाएगी। ऐसा मॉडल बाजार में निजी उत्पादों और सेवाओं के लिए तो ठीक है परन्तु पानी और स्वच्छता जैसी सार्वजनिक सेवाओं के मामलों में यह अत्यंत विवादास्पद और सामाजिक रूप से विघटनकारी हो सकती है।

कम खर्चीली परियोजनाएँ: यह मॉडल नए निजी पूँजी निवेश का एक सस्ता विकल्प है और इस प्रकार सरकारें बुनियादी ढाँचों पर होने वाले खर्च से पैसा बचा सकती हैं। हालांकि कई बार निजी ठेकेदारों को दिए गए पारंपरिक सरकारी ठेकों के विपरीत पीपीपी ज्यादा महँगे भी हो सकते हैं।

अधिक कार्यकुशलताः सार्वजनिक परियोजनाओं में पीपीपी के होने से मुख्य फायदा यह होता है कि निजी कंपनियाँ डिजाइन, निर्माण और संचालन की उत्कृष्ट कार्यकुशलता सार्वजनिक सेवा के लिए लाती हैं। इसके अलावा निजीकरण से परियोजना संचालन में ज्यादा कुशलता आती है जिससे परियोजना लागत में बचत और लाभ अधिकतम होता है।

निजी पूँजी निवेश में वृद्धिः चूंकि इस मॉडल में निजी वित्तीय संसाधनों का उपयोग होता है जिससे परियोजना में सार्वजनिक संसाधन लगाने ही नहीं पड़ते हैं। इसलिए ये बचे हुए सार्वजनिक संसाधन सरकार की दूसरी नीतिगत प्राथमिकताओं के लिए काम में लाए जा सकते हैं।

भूमिका का विभाजनः पीपीपी के पक्ष में संचालन संबंधी एक और तर्क है जो जोखिम हस्तांतरण से गहराई से जुड़ा है वह है निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारी में उचित भूमिका विभाजन का। इसका मतलब है कि दोनों क्षेत्रों की क्षमताओं और कमजोरियों के मद्देनजर उनकी भूमिकाओं का विभाजन होता है।

वर्तमान पीपीपी मॉडल में निजी क्षेत्र को न्यूनतम और सार्वजनिक क्षेत्र को अधिकतम भूमिकाएँ और जोखिमें दी जाती हैं। प्रभावी रूप से इसका मतलब यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र परियोजना का अधिकांश भार अपने ऊपर ले लेता है और निजी क्षेत्र भाड़े पर सिर्फ सेवा प्रदान करता है। ऐसा बिना जवाबदेही का सेवाप्रदाता इस आधार पर लिया जाता है कि वह बेहतर कार्यक्षमता रखता है।

- बुनियादी ढांचा परियोजनओं में पीपीपी से सार्वजनिक क्षेत्र में आवश्यक निवेशों को जुटाने के अलावा सेवा आपूर्ति, विशेषज्ञता, उद्यमिता और व्यावसायिक कौशल में दक्षता आती है।
- हैदराबाद और बेंगलुरु में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों के विकास के लिए पीपीपी मॉड्ल से बुनियादी ढांचा परियोजना में हवाई अड्डों पर विश्व श्रेणी का बुनियादी ढांचा जुटाने, हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों को कुशल और समयबद्ध सेवाओं की आपूर्ति करने और बिना किसी निवेश के भारतीय विमान प्राधिकरण की राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने में मदद मिली है।
- वर्तमान में पीपीपी मॉडल के तहत प्रबंध किए जा रहे हवाई अड्डों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोच्चि शामिल हैं।

सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति

सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाया गया है ताकि परियोजनाओं के शीघ्र मूल्यांयकन को सुनिश्चित किया जा सके, होने वाले विलंब को खत्म किया जा सके, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं को अपनाया जा सके और मूल्यांकन प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों में समरूपता हो सके। अधिसूचित मूल्यांकन प्रक्रिया में सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) का गठन शामिल है जो केन्द्रीय क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी की परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है।

आगे की राह

भारत जैसे विकासशील देशों में उन तरीकों का अभाव है जिससे पीपीपी परियोजनाओं का सार्वजनिक क्षेत्र के ठेकों से तुलनात्मक मूल्यांकन किया जा सके। बहुधा विकसित देशों में एजेंसियों द्वारा निवेश के लाभ (वेल्यू फॉर मनी) पद्धति से पीपीपी मॉडल के समय और लागत संबंधी लाभों का अध्ययन किया जाता है इसलिए अधिक लाभप्रद होने पर ही पीपीपी मॉडल की अनुशंसा की जाती है जबकि दूसरी ओर भारत में हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ जैसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी), एनएचपीसी, एनटीपीसी, बीएचईएल आदि हैं जिनकी परियोजना को दिए गए संसाधनों और समय सीमा में पूरा करने की क्षमता है। अतः ऐसा नहीं है कि अधिक दाम वसूलने वाली केवल निजी कंपनियाँ ही बजट और समय-सीमा का लाभ प्रदान कर सकती हैं इसलिए पीपीपी मॉडल देश हित में लाभकारी हो सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- निवेश मॉडल।

■

स्नातक विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

केन्द्रीय बजट 2019–20 : एक नजर में

प्र. केन्द्रीय बजट 2019-20 में महिलाओं के लिए किए गये प्रावधान एवं शिक्षा, कौशल और रोजगार सृजन के लिए क्या घोषणाएँ की गई हैं? चर्चा करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2019-20 पेश किया जिसमें उन्होंने सशक्त राष्ट्र, सशक्त नागरिक के सिद्धांत पर जोर दिया।

गाँव, गरीब और किसानों के लिए प्रावधान

- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत साल 2019-20 से साल 2021-22 तक पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान मुहैया कराये जाएंगे।
- इनमें रसोई गैस, बिजली और शौचालयों जैसी सुविधाएँ होंगी।
- गौरतलब है कि 5.6 लाख गाँव अब तक खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ 95 प्रतिशत से अधिक शहरों को भी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। विदित हो कि 2 अक्टूबर, 2014 से अब तक 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

शिक्षा, कौशल एवं रोजगार सृजन

- शिक्षा के क्षेत्र में 2019-2020 में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान टॉप 200 में भारत के सिर्फ तीन शिक्षा संस्थान ही शामिल हैं।
- नई नीति में स्कूलों और कॉलेजों में बदलाव की योजना है।

महिलाएँ

- महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ, मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को सस्ता लोन देने का एलान किया गया है। महिला उद्यमियों को अब एक लाख तक का लोन दिया जाएगा।
- साथ ही जन धन खाते वाले प्रत्येक सत्यापित महिला एसएचजी (सेल्फ हेल्प ग्रुप) सदस्य को 5000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की अनुमति दी गई है।
- लैंगिक भेदभाव दूर करने के लिए सरकारी और निजी हितधारकों के साथ एक समिति प्रस्तावित की गई है।
- इसके अतिरिक्त स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत महिलाओं, SC-ST उद्यमियों को लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है। ■

2. भारत में सामाजिक अवसंरचना एवं मानव विकास

प्र. भारत के विकास का निर्दिष्ट पथ सामाजिक अवसंरचना में निवेश पर टिका हुआ है। विश्लेषण कीजिए।

उत्तरः

संदर्भ

- सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अंतर्गत 17 और अन्य 169 लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक पूरा करने हेतु वैश्विक भागीदारी को आवश्यक समझा गया है।

मानव विकास सूचकांक

- वर्ष 1990 से लेकर वर्ष 2017 में मध्य भारत के एचडीआई (मानव विकास सूचकांक) में काफी सुधार हुआ है।

लैंगिक मुद्दे

- चूंकि वैश्विक स्तर पर वर्ष 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की आशा है। इसको निर्धारित करने में ''लैंगिक समानता'' (एसडीजी-5) एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक है।

सामाजिक क्षेत्र के खर्च की प्रवृत्तियाँ

- वर्ष 2014-15 से 2018-19 (बजट अनुमान) की अवधि के दौरान केन्द्र और राज्यों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सामाजिक सेवाओं पर खर्च में 1% से अधिक अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक सेवाओं पर खर्च वर्ष 2014-15 में 6.2% से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 7.3 प्रतिशत तक हो गया।

सभी के लिए स्वास्थ्य

- सरकार लोक स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने, स्वास्थ्य असमानताओं को कम करने और सभी के लिए सुलभ स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि सर्व सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

ग्रामीण विकास

- ग्रामीण सम्पर्क, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इत्यादि।

निष्कर्ष

- भारत के विकास का निर्दिष्ट पथ सामाजिक अवसंरचना में निवेश के साथ गहन रूप में गुथा हुआ है। जनांकिकीय लाभ को प्राप्त करने के

लिए सरकार शिक्षा एवं कौशल विकास के संवर्द्धित नतीजे प्राप्त करने तथा सभी के लिए रोजगार और वहनीय चिकित्सा देखरेख उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ■

3. स्वयं सहायता समूह : महिला सशक्तिकरण का एक प्रमुख माध्यम

प्र. स्वयं सहायता समूह ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में किस प्रकार योगदान करते हैं? वर्णन कीजिए।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत सरकार ने बजट 2019-20 में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को बढ़ावा देने तथा देश की विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए स्वयं सहायता समूह को दिए जाने वाले ब्याज सब्सिडी कार्यक्रमों का सभी जिलों में विस्तार करने का निर्णय लिया है।

परिचय

- भारत में आर्थिक उदारीकरण (1991-92) के दौरान स्वयं सहायता समूहों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया तथा इस प्रक्रिया में नाबार्ड की भूमिका प्रमुख रही। वहीं भारत की नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान स्वयं सहायता समूहों को जमीनी-स्तर पर विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन में उपयोग में लाया गया।

स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य

- गरीब लोगों के बीच नेतृत्व क्षमता का विकास करना।
- स्कूली शिक्षा में योगदान करना।
- पोषण में सुधार करना।
- जन्म दर में नियंत्रण करना।

स्वयं सहायता समूहों का ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान

- सामाजिक उद्यमिता को प्रोत्साहन देने में सहायक।
- लोगों में उद्यमशीलता, प्रबंधकीय गुणों जैसे नेतृत्व व निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि का विकास।
- आर्थिक गतिविधियों द्वारा मूल्यवर्द्धक वस्तुओं का उत्पादन।

चुनौतियाँ

- ज्ञान की कमी, बैंकिंग सुविधाओं का अभाव, स्थायित्व तथा सुरक्षा इत्यादि।

आगे की राह

- भारतीय अर्थव्यवस्था में दहाई की गति प्राप्त करना तथा निरंतरता बनाए रखना बहुत ही महत्त्वाकांक्षी प्रतीत होता है, आज के बदलते भारत में आवश्यकता है कि विभिन्न महत्वपूर्ण चुनौतियों, जैसे सभी राज्यों में संतुलित समान आर्थिक विकास, सामाजिक सद्भाव, आगामी पीढ़ियों के मद्देनजर मानव-हित में पर्यावरणीय संरक्षण एवं संतुलन बनाते हुए 2030 तक समावेशी एवं सतत विकास के लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से रणनीतिक तौर पर प्राप्त किया जाये। ■

4. ई-गवर्नेंस के जरिए नागरिकों का सशक्तिकरण

प्र. ई-गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं? भारत में सुशासन स्थापित करने में यह किस प्रकार सहायक हो सकता है? उदाहरण सहित वर्णन करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में पेश आम बजट में ई-गवर्नेंस (शासन) पर बल देते हुए वित्त मंत्री ने इसे सुशासन के लिए अनिवार्य माना है।

परिचय

- आज विश्व के विभिन्न देशों के मध्य सिमटती दूरियों का प्रमुख कारण सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार को माना जाता है। सूचना क्रांति से जहाँ लोगों के जीवन में बदलाव आया है, वहीं ई-शासन ने रही-सही कसर को पूरा कर दिया है।

ई-गवर्नेंस की आवश्यकता क्यों

- ई-गवर्नेंस से प्रशासनिक कार्य एवं सेवाओं की दक्षता एवं गुणवत्ता में सुधार होता है। उदाहरण के तौर पर सब्सिडी का सीधे हितग्राही के बैंक खाते में जाने से यह सुनिश्चित होता है कि उचित व्यक्ति को लाभ मिल रहा है या नहीं।

ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में सरकारी प्रयास

- केंद्र सरकार की ओर से ई-गवर्नेंस के विस्तारीकरण की दिशा में कई तरह की पहल की गई हैं। राज्यों को भी निर्देश दिया गया है कि जिन राज्यों में अभी तक ई-गवर्नेंस व्यवस्था को पूरी तरह से अमलीजामा नहीं पहनाया गया है वे जल्द से जल्द जनता से जुड़े सभी विभागों में ई-गवर्नेंस को लागू करने के साथ ही इससे आमजन को अवगत करवाएँ।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना

- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना 2006 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य कॉमन सर्विस सेंटरों के जरिए आम नागरिकों को सभी सरकारी सेवाओं तक पहुँच प्रदान करते हुए सक्षमता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है।

डिजिटल इंडिया

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, पीएमजीडीआईएसएचए (पीएमजी दिशा), मेरी सरकार (MyGov), डिजिटल भुगतान, जीवन प्रमाण, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, उमंग इत्यादि।

चुनौतियाँ

- सूचना क्रांति का भारत के ग्रामीण निर्धन लोगों पर व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा है। यह भी एक तथ्य है कि सरकार के प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल

इंडिया के अन्तर्गत दूर-दराज के क्षेत्रों सहित समूची ग्रामीण आबादी को डिजिटल रूप में सक्षम समाज में रूपान्तरित करना एक बड़ी चुनौती रही है।

आगे की राह

- निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि ई-शासन प्रणाली से जहाँ एक ओर सरकारी क्षेत्रों में आर्थिक-सामाजिक एवं अन्य विभिन्न मुद्दों का सरलीकरण एवं सूचनाओं का तीव्र स्थानांतरण हुआ है, वहीं दूसरी तरफ यह नागरिक एवं सरकार के मध्य नागरिक-मित्र सरकार का आधार भी निर्मित करती है। ■

5. भारत का विदेशी व्यापार एवं वैश्विक आर्थिक परिवेश

प्र. ऐसे कौन से कारक रहे हैं जिससे वैदेशिक क्षेत्र में भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है?

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत सरकार ने आर्थिक समीक्षा 2018-19 जारी किया है जिसमें वैदेशिक क्षेत्र के संदर्भ में भारत की समष्टि आर्थिक स्थिति स्थिर रही है।

परिचय

- वैदेशिक क्षेत्र में भारत की समष्टि आर्थिक स्थिति स्थिर होने के बावजूद 2018-19 की चौथी तिमाही में कच्चे तेल में उछाल एवं वस्तु निर्यातों की वृद्धि में तीव्र गिरावट, व्यापार घाटे में अवनति के लिए उत्तरदायी रही है। हालांकि धन-प्रेषण की वृद्धि में बढ़ोत्तरी ने कुछ हद तक चालू खाता घाटे की अवनति नियंत्रित रखी है।

व्यापार संरक्षणवाद को बढ़ावा तथा वैश्विक उत्पादन में कमी

- वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) ने अप्रैल 2019 के अपने प्रकाशन में इस वर्ष 3.3 प्रतिशत विश्व उत्पादन में वृद्धि अनुमानित की है जो कि 2018 में प्राप्त की गई 3.6 प्रतिशत से कम है। अमेरिका चीन व्यापार तनाव वैश्विक मंदी के पीछे के मुख्य कारण हैं जिसने उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को उनकी मुद्राएं मजबूत बनाने तथा आयात सस्ता करने में पोर्टफोलियो निवेश को बढ़ाया है।
- डब्ल्यूईओ के अनुसार अमेरिका-चीन व्यापार तनाव ने मशीनरी एवं उपकरण (Equiments) जो कि विगत वर्षों से गिरे हैं, को जोखिम में डाला है। इसके अलावा तेल उत्पादक देशों के द्वारा उत्पादन में कटौती करने के साथ, अमरीका द्वारा ईरान से तेल आपूर्ति की कटौती करने के बाद कच्चे तेल के मूल्य बढ़ने शुरू हो गए हैं जबकि आपूर्ति विकार के कारण अन्य वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ने लगे हैं।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

- 14 जून 2019 की स्थिति के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 422.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित परिसंपत्ति के मूल्य परिवर्तन या भुगतान शेष संतुलन की अस्थिरता के कारण विदेशी मुद्रा भंडार स्तर में परिवर्तन हो सकता है।

आगे की राह

- वर्तमान में सभी देशों को व्यापार संरक्षणवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों को व्यापार में सुगमता हासिल हो सके। इसके अलावा भारत सरकार को चाहिए कि वह व्यापार घाटा को संतुलन में ले आए ताकि सुचारू रूप से गतिशील बनी रहे। हालांकि कच्चे तेल के मूल्यों में बढ़ोतरी पर दवाब हो सकता है क्योंकि विश्व उत्पाद में बढ़ोतरी होना अभी बाकी है यद्यपि यह भारत पर प्रभाव नहीं डालेगी क्योंकि विश्व उत्पाद में बढ़ोतरी भारत के निर्यातों पर अनुकूल प्रभाव डालेगी जिसे विश्व व्यापार में वृद्धि से अलग नहीं किया गया है। ■

6. भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम : एक अवलोकन

प्र. स्टार्टअप इंडिया योजना की चर्चा करते हुए सरकार द्वारा इसके लिए किये जा रहे प्रयासों की चर्चा करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में केन्द्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत बजट (2019-20) में स्टार्टअप के लिए एक्सक्लूसिव टीवी चैनल शुरू करने का ऐलान किया गया है।

परिचय

- स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नये विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जिससे देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हों।

स्टार्ट-अप कार्य योजना

- सरलीकरण और प्रारंभिक सहायता, समर्थन और प्रोत्साहन अनुदान, उद्योग-शैक्षिक जगत की भागीदारी और उद्भवन।

स्टार्टअप कारोबार के मुख्य बिन्दु

- स्टार्टअप कारोबारियों द्वारा कमाये जाने वाले मुनाफे पर व्यवसाय शुरू होने के पहले तीन साल तक इनकम टैक्स से छूट होगी।

चुनौतियाँ

- स्टार्टअप में दिया जाने वाला फंडिंग उस कार्य के जोखिम एवं उसे निभाने वाली योग्यता के मापदंड पर निर्भर करता है। स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी समस्या रुपये से संबंधित है जो बिना किसी गारंटी के दिया जा सके।

आगे की राह

- स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए शुरूआती पूँजी और इक्विटी वित्त पोषण के लिए सुविधा बढ़ाने, विनिर्माण क्षेत्र को गति देने के लिए सरलीकृत और प्रोत्साहन आधारित कर्ज सुविधाएँ नीति निर्माताओं के लिए शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल होनी चाहिए। इससे नवप्रवर्तन और उद्यमिता को गति मिलेगी। ■

7. सार्वजनिक–निजी भागीदारी मॉडल : विकास का वाहक

प्र. सार्वजनिक-निजी भागीदारी से जुड़े जोखिमों की चर्चा करते हुए इसके लाभों को भी गिनाइए।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल को अपनाने की बात कही है।

अवसंरचना फाइनेंसः सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)

- अवसंरचना में निजी निवेश मुख्यतः पीपीपी के रूप में आया है। पिछले दशक में भारत में अवसंरचना निवेश का एक तिहाई से अधिक निवेश निजी क्षेत्र से आया है।

पीपीपी से जुड़ी समस्याएँ

- जोखिम हस्तांतरण, बजट में व समय पर कार्य न होना, समानता और सामाजिक न्याय, अनुबंध के बाद परिवर्तन, पारदर्शिता और जवाबदेही, जानकारी तक पहुँच का अभाव इत्यादि।
- विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में पीपीपी प्रोजेक्ट्स के विफल होने के पीछे दोषपूर्ण रिस्क शेयरिंग, अयोग्य बिजनेस मॉडल और वित्तीय अस्थिरता है, जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनियाँ कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के बाद निवेश बाहर निकाल देती हैं।
- पीपीपी प्रोजेक्ट्स के बारे में कोई डेटाबेस नहीं है। निजी क्षेत्र की कंपनियाँ हमेशा ऐसे ऑनलाइन डेटाबेस की डिमांड करती हैं, जहाँ पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट, रियायत के एग्रीमेंट, विभिन्न मंजूरियाँ और भूमि अधिग्रहण जैसे किसी प्रोजेक्ट्स के बारे में सारे दस्तावेज उपलब्ध हों।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी का विश्लेषण

- सामुदायिक कल्याण एवं समानता, कम खर्चीली परियोजनाएँ, अधिक कार्यकुशलता, निजी पूँजी निवेश में वृद्धि, भूमिका का विभाजन।
- इसके अलावा बुनियादी ढांचा परियोजनओं में पीपीपी से सार्वजनिक क्षेत्र में आवश्यक निवेशों को जुटाने के अलावा सेवा आपूर्ति, विशेषज्ञता, उद्यमिता और व्यावसायिक कौशल में दक्षता आती है।

आगे की राह

- भारत जैसे विकासशील देशों में उन तरीकों का अभाव है जिससे पीपीपी परियोजनाओं का सार्वजनिक क्षेत्र के ठेकों से तुलनात्मक मूल्यांकन किया जा सके। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

जैविक खेती

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने संसद में बताया है कि देश में कुल 27.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों में जैविक खेती की जा रही है अर्थात देश में जैविक खेती में 20% बढ़ोत्तरी देखने को मिली है।

1.2 मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और ओडिशा में जैविक खेती में बढ़ोत्तरी देखने को मिली है।

मुख्य तथ्य

2.1 जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPOP) के अंतर्गत 10.97 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पहले से ही घोषित किया गया है।

2.2 साथ ही रूपांतरण के लिए 8.41 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 5.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन विकास (MOVCDNER) के तहत 0.639 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को आच्छादित किया गया है।

एमओवीसीडीएनईआर क्या है?

3.1 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन विकास (MOVCDNER) एनएमएसए के तहत एक नई उप योजना है।

3.2 जिसके माध्यम से 2015-16 से 2017-18 तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा में जैविक खेती समूहों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

3.3 इसका उद्देश्य उपभोक्ता के साथ उत्पादकों को लिंक करने के लिए एक मूल्य शृंखला मोड में प्रमाणित जैविक उत्पादन के विकास और निवेश, बीज, प्रमाणीकरण, संग्रह, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, विपणन और सुविधाओं के निर्माण के लिए पूरी मूल्य शृंखला के विकास का समर्थन करना है व ब्रांड का निर्माण करना मुख्य पहल है।

परंपरागत कृषि विकास योजना

4.1 इस योजना का शुभारंभ कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा 2015-16 में किया गया।

4.2 इस योजना का उद्देश्य दीर्घावधिक मृदा उर्वरता, संसाधन संरक्षण सुनिश्चित करने और रसायनों का प्रयोग किए बिना जैविक खेती को बढ़ावा देना है।

4.3 इस योजना के उद्देश्यों में न केवल कृषि पद्धति प्रबंधन बल्कि गुणवत्ता और नवाचारी साधनों के माध्यम से किसानों को सशक्त करना है।

4.4 इस योजना के तहत जैव-रसायनों, जैव-कीटनाशकों और जैव-उर्वरकों के ज्यादा-से-ज्यादा उपयोग पर जोर दिया जा रहा है।

4.5 साथ ही सिंचाई सुविधाओं में विस्तार, बागवानी विकास, कृषि वानिकी, बांस मिशन, मधुमक्खी पालन, दुग्ध, मछली एवं अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास पर विशेष बल दिया गया है।

जैविक खेती व उनके फायदे

5.1 जैविक खेती कृषि की वह विधि है जिसमें संश्लेषित उर्वरकों, संश्लेषित कीटनाशियों (कीटनाशी, कवकनाशी, जीवाणुनाशी, शाकनाशी) और कृत्रिम वृद्धि नियामकों का प्रयोग सर्वथा वर्जित रहता है।

5.2 साथ ही ट्रॉसजैनिक (परजीनी) फसलों अथवा उनकी किस्मों का प्रयोग भी वर्जित होता है।

5.3 बाह्य निवेशों का न्यूनतम प्रयोग एवं फार्म पर उत्पादित निवेशों का अधिकतम प्रयोग किया जाता है।

5.4 भूमि की उर्वरशक्ति को बनाए रखने अथवा उसकी वृद्धि पर बल दिया जाता है। इसके लिए फसल चक्र, हरी खाद, कम्पोस्ट आदि के प्रयोग पर बल दिया जाता है।

5.5 जैविक खेती से फसल, मानव, मृदा और पर्यावरण स्वास्थ्य में वृद्धि एवं एवं टिकाऊपन आता है।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बिल (संशोधन) 2019

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बिल (संशोधन), 2019 को पारित कर दिया है।

प्रमुख तथ्य

2.1 यह विधेयक राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) अधिनियम, 2008 में संशोधन करता है।

2.2 यह विधेयक एनआईए को अनुसूची के सूचीबद्ध अपराधों की जाँच करने एवं उन पर मुकदमा चलाने की शक्ति प्रदान करता है।

2.3 इसके अलावा इस संशोधन विधेयक में अनुसूचित अपराधों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है।

2.4 इस विधेयक में अपराधों की एक अनुसूची दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इन अपराधों की जाँच एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी करेगी।

2.5 इन अपराधों में आणविक ऊर्जा अधिनियम, 1962 तथा गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 में वर्णित अपराध भी शामिल हैं।

2.6 यह अधिनियम एनआईए को निम्नलिखित जाँच करने की शक्ति प्रदान करता है-

- **2.6.1** मानव तस्करी।
- **2.6.2** जाली मुद्रा से संबंधित अपराध।
- **2.6.3** निषिद्ध हथियारों के निर्माण और विक्रय।
- **2.6.4** साइबर आतंकवाद।
- **2.6.5** विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 से संबंधित अपराध।

एनआईए के अधिकार क्षेत्र

3.1 एनआईए के अधिकारियों के पास भारत-भर में जाँच से संबंधित वही शक्तियां होती हैं जो किसी पुलिस अधिकारी की होती हैं। इसके अतिरिक्त, अब एनआईए भारत के बाहर किये गये अनुसूचित अपराधों की भी जाँच कर सकेगा।

3.2 यद्यपि यह जाँच अंतर्राष्ट्रीय संधियों और संबंधित देश के घरेलू कानूनों के अधीन ही की जायेगी। इसके लिए केंद्र सरकार NIA को निर्देश देकर जाँच करने कह सकती है।

3.3 ऐसे मामले नई दिल्ली स्थित विशेष न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में आएँगे।

3.4 इस विधेयक के अनुसार केंद्र सरकार अनुसूचित अपराधों पर विचार करने के लिए सेशन न्यायालयों को विशेष न्यायालय नामित कर सकती है। इसके लिए उसे पहले संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना होगा।

3.5 यदि एक ही क्षेत्र में एक से अधिक विशेष न्यायालय गठित होते हैं तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा मामलों को न्यायालयों के बीच बाँट दिया जाएगा।

3.6 राज्य सरकारें भी सेशन न्यायालय को अनुसूचित अपराधों पर विचार करने के लिए विशेष न्यायालय घोषित कर सकती हैं।

3.7 राष्ट्रीय अन्वेषण संशोधन विधेयक, 2019 उपबंध करता है कि अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 2 में नया खंड ऐसे व्यक्तियों पर अधिनियम के उपबंध लागू करने के लिये है जो भारत के बाहर भारतीय नागरिकों के विरुद्ध या भारत के हितों को प्रभावित करने वाला कोई अनुसूचित अपराध करते हैं।

3.8 इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा का संशोधन करके एनआईए के अधिकारियों को वैसी शक्तियाँ, कर्तव्य, विशेषाधिकार और दायित्व प्रदान करने की बात कही गई है जो अपराधों के अन्वेषण के संबंध में पुलिस अधिकारियों द्वारा न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी प्रयोग की जाती रही है।

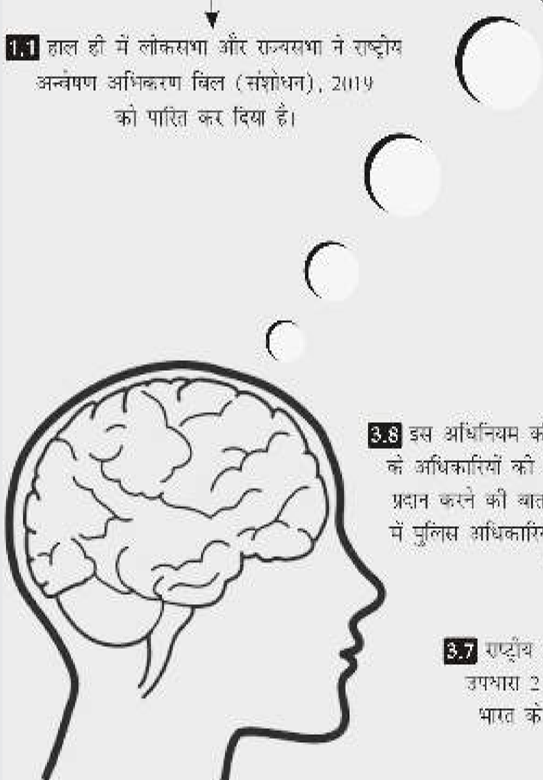

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (ओपीएचआई) द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआइ) के मुताबिक भारत ने 2006 से 2016 के बीच 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला है।

1.2 भारत बहुआयामी गरीबी के सबसे तेज उन्मूलन में यह 101 देशों की सूची में शीर्ष पर है।

ऐसे किया अध्ययन

2.1 रिपोर्ट के मुताबिक 31 न्यूनतम आय, 68 मध्यम आय और 2 उच्च आय वाले 101 देशों में 1.3 अरब लोगों का अध्ययन किया गया। इनमें से दो तिहाई से अधिक यानी 88.6 करोड़ मध्यम-आय वाले देशों में रहते हैं और 44 करोड़ लोग कम आय वाले देशों में रहते हैं।

क्या है बहुआयामी गरीबी

3.1 विश्व बैंक के अनुसार किसी को उसके कल्याण से महरूम रखना भी गरीबी का एक रूप है। इसमें कम आय और आत्मसम्मान से जीने के लिए मूलभूत चीजों एवं सेवाओं को ग्रहण करने की अक्षमता शामिल होती है। स्तरहीन शिक्षा और स्वास्थ्य, स्वच्छ जल और साफ-सफाई की खराब उपलब्धता, अभिव्यक्ति का अभाव भी गरीबी से जुड़े होते हैं।

गरीबी के प्रकार

4.1 **परिस्थितिजन्य गरीबी:** किन्हीं खास कारणों से यदि किसी व्यक्ति पर तात्कालिक प्रभाव पड़ता है और वह संकट में आ जाता है तो उसे परिस्थितिजन्य गरीबी कहा जाता है। प्राकृतिक आपदा, तलाक या किसी गंभीर बीमारी के कारण ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं।

4.2 **पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी:** जब किसी परिवार की कम से कम दो पीढ़ियाँ गरीबी में पैदा होती हैं और जीवन यापन करती हैं तो इसे जेनरेशनल पॉवर्टी कहते हैं। ऐसे परिवारों के पास खुद को गरीबी से पार ले जाने की क्षमता नहीं होती।

4.3 **पूर्ण गरीबी:** यह ऐसी गरीबी है, जिसमें किसी परिवार के पास आम जरूरत की चीजें जैसे सिर छिपाने के लिए छत, स्वच्छ पानी और भोजन तक नहीं होता। इस तरह के गरीब परिवार अपने रोज के भोजन के लिए भी संघर्ष करते हैं।

4.4 **सापेक्ष गरीबी:** यह परिवार की आर्थिक स्थिति से संबंधित है। ऐसा परिवार जो अपने समाज की औसत आर्थिक स्थिति से कम कमाता है, उसे इस श्रेणी में रखा जाता है।

4.5 **शहरी गरीबी:** यह वह परिवार है जो महानगरों के लिए तय दैनिक या मासिक आमदनी से कम कमाते हैं। शहरी गरीबों को भीड़भाड़, हिंसा और शोर शराबे से गुजरना पड़ता है।

4.6 **ग्रामीण गरीबी:** इस तरह के गरीब वह परिवार होते हैं जो ग्रामीण आबादी के लिए तय दैनिक या मासिक आमदनी से कम कमाते हैं। इन गरीब तबकों की सुविधाओं तक पहुंच कम होती है।

भारत एवं विश्व में गरीबी की स्थिति

5.1 भारत में 2006 से 2016 के बीच 27 करोड़ लोग और बांग्लादेश में 2004 से 2014 के बीच 1.9 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए। भारत और कंबोडिया के एमपीआई मूल्यों में सबसे तेजी से कमी आई है। भारत का एमपीआई मूल्य 2005-06 में 0.283 था, जो 2015-16 में 0.123 पर आ गया।

5.2 भारत के झारखंड में बहुआयामी गरीबी सबसे तेजी से घटी। 2005-06 में 74.9 फीसद से घटकर 2015-16 में 46.5 फीसद आ गई। वहीं कंबोडिया के दो प्रांतों में गरीबी 71.0 फीसद से घटकर 55.9 फीसद रह गई।

5.3 भारत, इथियोपिया और पेरू ने गरीबी में अभाव वाले सभी दस संकेतकों में तेजी से सुधार किया है। इनमें पोषण, साफ-सफाई, बाल मृत्युदर, पेयजल, बिजली, स्कूल में उपस्थिति, आवास, कुकिंग फ्यूल और संपत्ति शामिल हैं।

5.4 2005-06 में भारत के करीब 64 करोड़ लोग (55.1 फीसद) बहुआयामी गरीबी में जी रहे थे, जो संख्या घटकर 2015-16 में 36.9 करोड़ (27.9 फीसद) पर आ गई।

चंद्रयान-2

चर्चा का कारण

1.1 चन्द्रयान 2 (Chandrayaan-2) मिशन 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया।

चंद्रयान-2 मिशन क्या है?

2.1 चंद्रयान-2 वास्तव में चंद्रयान-1 मिशन का ही नया संस्करण है। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर (विक्रम) और रोवर (प्रज्ञान) शामिल है। चंद्रयान-1 में सिर्फ ऑर्बिटर था, जो चंद्रमा की कक्षा में घूमता था।

2.2 चंद्रयान 2 के जरिए भारत पहली बार चाँद की सतह पर लैंडर उतारेगा। यह लैंडिंग चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर होगी। इसके साथ ही भारत चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान-2 का लैंडर विक्रम चंद्रमा पर 48वें दिन उतरेगा।

2.3 स्वदेशी तकनीक से निर्मित चंद्रयान-2 में कुल 13 पेलोड हैं। आठ ऑर्बिटर में, तीन पेलोड लैंडर विक्रम और दो पेलोड रोवर प्रज्ञान में हैं। पाँच पेलोड भारत के, तीन यूरोप, दो अमेरिका और एक बुल्गारिया के हैं।

मिशन का उद्देश्य

3.1 मिशन का सबसे पहला उद्देश्य चांद की सतह पर सुरक्षित उतरना और फिर सतह पर रोबोट रोवर संचालित करना है।

3.2 इसका मुख्य उद्देश्य चाँद की सतह का नक्शा तैयार करना, खनिजों की मौजूदगी का पता लगाना, चंद्रमा के बाहरी वातावरण को स्कैन करना और किसी न किसी रूप में पानी की उपस्थिति का पता लगाना है।

3.3 इस मिशन का एक और उद्देश्य चाँद को लेकर हमारी समझ को और बेहतर करना तथा मानवता को लाभान्वित करने वाली खोज करना है।

3.4 इस तरह भारत पूर्व सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमरीका और चीन के बाद यहाँ उतरने वाला और सतह पर रहकर चाँद की कक्षा, सतह और वातावरण में विभिन्न प्रयोगों का संचालन करने वाला चौथा राष्ट्र बन जाएगा।

मिशन की जरूरत क्यों?

4.1 चंद्रयान-1 की खोजों को आगे बढ़ाने के लिए चंद्रयान-2 को भेजा गया है। चंद्रयान-1 द्वारा खोजे गए पानी के अणुओं के साक्ष्यों के बाद आगे चांद की सतह पर, सतह के नीचे और बाहरी वातावरण में पानी के अणुओं के वितरण की सीमा का अध्ययन करने की जरूरत है।

4.2 चंद्रयान 2 का वजन 3,877 किलो है। यह चंद्रयान 1 मिशन (1380 किलो) से करीब तीन गुना ज्यादा है। लैंडर के अंदर मौजूद रोवर की रफ्तार 1 सेमी प्रति सेकंड रहेगी। चाँद की कक्षा में पहुंचने के बाद ऑर्बिटर एक साल तक काम करेगा।

4.3 यह पृथ्वी और लैंडर के बीच सम्पर्क कायम करेगा। ऑर्बिटर चाँद की सतह का नक्शा तैयार करेगा, ताकि चाँद के वजूद और विकास का पता लगाया जा सके।

4.4 वहीं, लैंडर और रोवर चाँद पर एक दिन (पृथ्वी के 14 दिन के बराबर) काम करेंगे। लैंडर यह जांचेगा कि चाँद पर भूकंप आते हैं या नहीं जबकि, रोवर चांद की सतह पर खनिज तत्वों की मौजूदगी का पता लगाएगा।

जीएसएलवी मार्क-III

5.1 जीएसएलवी मार्क III इसरो द्वारा विकसित किया गया उच्च प्रणोदन क्षमता वाला यान है। इसके द्वारा भारत के 4 टन श्रेणी के भू-तुल्यकालिक उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया जा सकेगा।

5.2 इसकी ऊँचाई 43.43 मी. और लिफ्ट ऑफ मास 640 टन है। इसमें तीन चरण हैं जिनमें स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन 'CE 20' का प्रयोग किया जाएगा।

5.3 नवंबर 2018 में GSAT-29 संचार उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिये GSLV मार्क-III D2 प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था।

5.4 इसरो के पास वर्तमान में केवल 2.2 टन वजन तक के पेलोड को लॉन्च करने की क्षमता है और इससे ज्यादा वजन के प्रक्षेपण हेतु उसे विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है।

5.5 यह भारत का सबसे शक्तिशाली प्रमोचन यान होगा जो चार टन वजनी संचार उपग्रहों को 36,000 किलोमीटर ऊँचाई वाली भू-स्थिर (Geosynchronous) कक्षा में स्थापित कर सकेगा। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में GSLV मार्क-II की क्षमता लगभग 2 टन है।

5.6 GSLV मार्क III की महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें भारतीय क्रायोजेनिक इंजन के तीसरे चरण का उपयोग किया गया है तथा वर्तमान GSLV की तुलना में इसमें उच्च पेलोड ले जाने की क्षमता है।

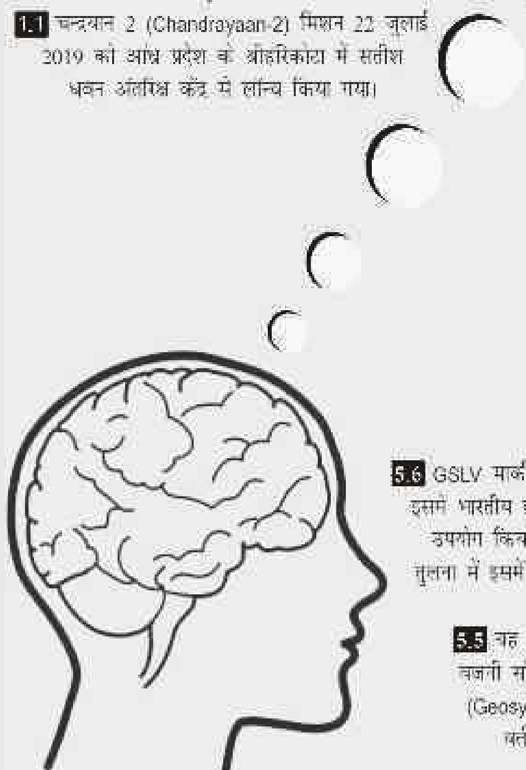

सूचना का अधिकार (संशोधन) बिल, 2019

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में संसद में सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक पेश कर दिया गया। संशोधित बिल में कहा गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे।

क्या है यह विधेयक

2.1 संशोधन विधेयक सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून की धाराओं 13 एवं 16 में बदलाव करेगा। मूल कानून की धारा 13 केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों का कार्यकाल पाँच साल (65 साल की उम्र तक, इनमें से जो पहले हो) निर्धारित करती है।

2.2 इसके अलावा धारा 13 यह कहती है कि मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें मुख्य चुनाव आयुक्त और सूचना आयुक्त की सेवा एवं वेतन चुनाव आयुक्त के समान रहेंगी। जबकि संशोधन विधेयक मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार केंद्र सरकार को देता है।

2.3 आरटीआई कानून की धारा 16 राज्य स्तर पर सीआईसी एवं आईसी की सेवा शर्तों, वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं का निर्धारण करती है। संशोधन विधेयक यह कहता है कि इनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार की सिफारिशों के अनुरूप होनी चाहिए।

2.4 मूल कानून के अनुसार अभी मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों के बराबर है।

2.5 इसमें उपबंध किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन, भत्ते और शर्तें क्रमशः मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के समान होंगी। इसमें यह भी उपबंध किया गया है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों का वेतन क्रमशः निर्वाचन आयुक्त और मुख्य सचिव के समान होगी।

2.6 मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के वेतन एवं भत्ते एवं सेवा शर्तें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर है। ऐसे में मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन भत्ता एवं सेवा शर्तें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य हो जाते हैं।

2.7 केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के उपबंधों के अधीन स्थापित कानूनी निकाय है। ऐसे में इनकी सेवा शर्तों को सुव्यवस्थित करने की जरूरत है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है

3.1 यह एक विशेष तरह का कानून है, जिसका आविर्भाव वर्ष 2005 में हुआ था। इस कानून को लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य आम लोगों को सरकार से सवाल करने का हक देना था।

3.2 इस कानून की सहायता से कोई भी आम व्यक्ति किसी भी सरकारी कार्यालय में अपना आरटीआई दर्ज कर किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

सरकार का मत

4.1 पारदर्शिता के सवाल पर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। सरकार अधिकतम सुशासन, न्यूनतम सरकार के सिद्धांत के आधार पर काम करना चाहती है।

4.2 सरकार का कहना है कि उसका मकसद आरटीआई अधिनियम को संस्थागत स्वरूप प्रदान करना, व्यवस्थित बनाना तथा परिणामोन्मुखी बनाना है। इससे आरटीआई का ढाँचा सम्पूर्ण रूप से मजबूत होगा और यह विधेयक प्रशासनिक उद्देश्य से लाया गया है।

4.3 सरकार का कहना है विद्यमान आरटीआई अधिनियम में न तो नियमावली बनायी गयी और न ही अधिनियम में भविष्य में नियम बनाने का अधिकार रखा गया।

4.4 सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून में कई विसंगतियाँ हैं जिनमें सुधार की जरूरत है। मुख्य सूचना आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष माना जाता है, लेकिन उनके फैसले पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

4.5 सरकार ने कहा कि मूल कानून बनाने समय उसके लिए कानून नहीं बनाया गया था, इसलिए सरकार को यह विधेयक लाना पड़ा।

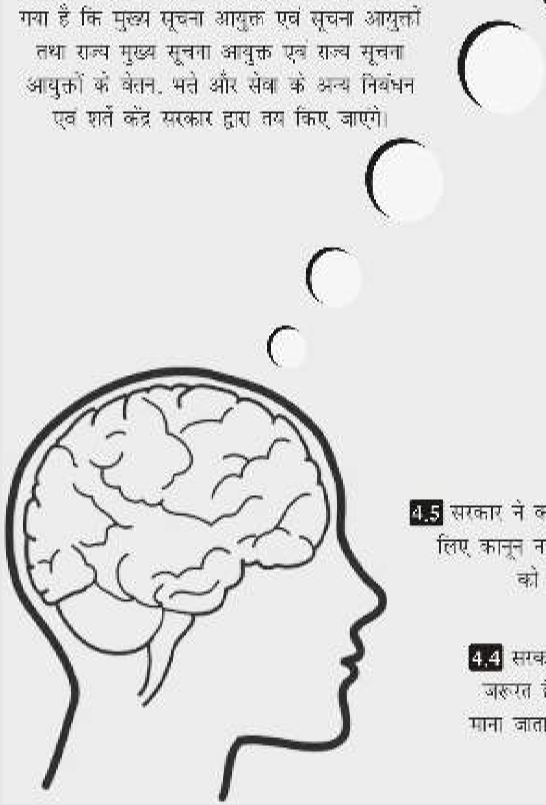

परामर्श योजना

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission-UGC) की 'परामर्श' योजना का शुभारंभ किया है।

योजना क्या है

2.1 परामर्श योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक योजना है जिसे देश में शिक्षा गुणवत्ता मानक बनाए रखने के लिए लॉन्च किया गया है।

2.2 परामर्श योजना के तहत UGC ने 71 विश्वविद्यालयों और 391 कॉलेजों का चयन किया है जो राष्ट्रीय प्रत्यायन और मूल्यांकन परिषद (NAA) के मानक को पूरा करते हैं।

2.3 ये चयनित संस्थान और विश्वविद्यालय उन कॉलेजों और विश्वविद्यालय को मेंटरशिप प्रदान करेंगे जो NAAC मानकों को पूरा नहीं करते हैं।

2.4 ये चयनित संस्थान और विश्वविद्यालय एक विशेषज्ञ के रूप में भर्ती करेंगे और प्रति माह 31,000 रुपये की फेलोशिप राशि का भुगतान करेंगे।

2.5 एक मेंटर कॉलेज और संस्थान 5 कॉलेजों का मार्गदर्शन करेंगे। संरक्षक कॉलेज पाठ्यचर्या संबंधी पहलुओं, शिक्षण-प्रशिक्षण और मूल्यांकन, अनुसंधान, नवाचार, संस्थागत मूल्यों और प्रथाओं आदि में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

2.6 उम्मीद है कि यूजीसी इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगा क्योंकि परामर्श योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1000 उच्च शिक्षा संस्थान को लक्षित करेगा।

योजना की विशेषताएँ

3.1 इसके तहत मेंटर को फैलोशिप मेंटी संस्थानों द्वारा दी जाएगी। यह शोधकर्ता संस्थानों की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने और अनुसंधान, शिक्षण और सीखने के तरीकों की बेहतर गुणवत्ता के परिणामस्वरूप इसकी प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा।

3.2 योजना NAAC मान्यता प्राप्त करने में सलाह देने वाले संस्थान की मदद करेगी। यूजीसी परमार्थ योजना का संचालन "हब एंड स्पोक" मॉडल के माध्यम से किया जाएगा।

3.3 संरक्षक संस्थान जिसे "हब" कहा जाता है और मेंटी कॉलेज को "स्पोक" कहा जाता है। यह उन 3.6 करोड़ छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में मदद करेगा जो वर्तमान में भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में दाखिला ले रहे हैं।

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC)

4.1 इसकी स्थापना वर्ष 1994 में UGC की एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है।

4.2 NAAC का प्रमुख उद्देश्य गुणवत्ता आश्वासन को उच्च शिक्षा संस्थान के कामकाज का अभिन्न अंग बनाना है।

4.3 यह उच्च शिक्षा या इसके बाद के संस्थानों अथवा विशिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रमों या परियोजनाओं के आवधिक मूल्यांकन और मान्यता की व्यवस्था करती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

5.1 28 दिसंबर, 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने औपचारिक तौर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव रखी थी।

5.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा के मापदंडों के समन्वय, निर्धारण और अनुरक्षण हेतु 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है।

5.3 पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक उपायों पर सुझाव भी देता है।

5.4 इसका मुख्यालय देश की राजधानी नई दिल्ली में अवस्थित है। इसके छः क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बंगलुरु में हैं।

5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2019–20 का बजट पेश करते हुए 2024–25 तक भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए विजन प्रस्तुत किया।

1.2 सरकार ने बताया कि इस विजन का मुख्य आधार निवेश प्रेरित विकास और रोजगार सृजन है।

5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पर फोकस

2.1 वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष में ही भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा जो वर्तमान में 2.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।

2.2 पिछले 55 साल में भारत की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर की हो पाई थी, जबकि पिछले पाँच साल में ही सरकार ने इसका आकार 1 ट्रिलियन डॉलर बढ़ा दिया है।

5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य?

3.1 जानकारों का मानना है कि इसके लिए 8 फीसदी की विकास दर भी कम पड़ेगी, क्योंकि अनुमान के मुताबिक औसतन हमें 11.5 फीसदी की विकास दर चाहिए तभी हम 5 ट्रिलियन तक पहुच पाएगे।

3.2 इसके लिए, इंफ्रॉस्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया और छोटे उद्योगों में निवेश करने की जरूरत है। 5 साल में इंफ्रॉस्ट्रक्चर के लिए 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए काम किया जा रहा है। सरकार अगले 5 साल में 80 हजार करोड़ रुपये सड़कों को अपग्रेड करने में लगाएगी।

3.3 बैंकिंग सेक्टर की दिक्कतों को दूर करने के लिए 70 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

3.4 ये कहा जाता है कि पैसे से पैसा बनता है। पैसे से नौकरियां बनती हैं समृद्धि आती है। अतः 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का मतलब यही है कि हम अमेरिका चीन और जापान जैसे देशों के साथ खड़े हों, जो अपनी समृद्धि के लिए जाने जाते हैं।

चिंता का विषय

4.1 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में 187 देशों में भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में 142वें नंबर पर था।

4.2 2018 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में घाना, नाइजीरिया, निकारागुआ, श्रीलंका जैसे देश भारत से आगे थे, जबकि ये देश भारत से पिछड़े हुए हैं।

4.3 बता दें कि फिलहाल भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत से आगे अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन हैं।

4.4 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले क्लब में अभी अमेरिका, चीन और जापान ही हैं लेकिन इस क्लब में जाना इतना आसान नहीं है।

4.5 आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत को 2025 तक इस लक्ष्य तक पहुंचना है, जबकि अभी भारत करीब 7 फीसदी की विकास दर से आगे बढ़ रहा है। पिछले साल तो ये और घटकर 6.8 फीसदी ही रह गई।

4.6 महंगाई दर लक्ष्य की राह में सबसे बड़ी बाधा है। महंगाई दर बढ़ने का अर्थ है कि वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे। महंगाई दर में बढ़ोतरी के साथ रुपये की क्रय शक्ति घटेगी, जिससे खपत घटेगी और जीडीपी ग्रोथ पर नकारात्मक असर पड़ेगा, जिससे लक्ष्य अपनी राह से भटक सकता है।

4.7 5 लाख करोड़ डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रुपया और डॉलर की विनिमय दर को भी नियंत्रण में रखना होगा। अगर आने वाले समय में रुपये का मूल्य घटता है तो डॉलर के संदर्भ में यह भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डालेगा।

4.8 जलवायु परिवर्तन ने मॉनसून की रफ्तार को बिगाड़ रखा है जिसका असर भारतीय कृषि को भुगतान पड़ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सा रखने वाले सेवा क्षेत्र में हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। कच्चे तेल को लेकर अनिश्चितता हाल-फिलहाल खत्म होती नहीं दिख रही।

आगे की राह

5.1 पाँच सालों में बुनियादी सुविधाओं पर 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश, कारोबारी सुगमता का माहौल बनाने के लिए जिला स्तर तक के प्रयास पर जोर, विदेशी निवेश की सीमा को आसान और शर्तों को सरल करना होगा।

5.2 मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कच्चे माल पर सीमा शुल्क कम करना और तैयार सामान पर आयात सीमा शुल्क बढ़ाना होगा।

5.3 देश को 5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए ग्रोथ रेट को न केवल बढ़ाना होगा, बल्कि बढ़ी हुई ग्रोथ रेट को बरकरार भी रखना होगा। यह ग्रोथ रेट अगले 5 साल 8% को होनी चाहिए। इस लक्ष्य को पाने के लिए निवेश बढ़ाने पर जोर देना जरूरी है।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. जैविक खेती

प्र. जैविक खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल के वर्षों में देश में जैविक खेती कम देखने को मिली है।
2. मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और ओडिशा में जैविक खेती में बढ़ोतरी देखने को मिली है।
3. जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPOP) के अंतर्गत 10.97 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पहले से ही घोषित किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 3

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने संसद में बताया है कि देश में कुल 27.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों में जैविक खेती की जा रही है अर्थात देश में जैविक खेती में 20% बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। जैविक खेती कृषि की वह विधि है जिसमें संश्लेषित उर्वरकों, संश्लेषित कीटनाशियों (कीटनाशी, कवकनाशी, जीवाणुनाशी, शाकनासी) और कृत्रिम वृद्धि नियामकों का प्रयोग सर्वथा वर्जित रहता है। साथ ही ट्राँसजैनिक (पराजीनी) फसलों अथवा उनकी किस्मों का प्रयोग भी वर्जित होता है। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

2. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बिल (संशोधन) 2019

प्र. एनआईए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. एनआईए के अधिकारियों के पास भारत-भर में जाँच से संबंधित वही शक्तियां होती हैं जो किसी पुलिस अधिकारी की होती हैं।
2. इस विधेयक के अनुसार केंद्र सरकार अनुसूचित अपराधों पर विचार करने के लिए सेशन न्यायालयों को विशेष न्यायालय नामित कर सकती है। इसके लिए उसे पहले संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना होगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बिल (संशोधन), 2019 को पारित कर दिया है। यह विधेयक राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) अधिनियम, 2008 में संशोधन करता है। यह विधेयक एनआईए को अनुसूची के सूचीबद्ध अपराधों की जाँच करने एवं उन पर मुकदमा चलाने की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

3. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत बहुआयामी गरीबी के सबसे तेज उन्मूलन में यह 101 देशों की सूची में शीर्ष पर है।
2. तेलंगाना में बहुआयामी गरीबी सबसे तेजी से घटी है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (a)

व्याख्याः हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (ओपीएचआई) द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआइ) के मुताबिक भारत ने 2006 से 2016 के बीच 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला है। भारत के झारखंड में बहुआयामी गरीबी सबसे तेजी से घटी है। भारत, इथियोपिया और पेरू ने गरीबी में अभाव वाले सभी दस संकेतकों में तेजी से सुधार किया है। इनमें पोषण, साफ-सफाई, बाल मृत्युदर, पेयजल, बिजली, स्कूल में उपस्थिति, आवास, कुकिंग फ्यूल और संपत्ति शामिल हैं। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है।■

4. चंद्रयान-2

प्र. चंद्रयान-2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. चंद्रयान-2 वास्तव में चंद्रयान-1 मिशन का ही नया संस्करण है। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर (विक्रम) और रोवर (प्रज्ञान) शामिल हैं। चंद्रयान-1 में सिर्फ ऑर्बिटर था, जो चंद्रमा की कक्षा में घूमता था।
2. जीएसएलवी मार्क-III इसरो द्वारा विकसित किया गया उच्च प्रणोदन क्षमता वाला यान है। इसके द्वारा भारत के 4 टन श्रेणी के भू-तुल्यकालिक उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया जा सकेगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या: चन्द्रयान-2 मिशन 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। चंद्रयान-2 के जरिए भारत पहली बार चाँद की सतह पर लैंडर उतारेगा। यह लैंडिंग चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर होगी। इसके साथ ही भारत चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान-2 का लैंडर विक्रम चँद्रमा पर 48वें दिन उतरेगा। GSLV मार्क-III की महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें भारतीय क्रायोजेनिक इंजन के तीसरे चरण का उपयोग किया गया है तथा वर्तमान GSLV की तुलना में इसमें उच्च पेलोड ले जाने की क्षमता है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

5. सूचना का अधिकार (संशोधन) बिल, 2019

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. आरटीआई कानून की धारा 16 राज्य स्तर पर सीआईसी एवं आईसी की सेवा शर्तों, वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं का निर्धारण करती है।
2. यह एक विशेष प्रकार का कानून है, जिसका आविर्भाव वर्ष 2010 में हुआ था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या: आरटीआई कानून की धारा 16 राज्य स्तर पर सीआईसी एवं आईसी की सेवा शर्तों, वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं का निर्धारण करती है। संशोधन विधेयक यह कहता है कि इनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार की सिफारिशों के अनुरूप होनी चाहिए। यह एक विशेष तरह का कानून है, जिसका आविर्भाव वर्ष 2005 में हुआ था। इस कानून को लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य आम लोगों को सरकार से सवाल करने का हक देना था। इस प्रकार कथन 2 गलत है जबकि कथन 1 सही है। ■

6. परामर्श योजना

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. परामर्श योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक योजना है जिसे देश में शिक्षा गुणवत्ता मानक बनाए रखने के लिए लॉन्च किया गया है।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय मुंबई में अवस्थित है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

व्याख्या: हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission-UGC) की 'परामर्श' योजना का शुभारंभ किया है। परामर्श योजना के तहत UGC ने 71 विश्वविद्यालयों और 391 कॉलेजों का चयन किया है जो राष्ट्रीय प्रत्यायन और मूल्यांकन परिषद (NAA) के मानक को पूरा करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है। ■

7. 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।
2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में 187 देशों में भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में 142वें नंबर पर था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या: हाल ही में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2019-20 का बजट पेश करते हुए 2024-25 तक भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए विजन प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष में ही भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा जो वर्तमान में 2.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने पिछले 19 दिनों में पाँच स्वर्ण पदक जीते हैं?

-हिमा दास

2. हाल ही में कौन-सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 76वाँ देश बन गया है?

-पलाऊ

3. हाल ही में यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है?

-उर्सुला वॉन डेर लेयेन

4. कौन-सा देश अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन (ISSF) संयुक्त विश्व कप 2020 की मेजबानी करेगा?

-भारत

5. हाल ही में संपन्न विंबलडन 2019 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है?

-नोवाक जोकोविच

6. हाल ही में संपन्न विंबलडन 2019 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है।

-सिमोना हालेप

7. हाल ही में किस राज्य ने पानी के संरक्षण के लिए देश में पहली बार जल नीति बनाई है?

-मेघालय

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव डिजिटलीकरण से संभव है। विश्लेषण कीजिए।

2. भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई ऐसी कौन सी योजनाएँ हैं जिससे भारत मरुस्थलीकरण से मुकाबला करने में सक्षम हो सकता है?

3. विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं उनके अधिकारों का संक्षिप्त वर्णन करें।

4. एंजल टैक्स से आप क्या समझते हैं? स्टार्ट अप को बढ़ावा देने की दिशा में यह कितना बाधक है? चर्चा करें।

5. भारत सरकार द्वारा कुपोषण को कम करने के लिए कौन-कौन सी योजनाएँ चलाई जा रही हैं?

6. अमेरिका द्वारा अमेरिकी सैनिकों की वापसी व अफगानिस्तान में तालिबान से शांति वार्ता में पाकिस्तान की भूमिका का वर्णन करते हुए, भारत पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों की चर्चा करें।

7. राइट टू रिकॉल का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताएँ कि यह पहले से मौजूद भ्रष्टाचार, पैसा व राजनीतिक प्रभाव के दुरुपयोग को कैसे रोक सकता है?

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. चांदीपुरा वायरस

हाल ही में गुजरात में चांदीपुरा वायरस का प्रकोप देखा गया है। इस वायरस के कारण 5 साल की एक बच्ची सहित एक अन्य बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद गुजरात में स्वास्थ्य अधिकारियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। चांदीपुरा वायरस एक ऐसा खतरनाक वायरस है, जो केवल छोटे बच्चों को ही अपना शिकार बनाता है।

चांदीपुरा वायरस

यह एक ऐसा खतरनाक वायरस है जो कि सीधे बच्चों के दिमाग में अटैक करता है, जिससे उनके दिमाग में सूजन आ जाती है। शुरूआत में फ्लू के लक्षण नजर आते हैं लेकिन आगे चलकर बच्चा

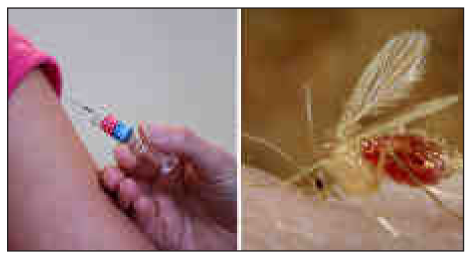

कोमा में चला जाता है। इस वायरस का नाम एक गांव के नाम पर रखा गया है जो कि महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव है। पहली बार वर्ष 1965 में इस वायरस से बीमार बच्चों के मामले पाए गए थे। आमतौर पर ये वायरस 14 साल से छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाता है।

चांदीपुरा वायरस फैलने का कारण

यह वायरस खासतौर से मच्छरों और बड़ी मक्खियों के कारण फैलता है। सैंड फ्लाई मक्खियों की एक ऐसी प्रजाति है जो कि रेत और कीचड़ में पायी जाती है और बारिश में काफी बढ़ जाती है। इसी के कारण चांदीपुरा नामक वायरस फैलता है।

चांदीपुरा वायरस के लक्षण

- अचानक तेज बुखार और सिर दर्द होना।
- मिचली या उल्टियाँ होना।
- कमजोरी के कारण बेहोशी छा जाना आदि।

■

2. इंटरनेट साथी

'इंटरनेट साथी' एक ऐसी पहल है, जो ग्रामीण भारत की महिलाओं को इंटरनेट की दुनिया में लाने पर केंद्रित है। भारत में इंटरनेट उपयोग करने वाली महिलाओं में से 12% महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं'। गूगल इंडिया ने इंटरनेट साथी के लिए टाटा ट्रस्ट और इंटेल को अपना साझीदार बनाया है।

इस पहल में, गूगल द्वारा प्रशिक्षित प्रभावशाली महिलाएँ इंटरनेट सक्षम डिवाइस वाले इंटरनेट साइकिल कार्ट को लेकर गांवों में जाती हैं और वहाँ की महिलाओं को स्मार्ट फोन का उपयोग करने, फोन और टैबलेट के माध्यम से इंटरनेट उपयोग करने और ऑनलाइन जानकारी खोजने के लिए प्रशिक्षण देती हैं।

भारत के गांवों में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 10 लोगों में से केवल 3 महिला हैं। इसलिए टाटा ट्रस्ट के सहयोग से इंटरनेट साथी महिलाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ता है। साथ ही वह

Internet Saathi
Google | TATA TRUSTS

उन्हें ऐसी जानकारी उपलब्ध कराता है, जिसका वे उपयोग कर सकती हैं और उसे दूसरों के साथ साझा कर सकती हैं। इस कार्यक्रम में "साथियों"- यानी विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण लेने के बाद, ये साथी अपने समुदाय और आस-पड़ोस के गांवों में लोगों को इंटरनेट इस्तेमाल करना सिखाती हैं।

टाटा ट्रस्ट के साथ साझेदारी में शुरू किए गए, इंटरनेट साथी को गांवों में महिलाओं को इंटरनेट कौशल के साथ सक्षम करने के लिए 2015 में लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम में, साथियों का चयन गांव की महिलाओं में से किया जाता है और उन्हें प्रायोगिक स्मार्टफोन प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर वे इंटरनेट तक पहुँच प्रदान करते हुए उस ज्ञान को आगे पारित करती हैं और दूसरों के साथ अपने ज्ञान को साझा करते हुए तथा स्मार्टफोन पहुँच प्रदान करते हुए अपने समुदायों में डिजिटल साक्षरता की दूत बनती हैं।

भारत में महिलाओं द्वारा इंटरनेट उपयोग

400 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ, भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑनलाइन आबादी है। हालांकि, भारत के ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं में से केवल 30% ही महिलाएं हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या, सिर्फ 12% है। इंटरनेट साथी जैसे प्रयास से महिलाओं को न केवल दुनिया के ज्ञान से अवगत कराया जाता है बल्कि नए कारोबार शुरू करने की संभावनाएँ भी बढ़ जाती है। ■

3. जापान एवं यूएनईपी द्वारा पारे के प्रभाव को रोकने के लिए नई परियोजना

जापान एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा पारे के घातक प्रभावों को रोकने के लिए एक नई परियोजना की घोषणा की गई। जापान के साथ आरंभ की गई यूएनईपी की इस परियोजना के तहत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में एक क्षेत्रीय पारा निगरानी प्रयोगशाला नेटवर्क स्थापित किया जाएगा और इस क्षेत्र के आस-पास के देशों के लिये क्षमता निर्माण करने के साथ-साथ आवश्यक प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा।

जापान एवं यूएनईपी समझौता

- पारे से होने वाली मिनामाता नामक गंभीर बीमारी का प्रभाव जापान में लंबे समय तक देखा गया। इसके बाद जापान ने मिनामाता की रोकथाम के लिये गुणात्मक काम किया। वैश्विक स्तर पर भी जापान ने इस बीमारी के प्रभाव को सीमित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- हाल ही में यूएनईपी ने वैश्विक स्तर पर पारे के खतरे को कम करने के लिये एक कार्यक्रम शुरू किया है।
- जापान ने वैश्विक पारा प्रदूषण की निगरानी हेतु विज्ञान आधारित नीति-निर्माण के लिये नई परियोजना शुरू की है, जिसके बोर्ड में सभी हितधारकों को शामिल करने पर बल दिया जा रहा है।
- पारे का उपयोग विभिन्न प्रकार के प्रयोगों में किया जाता है। यह औद्योगिक उत्सर्जन और सोने के खनन जैसे माध्यमों से पर्यावरण में प्रवेश करता है।
- पर्यावरण में प्रवेश के बाद कुछ प्रजातियों द्वारा पारे को संचित किया जाता है। मनुष्यों द्वारा इन प्रजातियों का सेवन किये जाने से मनुष्यों में मिनामाता रोग हो जाता है।
- वैश्विक स्तर पर पारे की खपत और उत्सर्जन का लगभग आधा हिस्सा एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र से संबंधित होता है।
- वैश्विक निगरानी नेटवर्क और क्षमता निर्माण के लिये वैज्ञानिक डेटाबेस का निर्माण किया जा रहा है जिससे सरकार और संस्थान प्रभावी पारा प्रबंधन के लिये बेहतर रणनीतियाँ बना सकें।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

इस संगठन का उद्देश्य पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन एवं पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित करना है। यूएनईपी पर्यावरण संबंधी समस्याओं के तकनीकी एवं सामान्य निदान हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। यूएनईपी अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ सहयोग करते हुए सैकड़ों परियोजनाओं पर सफलतापूर्वक कार्य कर चुका है। इसका मुख्यालय नैरोबी (केन्या) में है।■

4. सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा लोअर सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना में सुरक्षा मुद्दों को हल करने तक निर्माण कार्य शुरू नहीं करने के आदेश दिये जाने के बावजूद हाल ही में इस पर काम करने के लिए सहमति व्यक्त की गई है।

प्रमुख बिंदु

- लोअर सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना असम एवं अरुणाचल प्रदेश की सीमा के साथ सुबनसिरी नदी पर एक निर्माणाधीन ग्रेविटी बाँध है।
- सुबनसिरी नदी (स्वर्ण नदी) तिब्बत पठार से निकलती है तथा अरुणाचल प्रदेश में मिरी पहाड़ियों के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है।
- सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
- बाँध सुरक्षा और प्रशासनिक मुद्दों पर स्थानीय आंदोलन के कारण इस परियोजना को लंबित रखा गया था।
- LSHEP ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड के जल संसाधन विभाग के कार्यों को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करके ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम 1980 को समाप्त कर दिया।
- रुड़की के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बांध निर्माण पर किये गए मूल्यांकन में भूकंपीय जोखिम स्तर में वृद्धि पाई गई।

ग्रेविटी बांध

- ग्रेविटी बांध का निर्माण कंक्रीट या सीमेंट से किया जाता है, क्योंकि इसमें पानी को एकत्रित किया जाता है इसलिये इसे बनाने में भारी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है जो पानी के दबाव को सहन कर सके।
- ग्रेविटी बाँध का डिजाइन पानी को बाँधने के लिये किया गया है ताकि बाँध का प्रत्येक खंड स्थिर तथा किसी अन्य बाँध खंड से स्वतंत्र हो।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2011 में असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा पर स्थित लोअर सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना का काम एक स्थानीय आंदोलन के कारण रोक दिया गया था।
- एनजीटी (NGT) ने दिसंबर 2015 में एनएचपीसी (NHPC) लिमिटेड को सुरक्षा मुद्दों के हल करने तक फिर से निर्माण कार्य शुरू करने पर रोक लगा दी थी। ■

5. हंगुल प्रजाति के मृगों की आबादी में गिरावट

हाल ही मे कश्मीर घाटी में हंगुल प्रजातियों के मृगों की नवीनतम जनगणना से पता चला है कि उनकी आबादी में तेजी से गिरावट आई है। हंगुल उत्तर भारत और पाकिस्तान, खासकर कश्मीर, में पायी जाने वाली लाल हिरण की एक नस्ल है। यह जम्मू और कश्मीर का राज्य पशु है।

हंगल प्रजाति का यह हिरण लुप्त होने की कगार पर है। विगत कुछ दशकों में इस प्रजाति का इतना शिकार हुआ कि इस प्रजाति को संरक्षित

करने में समस्याएँ आने लगीं। जब तक सरकार का इस प्रजाति पर ध्यान जाता तब तक यह प्रजाति कई गुना खत्म हो चुकी थी।

नवीनतम हंगुल जनसंख्या निगरानी कार्यक्रम 22 मार्च से 30 मार्च, 2019 के बीच आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम जम्मू और कश्मीर के वन्यजीव संरक्षण विभाग द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया।

इसकी गणनाओं के आधार पर पता चलता है कि प्रति 100 मादाओं पर 7.5% शिशु मृग जबकि प्रति 100 मादाओं पर 15.5% पुरुष मृग हैं। यह अनुपात वर्ष 2017 की गणना के दौरान क्रमश: 19.1 और 15.8 प्रतिशत था। वन्यजीव विशेषज्ञों ने कहा है कि हंगुल की संख्या में समग्र गिरावट की प्रवृत्ति को समझने के लिये घटता मादा-शिशु मृग एवं नर-मादा मृगों का अनुपात जनसंख्या असंतुलन का प्रमुख कारण है। इसलिये मृगों के संरक्षण हेतु समय रहते उचित प्रबंधन किये जाने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने कश्मीर वन्यजीव संरक्षण विभाग को हंगुल के संरक्षण हेतु एक विशेष परियोजना शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जल्द ही इस प्रजाति को दूर-दूर तक देखा नहीं जायेगा।

कश्मीरी बारहसिंगे को कश्मीर में स्थानीय रूप से हंगुल भी कहा जाता है जो भारत में यूरोपीय लाल हिरणों की एकमात्र उप-प्रजाति है।

पहली बार 1844 में अल्फ्रेड वैगनर द्वारा चिह्नित इस प्रजाति के बारे में कहा जाता है कि इसने मध्य एशिया के बुखारा से कश्मीर तक यात्रा की है। पहले यह प्रजाति कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के कुछ हिस्सों, झेलम और चेनाब नदियों के उत्तर एवं पूर्व में 65 किलोमीटर के दायरे में पाई जाती थी।

वर्तमान में हंगुल की आबादी श्रीनगर के पास दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य (Dachigam Wildlife Sanctuary) तक सीमित है, जो 141 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ■

6. रोटा वायरस

हाल ही में केन्द्र सरकार ने सितम्बर 2019 तक सभी राज्यों में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत रोटा वायरस वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित करने को कहा है। केन्द्र सरकार का कहना है कि वह रोटा वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में प्रतिवर्ष पैदा होने वाले सभी 2.5 करोड़ बच्चों को यह वैक्सीन नि:शुल्क रूप से दिया जाएगा। यह केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित तीन 100 दिवसीय लक्ष्यों में से एक है। वर्तमान में यह टीका हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा, राजस्थान, मध्यप्रदेश और तमिलनाडु में प्रशासित किया जा रहा है। अब सरकार की योजना है कि सितम्बर 2019 तक सभी 25 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को इस कार्यक्रम के तहत कवर कर लिया जाएगा।

रोटा वायरस क्या है

रोटा वायरस वह विषाणु है जिसकी वजह से आंतों का संक्रमण यानि जठरांत्रशोथ (गैस्ट्रोएंटेराइटिस) होता है। इस संक्रमण से आंत की अंदरूनी परत को नुकसान पहुँचता है और इस वजह से शरीर भोजन को अवशोषित नहीं कर पाता है।

ज्ञातव्य है कि छह महीने से दो साल तक के बच्चों को इसका खतरा सबसे अधिक होता है। यह बच्चों में होने वाले 40 प्रतिशत डायरिया के लिए जिम्मेदार है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सामान्य संपर्क से भी आसानी से फैल जाता है। दुनियाभर में इस वायरस की चपेट में आने से करीब-करीब 20 लाख बच्चे अस्पताल में भर्ती होते हैं, जबकि 5 साल से कम आयु के करीब 5 लाख बच्चों की हर साल इस वायरस की वजह से मृत्यु हो जाती है।

रोटा वायरस की वजह से शिशु में दस्त की समस्या होती है। इतना ही नहीं इस वायरस के कारण बच्चे को गंभीर दस्त और निर्जलीकरण के साथ ही उल्टी और बुखार भी हो जाता है। इसीलिए इस वायरस से बचाव के लिए बच्चों को रोटा वायरस टीका (वैक्सीन) दी जाती है। ■

7. भाभा कवच : भारत की सबसे हल्की बुलेटप्रूफ जैकेट

हाल ही में देश की अब तक की सबसे कम वजन वाली भाभा बुलेट प्रूफ जैकेट को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो-2019 में लॉन्च किया गया। इस जैकेट को ऑडिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और पब्लिक सेक्टर कंपनी मिथानी ने मिलकर विकसित किया है। मिथानी धातुओं और मिश्रित धातुओं के निर्माण से जुड़ी है।

यह बुलेट प्रूफ जैकेट 7.62mm ठोस स्टील कोर वाली AK-47 राइफल की बुलेट से लेकर 5.56mm इंच की गोली तक झेल सकती है।

कवच का वजन 9.2 किलोग्राम है। प्रेस रिलीज के मुताबिक, केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित बुलेट प्रूफ जैकेट के मुकाबले इसका वजन करीब आधा किलो कम है। यह जैकेट भाभा अटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा नैनो टेक्नोलॉजी से तैयार की गई है। इसकी वॉरंटी पाँच साल है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय सुरक्षाबल बुलेटप्रूफ जैकेट की कमियों से जूझ रहे हैं। जानकार मानते हैं कि यह नई जैकेट सरकार को खरीद के लिए एक नया विकल्प उपलब्ध करा सकती है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय में यह खबर आई थी कि सरकार 639 करोड़ रुपये की रकम खर्च करके अप्रैल 2020 तक 1.86 लाख जैकेट खरीदेगी।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, 2009 में देश में 3,53,755 बुलेट प्रूफ जैकेटों की कमी थी, लेकिन लंबे वक्त से खरीद नहीं हुई। अप्रैल 2016 में 1,86,138 जैकेटों की खरीद के लिए आरएफपी यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी हुआ। इस संबंध में 9 अप्रैल 2018 को टेंडर अलॉट किया गया। इस कॉन्ट्रैक्ट की पूरी लागत 638.97 करोड़ रुपये है, जिसके जरिए 1,86,138 जैकेट खरीदे जाएँगे। इनकी सप्लाई 36 महीनों में होगी जो 8 अप्रैल 2020 को पूरी होगी। ■

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

1. लोकसभा में मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित

- 22 जुलाई, 2019 को राज्यसभा ने मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित कर दिया है।
- मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 को, मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग (राज्य आयोग) और मानव अधिकार न्यायालयों के गठन हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- एनएचआरसी ने कुछ वैश्विक प्लेटफार्मों पर उठाई गयी चिंताओं को दूर करने के लिए अधिनियम में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इसके अलावा, कुछ राज्य सरकारों ने अधिनियम में संशोधन के लिए भी प्रस्ताव दिया है, क्योंकि उन्हें संबंधित राज्य आयोगों के अध्यक्ष के पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों को खोजने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जो मौजूदा पद के लिए पात्रता मानदंड के कारण हैं।
- पेरिस सिद्धांत के आधार पर इस प्रस्तावित संशोधन से आयोग और साथ ही राज्य आयोगों को भी, उनकी स्वायत्तता, स्वतंत्रता, बहुवाद और मानव अधिकारों के प्रभावी संरक्षण तथा उनका संवर्द्धन करने हेतु बल मिलेगा।
- भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है, को भी आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र बनाया जा सके।
- आयोग के सदस्यों की संख्या को दो से बढ़ाकर तीन किया जा सके, जिनमें से एक महिला होगी।
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों सम्बन्धी मुख्य आयुक्त को आयोग के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया गया है।
- आयोग और राज्य आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की पदावधि को पाँच वर्ष से कम करके तीन वर्ष किया जा सके और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
- दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न अन्य संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्वहन किए जा रहे मानव अधिकारों सम्बन्धी मामलों को राज्य आयोगों को प्रदत्त किया जा सके, दिल्ली संघराज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में आयोग द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

2. सागर मैत्री मिशन-2

- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के समुद्रविज्ञानीय अनुसंधान पोत आईएनएस सागरध्वनि ने कोच्चि में सागर मैत्री मिशन-2 की शुरूआत की।
- सागर मैत्री डीआरडीओ की एक अनोखी पहल है जो हिंद महासागर रिम (आईओआर) देशों के बीच अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई नीतिगत घोषणा "क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास (सागर)" के विस्तृत उद्देश्य से जुड़ी हुई है।
- डीआरडीओ का विशिष्ट वैज्ञानिक अंग "मैत्री (मैरीन एंड एलाइड इंटरडिसीप्लीनरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनिशिएटिव)" है।
- आईएनएस सागरध्वनि को नौसेना की भौतिकीय और समुद्र विज्ञानी प्रयोगशाला, कोच्चि ने तैयार किया है, जो डीआरडीओ की प्रमुख सिस्टम प्रयोगशाला है। यह भारतीय जल क्षेत्र में महासागर अनुसंधान प्रयोग करती है।
- सागर मैत्री मिशन-2 हिंद महासागर में ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय अभियानों के हिस्से के रूप में भारत के एकमात्र अनुसंधान पोत आईएनएस किस्तना मिशन के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर भेजा गया है। आईएनएस किस्तना को 1962-63 के दौरान भेजा गया था। मिशन के तहत आईएनएस सागरध्वनि आईएनएस किस्तना के चुने हुए ट्रैक पर जाएगा।
- सागर मैत्री मिशन का मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर के समूचे उत्तरी क्षेत्र से आंकड़े एकत्र करना है, जिसमें मुख्य रूप से अंडमान और उसके आसपास के समुद्र पर ध्यान केंद्रित किया

जाएगा। साथ ही इसका उद्देश्य महासागरीय अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में 8 आईओआर देशों के साथ दीर्घकालिक सहयोग स्थापित करना है।

- अन्य आईओआर देशों में ओमान, मालदीव, श्रीलंका, थाइलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और म्यांमार शामिल हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महासागरीय अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में इन देशों के साथ दीर्घकालिक वैज्ञानिक सहयोग स्थापित करना और आंकड़े एकत्र करना है।

3. 2025 तक तपेदिक उन्मूलन

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2025 तक तपेदिक मुक्त भारत के लिए कई मंत्रालयों के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से आयुष मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया।
- केन्द्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने 2025 तक तपेदिक के उन्मूलन के अपने संकल्प के बारे में दुनिया के सामने घोषणा की है, जो वैश्विक लक्ष्य से पांच वर्ष पहले है।
- डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि समन्वित और बहुक्षेत्रीय पहल से प्रमुख हितधारक से अधिक सहायता मिलेगी और 2025 तक तपेदिक के उन्मूलन के भारत के लक्ष्य तक पहुंचने में उनके योगदान की जरूरत है।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव श्रीमती प्रीति सूदन और आयुष मंत्रालय में सचिव श्री वैद्य कोटेचा द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री विकास शील ने क्रमश: रेलवे के कार्यकारी निदेशक डॉ. के. श्रीधर और रक्षा मंत्रालय के कर्नल बल सिंह सिसोदिया के साथ समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया।

4. अतुल्य भारत अभियान

- पर्यटन मंत्रालय ने 2018-19 के दौरान अतुल्य भारत "फाइंड द इन्क्रेडेबल यू" अभियान विश्व स्तर पर जारी किया था। इस अभियान हेतु पाटा (पैसेफिक-एशिया ट्रैवल एसोसिएशन) को स्वर्ण पुरस्कार 2019 का विजेता घोषित किया गया है।
- पर्यटन मंत्रालय अतुल्य भारत ब्रांड के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष मीडिया अभियान चलाता है। इस अभियान को टेलीविजन, प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया में दिखाया जाता है।
- अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अतुल्य भारत 2.0 अभियान को सितंबर, 2017 में लॉन्च किया गया था। इस अभियान की मुख्य विशेषता संभावित बाजार को ध्यान में रखते हुए कंटेंट निर्माण करना था।
- अभियान 2.0 के तहत मंत्रालय के द्वारा पाँच नए टेलीविजन कॉमर्शियल का निर्माण किया गया, जिन्हें टेलीविजन, डिजिटल और सोशल मीडिया पर पूरे विश्व में प्रसारित किया गया।
    - योग: "रेसट्रैक का योगी"
    - आरोग्य: "श्रीमान और श्रीमती जोंस का पुनर्जीवन"
    - विलासिता: "मैनहटन की महारानी"
    - खान-पान: "मसाला मास्टर शेफ"
    - वन्यजीवन: "पेरिस में वन्य संरक्षण क्षेत्र"
- अभियान की रणनीति के तहत गंतव्य स्थलों के अनुभव के स्थान पर यात्रियों के अनुभव को विशेष महत्व दिया गया। यात्रियों के अनुभव को यात्रियों की आत्मकथा के रूप में सामने रखा गया। इसकी टैग लाइन थी- "फाइंड द इन्क्रेडेबल यू"।
- एशिया-पैसेफिक क्षेत्र में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए पाटा स्वर्ण पुरस्कार दिए जाते हैं।

5. फास्टैग लेन

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस वर्ष 1 दिसंबर, 2019 से देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल फ्री प्लाजा पर सभी लेन को 'फास्टैग लेन' (FASTag Lanes) घोषित करने का निर्णय किया है।
- टोल प्लाजाओं पर टोल कलेक्शन सिस्टम से होने वाली परेशानियों का हल निकालने के लिए राष्ट्रीय हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम शुरू किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम या फास्टैग स्कीम भारत में सबसे पहले साल 2014 में शुरू की गई थी जिसे धीरे-धीरे पूरे देश के टोल प्लाजाओं पर लागू किया जा रहा है।
- फास्टैग सिस्टम की मदद से वाहन चालकों को टोल प्लाजा में टोल टैक्स देने के दौरान होने वाली परेशानियों से निजात मिल सकेगी।
- फास्टैग की मदद से वे टोल प्लाजा में बिना रूके अपना टोल टैक्स दे सकेंगे।
- चालक को केवल अपने वाहन पर फास्टैग लगाना होगा। वे ये टैग किसी आधिकारिक टैग जारीकर्ता या सहभागिता बैंक से खरीद सकते हैं।

- वाहन के विंडस्क्रीन में फास्टैग लगाया जाता है और इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) लगा होता है। जैसे ही गाड़ी टोल प्लाजा के पास आ जाती है, तो टोल प्लाजा पर लगा सेंसर वाहन के विंडस्क्रीन में लगे फास्टैग के संपर्क में आते ही, फास्टैग अकाउंट से उस टोल प्लाजा पर लगने वाला शुल्क काट देता है और बिना वहां रूके प्लाजा टैक्स का भुगतान दिया जाता है।
- वाहन में लगा ये टैग, प्रीपेड खाते के सक्रिय होते ही अपना कार्य शुरू कर देगा। वहीं जब फास्टैग अकांउट की राशि खत्म हो जाएगी, तो उसे फिर से रिचार्ज करवाना पड़ेगा। फास्टैग की वैधता 5 वर्ष तक की होगी यानि पांच वर्ष के बाद नया फास्टैग अपनी गाड़ी पर लगवाना होगा।
- सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने टोल प्लाजा में टोल टैक्स देने के कारण लगने वाली गाड़ियों की लम्बी लाइन और खुले पैसे होने की समस्या को हल करने के लिए फास्टैग सिस्टम को देश के कई टोल प्लाजाओं पर शुरू किया है।
- फास्टैग की मदद से समय बचने के साथ-साथ पेट्रोल या डीजल की भी बचत होगी। इतना ही नहीं साल 2016-17 के बीच इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों को सभी टोल भुगतानों पर 10% का कैशबैक भी मिलेगा।
- वहीं 2017-18 के बीच 7.5% कैश बैक 2018-19 के बीच 5% कैश बैक और 2019-2020 तक 2.5% कैश बैक मिलेगा। ये कैश बैक एक सप्ताह के भीतर फास्टैग खाते में आ जाएगा।
- अभी तक फास्टैग केवल भारत के चुनिंदा शहरों के टोल प्लाजा पर ही लागू था। मगर इसके सफल होने के बाद सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा इसे जल्द ही देश के हर टोल प्लाजा पर शुरू करने की कोशिश की जा रही है।

6. उपराष्ट्रपति का चिकित्सकों से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने की अपील की

- उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने भारतीय समुदाय के चिकित्सकों से मांग करते हुए कहा कि वे अपने पुश्तैनी गांवों को गोद लेकर और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सशक्त बनाकर समाज का ऋण चुकायें।
- भारतीय मूल के चिकित्सकों के अमरीकी संघ (एएपीआई) और भारतीय मूल के चिकित्सकों के वैश्विक संघ (जीएपीआईओ) द्वारा हैदराबाद में आयोजित 13वें वैश्विक स्वास्थ्य सेवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए, श्री नायडू ने चिकित्सकों को सलाह दी कि वे अपने गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के क्रियाकलाप में रुचि लें और उनमें सुधार लाने में मददगार बनें।
- उपराष्ट्रपति ने कहा कि अपने देश में ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग 86 प्रतिशत लोग लंबी दूरी तय कर इलाज के लिए जाते हैं। इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की ओर अधिक ध्यान दें, क्योंकि ये केन्द्र कम खर्च पर बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- असंक्रामक रोगों के बढ़ते मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए, श्री नायडू ने चिकित्सकों से कहा कि वे कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की तर्ज पर 'चिकित्सकों सामाजिक उत्तरदायित्व' की अवधारणा अपनाये।
- उन्होंने कहा कि असंक्रामक रोगों से 2016 में कुल 61.08 प्रतिशत मौतें हुई थीं। उन्होंने चिकित्सकों से कहा कि वे प्रत्येक सप्ताहि स्कूलों में जाकर बच्चों के रहन-सहन से जुड़ी बीमारियों और अस्वास्थ्यकर आहार की आदतों के खतरे से बच्चों को अवगत करायें।
- असंक्रामक रोगों से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन का आह्वान करते हुए, उपराष्ट्रपति ने भारतीय चिकित्सा संघ से मांग की कि वे विशेषकर छात्रों के बीच स्वास्थ, रहन-सहन अपनाने के लिए जागरूकता को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभायें।

7. वेतन विधेयक, 2019 पर कोड

- केन्द्रीय श्रम और रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार ने वेतन और बोनस तथा इनसे जुड़े मामलों से संबंधित कानूनों में संशोधन और समेकन के लिए लोकसभा में वेतन विधेयक, 2019 पर कोड पेश किया। वेतन विधेयक, 2019 पर कोड में न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के प्रासंगिक प्रावधानों को शामिल किया गया है। वेतन पर कोड लागू होने के बाद ये सभी चार अधिनियम निरस्त हो जाएंगे। कोड की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-
    - वेतन पर कोड सभी कर्मचारियों के लिए क्षेत्र और वेतन सीमा पर ध्यान दिए बिना सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन और वेतन के समय पर भुगतान को सार्वभौमिक बनाता है।
    - वर्तमान में न्यूनतम वेतन अधिनियम और वेतन का भुगतान अधिनियम दोनों को एक विशेष वेतन सीमा से कम और अनुसूचित रोजगारों में नियोजित कामगारों पर ही लागू करने के प्रावधान हैं।

- इस विधेयक से हर कामगार के लिए भरण-पोषण का अधिकार सुनिश्चित होगा और मौजूदा लगभग 40 से 100 प्रतिशत कार्यबल को न्यूनतम मजदूरी के विधायी संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि हर कामगार को न्यूनतम वेतन मिले, जिससे कामगार की क्रय शक्ति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। न्यूनतम जीवन यापन की स्थितियों के आधार पर गणना किये जाने वाले वैधानिक स्तर वेतन की शुरूआत से देश में गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर को बढ़ावा मिलेगा और लगभग 50 करोड़ कामगार इससे लाभान्वित होंगे।
- इस विधेयक में राज्यों द्वारा कामगारों को डिजिटल मोड से वेतन के भुगतान को अधिसूचित करने की परिकल्पंना की गई है।
- विभिन्न श्रम कानूनों में वेतन की 12 परिभाषाएं हैं, जिन्हें लागू करने में कठिनाइयों के अलावा मुकदमेबाजी को भी बढ़ावा मिलता है। इस परिभाषा को सरल बनाया गया है, जिससे मुकदमेबाजी कम होने और एक नियोक्ता के लिए इसका अनुपालन सरल करने की उम्मीद है। इससे प्रतिष्ठान भी लाभान्वित होंगे, क्योंकि रजिस्टरों की संख्या, रिटर्न और फॉर्म आदि न केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरे जा सकेंगे और उनका रख-रखाव किया जा सकेगा, बल्कि यह भी कल्पना की गई है कि कानूनों के माध्यम से एक से अधिक नमूना निर्धारित नहीं किया जाएगा।
- वर्तमान में अधिकांश राज्यों में विविध न्यूनतम वेतन हैं। वेतन पर कोड के माध्यम से न्यूतनतम वेतन निर्धारण की प्रणाली को सरल और युक्तिसंगत बनाया गया है। रोजगार के विभिन्न प्रकारों को अलग करके न्यूनतम वेतन के निर्धारण के लिए एक ही मानदंड बनाया गया है।
- न्यूनतम वेतन निर्धारण मुख्य रूप से स्थान और कौशल पर आधारित होगा। इससे देश में मौजूद 2000 न्यूनतम वेतन दरों में कटौती होगी और न्यूनतम वेतन की दरों की संख्या कम होगी।
- ऐसे अनेक उदाहरण थे कि छोटी सीमावधि के कारण कामगारों के दावों को उठाया नहीं जा सका। अब सीमा अवधि को बढ़ाकर तीन वर्ष किया गया है और न्यूनतम वेतन, बोनस, समान वेतन आदि के दावे दाखिल करने को एक समान बनाया गया है। फिलहाल दावों की अवधि 6 महीने से 2 वर्ष के बीच है।
- इसलिए यह कहा जा सकता है कि न्यूनतम वेतन के वैधानिक संरक्षण करने को सुनिश्चित करने तथा देश के 50 करोड़ कामगारों को समय पर वेतन भुगतान मिलने के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है। यह कदम जीवन सरल बनाने और आराम से व्यापार करने को बढ़ावा देने के लिए भी वेतन पर कोड के माध्यम से उठाया गया है।
- वेतन विधेयक पर कोड इससे पहले 10 अगस्त, 2017 को लोकसभा में पेश किया गया था, जिसे संसद की स्थायी समिति के पास भेजा गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 18 दिसंबर, 2018 को प्रस्तुत की थी। हालांकि 16वीं लोकसभा भंग करने के कारण यह विधेयक रद्द हो गया।

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

1. रुपये का आना-जाना

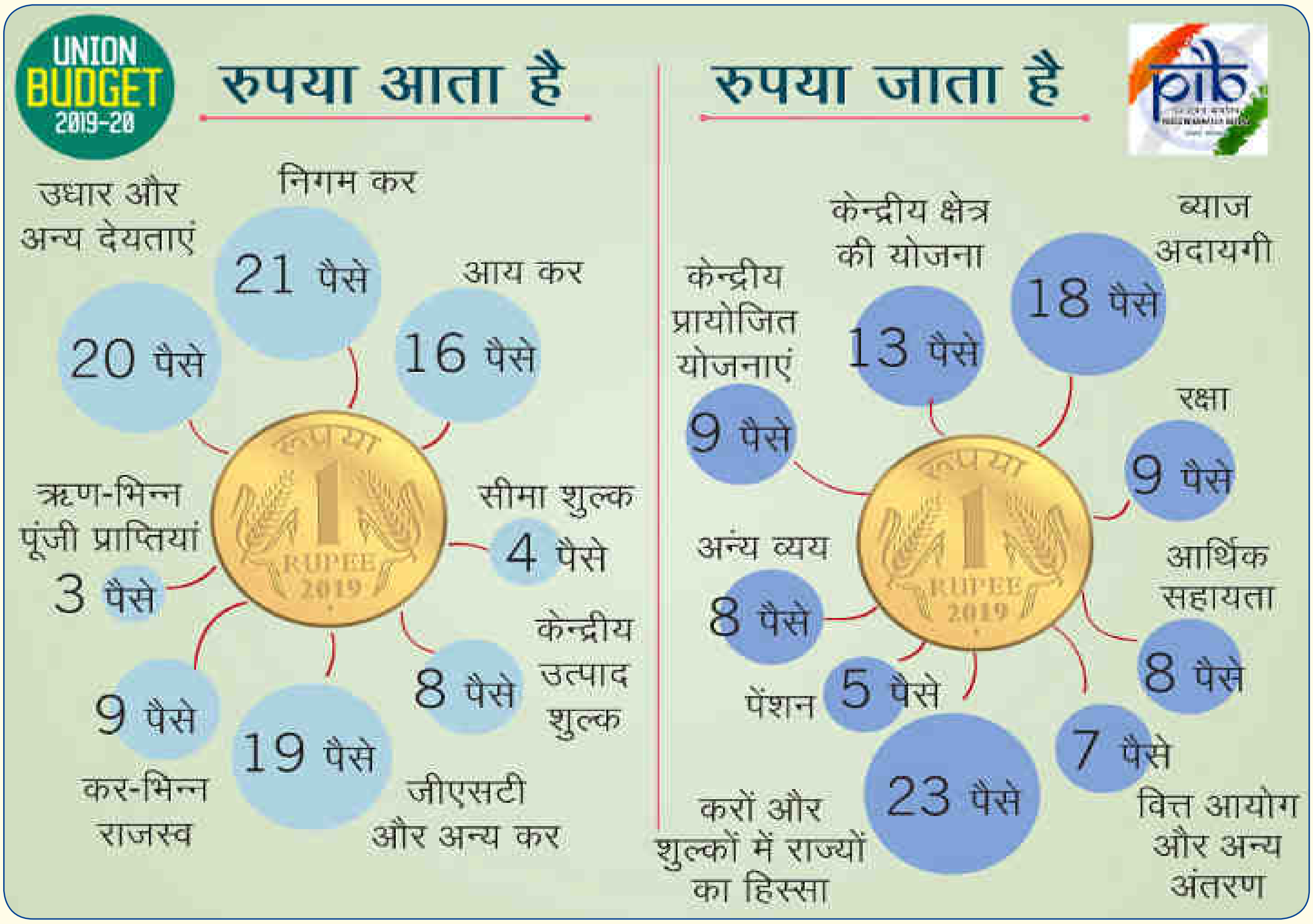

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत सरकार को 1 रुपये की प्राप्ति में, 68 पैसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होता है, जिसमें से वह 23 पैसे राज्य सरकारों के करों एवं शुल्कों के अदायगी के रूप में खर्च करती है। वर्ष 2019-20 के बजट के अनुसार सरकार को सर्वाधिक आय निगम कर से होती है जो 21 पैसे है। इसके पश्चात वस्तु एवं सेवा कर का स्थान है, जो 19 पैसे का योगदान करता है।
- सरकार को उधार और अन्य देनदारियों से संग्रह 20 पैसे का होता है। इसके अलावा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से 8 पैसे की प्राप्ति होती है।
- सरकार का लक्ष्य गैर-कर राजस्व जैसे विनिवेश (Disinvestment) से 9 पैसे कमाने का है, जबकि 3 पैसे गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियों से।
- बजट 2019-20 के अनुसार 9 पैसा रक्षा में, 9 पैसा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में जबकि 13 पैसा अन्य केन्द्रीय योजनाओं में व्यय किया जाता है। इसके अलावा सरकार 18 पैसे का खर्च ब्याज अदायगी में करती है। गौरतलब है कि सरकार पेंशन में 5 पैसे खर्च करती है।
- अन्य व्यय की बात करें तो सरकार 8 पैसे खर्च करती है, जबकि वह 8 पैसे की आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। इसके अलावा वह 7 पैसे वित्त आयोग और अन्य अंतरणों को प्रदान करती है।

2. बजट एक नजर में

महत्वपूर्ण तथ्य

- वर्ष 2019-20 के बजट के अनुसार कुल व्यय 27.86 लाख करोड़ रुपये पर लाया जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2018-19 के बजट में कुल व्यय 24.42 लाख करोड़ रुपये था।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व (जिसमें ऋण से प्राप्त आय शामिल नहीं) 20.82 लाख करोड़ रुपये है। इस प्रकार कुल व्यय, प्राप्तियों की तुलना में अधिक है।
- बजट के खर्च और प्राप्तियों को संतुलित करने के लिए, सरकार को धन उधार लेने की आवश्यकता पड़ती है।
- वित्त वर्ष 2019-20 में भारत सरकार को अपने व्यय को पूरा करने के लिए 7 लाख करोड़ रुपये उधार लेने की जरूरत है।
- ज्ञातव्य है कि उधार और अन्य देनदारियों को राजकोषीय घाटे के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.3 प्रतिशत है।
- सरकार का उद्देश्य है कि राजकोषीय घाटे को कम करके वर्ष 2020-21 तक इसे 3 प्रतिशत तक लाया जाए।

3. घाटे की प्रवृत्तियां

महत्वपूर्ण तथ्य

- **राजकोषीय घाटा:** राजकोषीय घाटा से आशय उस स्थिति से है जब सरकार का कुल खर्च, कुल प्राप्तियों से अधिक होता है। इन प्राप्तियों में ऋण से प्राप्त आय को शामिल नहीं किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार द्वारा अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जो ऋण लिया जाता है, उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं।
- **राजस्व घाटा:** राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को बताता है। राजस्व घाटे में केवल उन्हीं लेन-देनों को शामिल किया जाता है, जिनसे सरकार के वर्तमान आय और व्यय पर प्रभाव पड़ता है।
- **प्रभावी राजस्व घाटा:** राजस्व व्यय के रूप में सरकार कुछ धनराशि पूंजीगत परिसंपत्तियाँ सृजित करने के लिए अनुदान के रूप में खर्च करती है, जब इस राशि को राजस्व घाटे से घटा दिया जाता है तो उसे प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं।
- **प्राथमिक घाटा:** जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को निकाल दिया जाता है तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा तथा ब्याज अदायगी के अंतर को व्यक्त करता है।

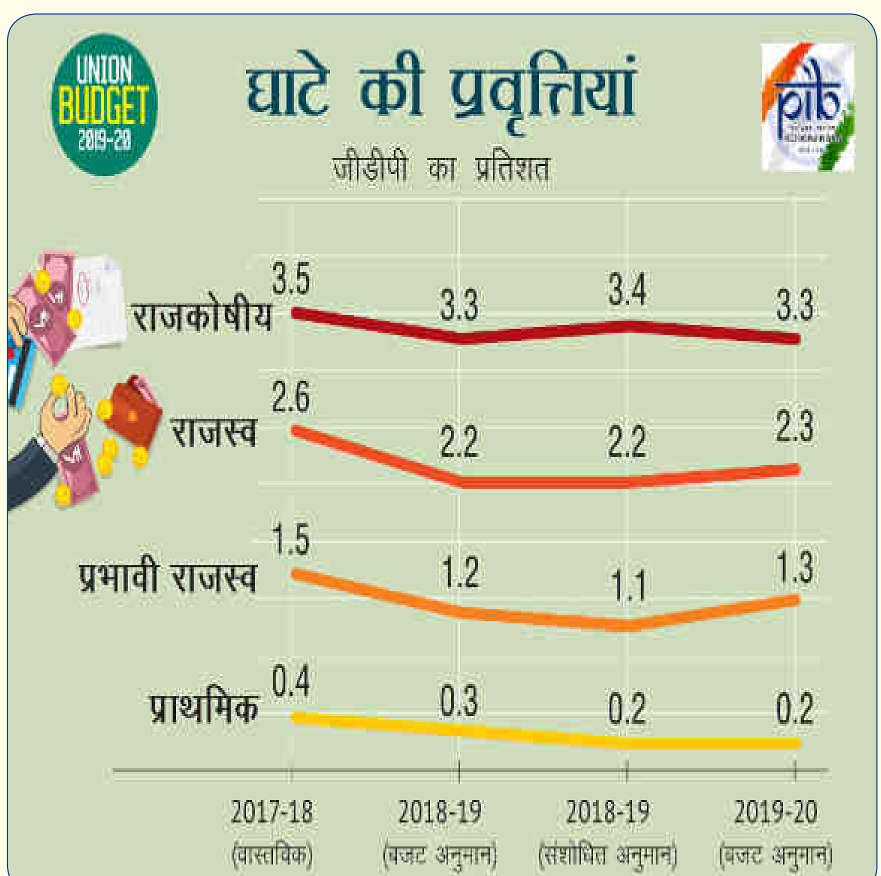

4. राजकोषीय घाटा वित्तपोषण के स्रोत

महत्वपूर्ण तथ्य

- जब सरकार का राजस्व अपने खर्च से कम होता है तो सार्वजनिक और विदेशी संस्थान से अधिक मुद्रा खरीदकर, इस स्थिति से निपटा जाता है। धन की इस अस्थायी व्यवस्था को घाटे के वित्तपोषण के रूप में जाना जाता है।
- भारत का विदेशी ऋण भण्डार, मार्च 2019 के अंत में बढ़कर 519.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जो कि मार्च 2014 के अंत में 446.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में 'अन्य प्राप्तियों' का योगदान, 'अल्प बचतों के बदले प्रतिभूतियों' के योगदान के बाद दूसरे स्थान पर अनुमानित है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष (2018-19) के संशोधित अनुमान के अनुसार दूसरा स्थान 'नकद शेष में आहरण द्वारा कमी' का था।
- यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले वित्तीय वर्ष में 'अन्य प्राप्तियों' का योगदान 'राज्य भविष्य निधियों' से कम था जो इस वर्ष उससे कहीं अधिक अनुमानित है।

5. सब्सिडी

महत्वपूर्ण तथ्य

- बजट प्रस्तावों के अनुसार खाद्य, उर्वरक और ईंधन पर सब्सिडी खर्च चालू वित्त वर्ष में 13.2 प्रतिशत से बढ़कर 3,01,694 करोड़ रुपये पर पहुँच जाएगा। बजट पत्रों के अनुसार सबसे अधिक 51 प्रतिशत वृद्धि ईंधन सब्सिडी में होने का अनुमान है।
- चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान के अनुसार खाद्य सब्सिडी (1.84 लाख करोड़) उर्वरक सब्सिडी (80,000 करोड़ रुपये) और पेट्रोलियम सब्सिडी 37,480 करोड़ रुपये रही है।
- गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान में ईंधन सब्सिडी 24,833 करोड़ रुपये थी।
- सरकार के राजस्व खर्च में सब्सिडी दूसरा प्रमुख मद है।
- रसोई गैस पर सब्सिडी 2019-20 में 32,989 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो इससे पूर्व वित्त वर्ष में 20,283 करोड़ रुपये थी। हालाँकि केरोसीन सब्सिडी घटकर चालू वित्त वर्ष में 4,489 करोड़ रुपये का अनुमान है जो 2018-19 में 4,550 करोड़ रुपये थी।

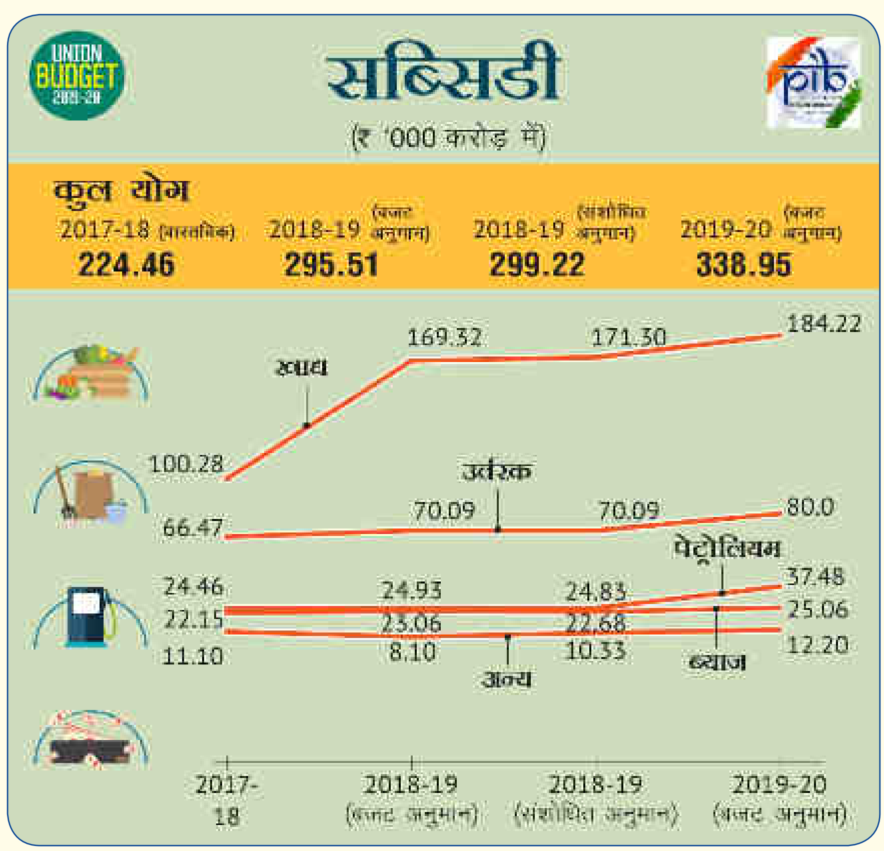

6. कर प्राप्तियों में रुझान

महत्वपूर्ण तथ्य

- सरकार को उम्मीद है कि वर्ष 2019-20 में सकल कर संग्रह 11.9 प्रतिशत से बढ़कर 12.1 प्रतिशत तक पहुँच जाएगा।
- अधिकांश कर राशि का प्रत्यक्ष करों से आने की उम्मीद है। प्रत्यक्ष कर का 6.9 प्रतिशत तक पहुँचने का अनुमान है जो वित्त वर्ष 2018 में 6 प्रतिशत था।
- सरकार को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2021-22 से जीएसटी का पूरा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
- प्रत्यक्ष करों में सबसे ज्यादा योगदान निगम कर का है, इसके बाद आयकर और प्रतिभूति लेन-देन कर का स्थान है।
- अप्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति इस प्रकार है- सीजीएसटी > केन्द्रीय उत्पाद शुल्क > सीमा शुल्क > जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर > आईजीएसटी।
- ज्ञातव्य है कि जीएसटी 1 जुलाई, 2017 को पूरे देश में प्रभावी हुआ।

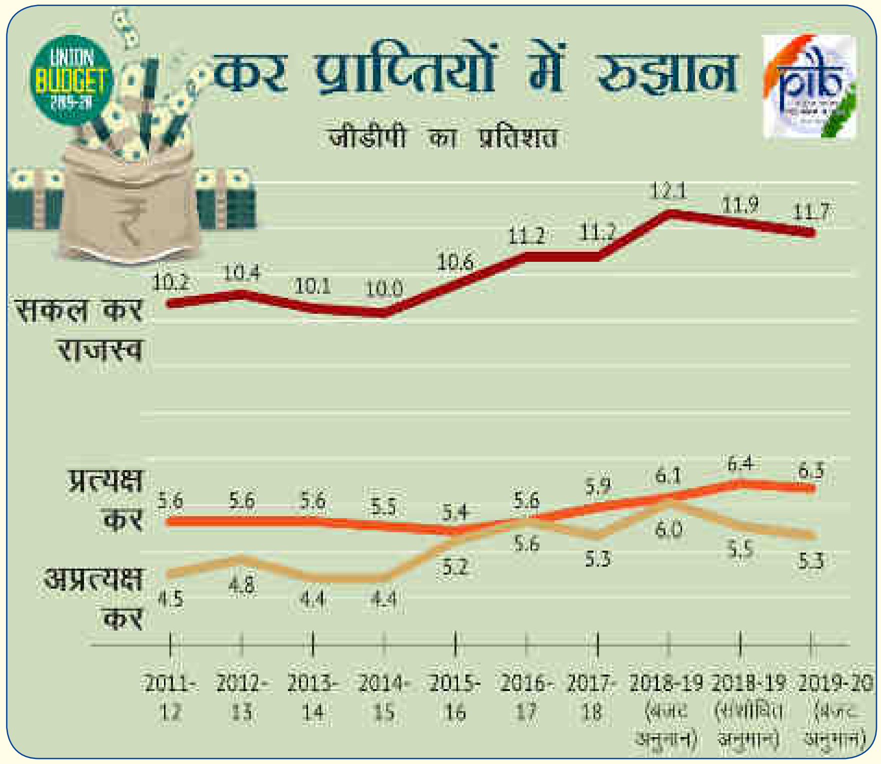

7. रेल बजट : एक नजर में

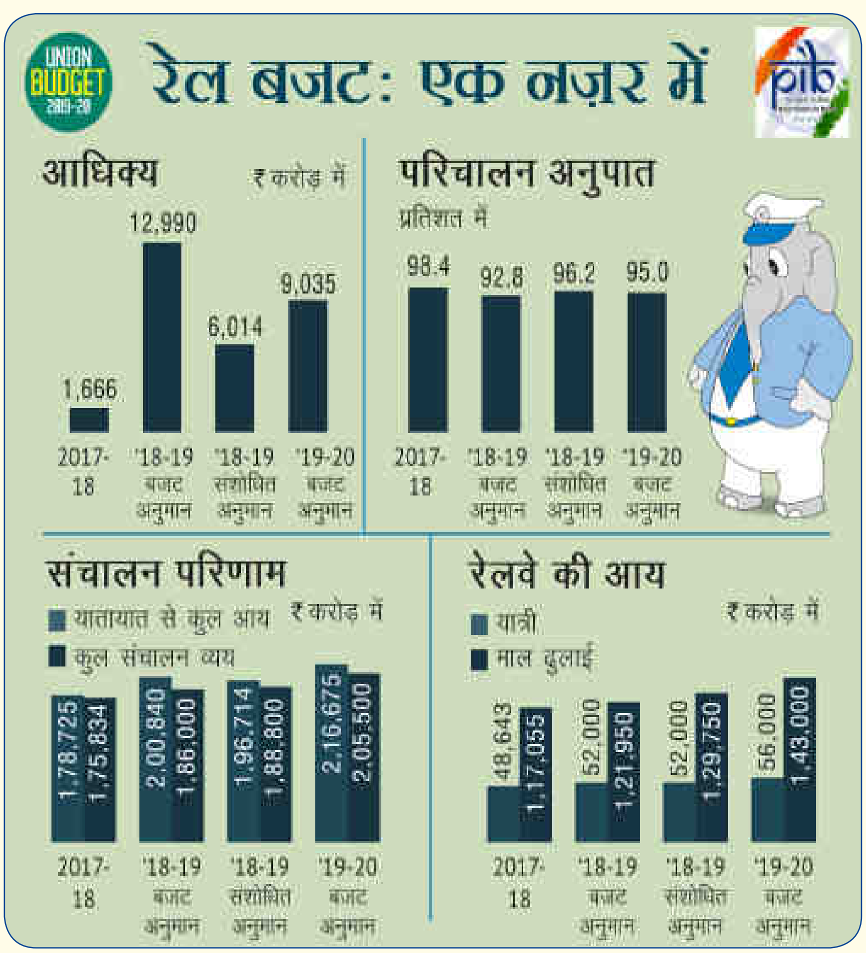

महत्वपूर्ण तथ्य

- सरकार ने अंतरिम बजट 2019-20 में रेलवे के लिए 65,837 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं।
- ज्ञातव्य है कि रेलवे का समग्र पूंजीगत व्यय कार्यक्रम 1,60,175.64 करोड़ रुपये है।
- परिचालन अनुपातः परिचालन अनुपात (Operating Ratio) यह इंगित करता है कि एक रुपया कमाने के लिए रेलवे को कितना खर्च करना पड़ रहा है। 90 प्रतिशत के ऑपरेटिंग अनुपात का अर्थ है कि रेलवे 100 पैसा कमाने के लिए 90 पैसा व्यय कर रहा है।
- वर्ष 2019-20 में यात्री परिवहन से होने वाली आय 56 हजार करोड़ रुपये अनुमानित है जो वर्ष 2018-19 के संशोधित आँकड़ों के अनुसार 52 हजार करोड़ रुपये थी।
- वहीं 2019-20 में माल ढुलाई से होने वाली आय 1,43,000 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो वर्ष 2018-19 के संशोधित आँकड़ों के अनुसार 129750 करोड़ रुपये थी।
- रेलभाड़ा एवं यात्री यातायात वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में क्रमशः 5.33 प्रतिशत और 0.64 प्रतिशत हो गया।
- वर्ष 2018-2030 के दौरान रेलवे के बुनियादी ढाँचे के लिए 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी।

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

FOUNDATION BATCH 2020

OPEN CLASSES
27 JULY | 10:30 AM

Unity Makes Strength!

1 = 10% Discount

1 + 1 = 30% Discount

1 + 1 + 1 = 50% Discount

**T&C Apply.*

FREE MAINS CSE ANSWER WRITING + REVISION 2019

ETHICS CASE STUDY
5 DAYS/CSE QUESTION DISCUSSION
15 JULY | 2:00 PM

Mr. A.H.K. GHAURI
Retd. IRS, Ex. Governance Advisor - British Govt.

ECONOMIC SURVEY & BUDGET
22 JULY | 2:00 PM

ALL INDIA MAINS TEST SERIES 2019
with face to face evaluation

9205274743 011 41251555

25 B, 2ND FLOOR, METRO PILLAR NO. 117,
PUSA ROAD, OLD RAJENDRA NAGAR,
NEW DELHI 110060

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTINAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR – PATNA, **CHANDIGARH, DELHI & NCR** – FARIDABAD, **GUJRAT** – AHMEDABAD, **HARYANA** – HISAR, KURUKSHETRA , **MADHYA PRADESH** – GWALIOR , JABALPUR , REWA , **MAHARASHTRA** – MUMBAI, **PUNJAB** – JALANDHAR, PATIALA, LUDHIANA, **RAJASTHAN** – JODHPUR, **UTTARAKHAND** – HALDWANI, **UTTAR PRADESH** – ALIGARH, AZAMGARH, BAHRAICH, BARELLY, GORAKHPUR, KANPUR, LUCKNOW (ALAMBAGH , LUCKNOW (GOMTI NAGAR), MORADABAD, VARANASI

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price | ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

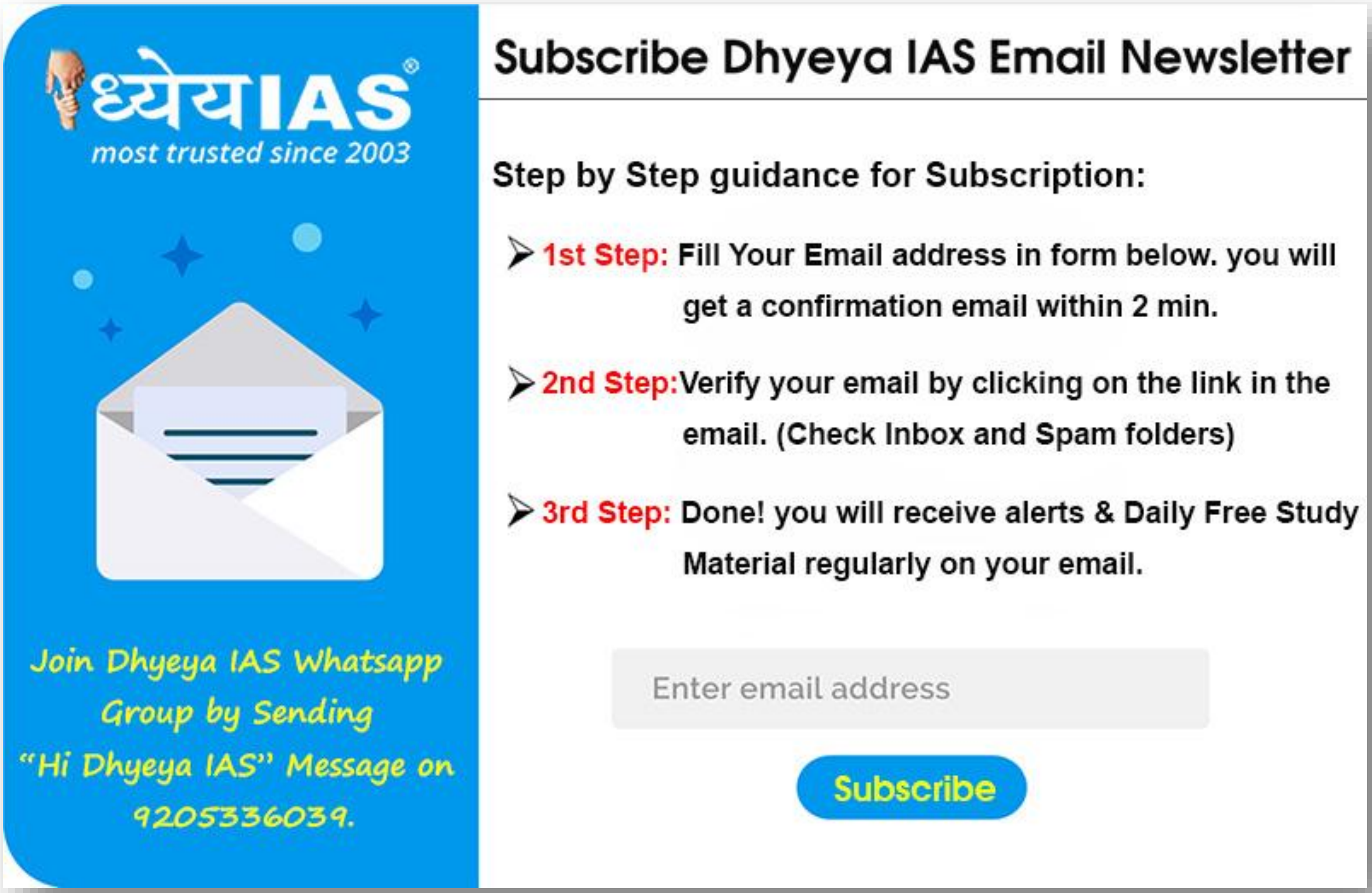

ध्येयIAS most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए 9355174442 पर "Hi Dhyeya IAS" लिख कर मैसेज करें

नोट: अगर आपने हमारा Whatsapp नंबर अपने Contact List में Save नहीं किया तो आपको प्रीतिदिन के मैटेरियल की लिंक प्राप्त नहीं होंगी इसलिए नंबर को Save जरूर करें।

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येय IAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400